वार्षिक प्रतिवेदन
2023-24

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

वार्षिक प्रतिवेदन
2023-24

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखनी से

मुझे वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई इंडिया) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है। यह प्रतिवेदन वर्ष के दौरान हमारी प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करती है और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डालती है।

साई इंडिया को अपने अधिकार और अधिदेश भारत के संविधान और उसके कानूनों से प्राप्त होते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की हमारे देश के संघीय ढांचे में एक अनूठी भूमिका है, जो संघ और राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ अधिकांश राज्य सरकारों के लेखा संकलन के लिए भी जिम्मेदार है। हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्टें संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं तथा विधानमंडल के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती हैं।

हमने अपने मूल अधिदेश को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति जारी रखी। हमने 2023-24 के दौरान 115 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया, जिनमें से 21 संसद में और 94 राज्य विधानसभाओं के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए थीं। हमने मार्च 2024 के अंत तक 2022-23 के लिए सभी 28 राज्यों के वित्त और विनियोग लेखाओं को संकलित एवं प्रमाणित किया।

हमने अपनी अवसंरचना पहलों में बड़ी प्रगति की है, हम लेखापरीक्षा प्रणालियों के पूर्ण डिजिटलीकरण के अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। एक लेखापरीक्षा लेखाविभाग एक प्रणाली (ओआईओएस) अनुप्रयोग के विकास, कार्यान्वयन और तैनाती के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है - यह एक आद्योपांत लेखापरीक्षा प्रक्रिया और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली है जो 1 अप्रैल 2023 से साई इंडिया के मुख्य लेखापरीक्षा कार्य के रूप में कार्य करती है। हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि साई इंडिया हमारे काम में ऐसी नवीन तकनीकों को अपनाने वाली अग्रणी सरकारी संस्थाओं में से एक है। 81 मुख्य और 49 शाखा लेखापरीक्षा कार्यालयों के साथ-साथ चौबीस राज्य लेखा एवं हकदारी कार्यालयों को भी (ओआईओएस) में शामिल किया गया है। संगठन के दैनिक आधिकारिक कार्यों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को एनआईसी के डिजिटल कार्यस्थल समाधान ई-ऑफिस से जोड़ा गया है तथा प्रशिक्षित किया गया है। साई इंडिया के अंतर्गत सभी कार्यालयों में ई-एचआरएमएस 2.0 का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। कार्यान्वयन अभ्यास चरणबद्ध तरीके से किया गया।

पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों, जो जमीनी स्तर पर शासन के अंतिम स्तर का गठन करते हैं, कि लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। दुनिया भर में सहयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करने के लिए, 28 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक "जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और जवाबदेही को मजबूत करने" पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 11 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान भाग लेने वाले देशों द्वारा साझा की गई चर्चाओं और अंतर्दृष्टि को 'जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और जवाबदेही को मजबूत करना - स्थानीय शासन का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य' नामक प्रकाशन में शामिल किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के बीच प्रसारित किया गया।

स्थानीय लेखापरीक्षकों की कमी के मुद्दे को हल करने के प्रयास में, हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ मिलकर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का एक सेट विकसित किया और 'प्रमाणित पंचायत/नगरपालिका लेखाकारों के लिए पाठ्यक्रम' शुरू किया। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य लेखाकारों का एक समूह तैयार करने के अलावा स्थानीय स्वशासन के विभिन्न स्तरों पर कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा व्यावसायिक क्षमता विकसित करना है। जुलाई 2024 में राजकोट में स्थानीय शासन की लेखापरीक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईसीएएल) का उद्घाटन किया गया। यह एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य लेखापरीक्षा क्षमता का निर्माण करना और दुनिया भर में स्थानीय सरकारों में सेवा वितरण में सुधार करना है। इसका उद्देश्य स्थानीय सरकार में शामिल लेखापरीक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए एक मंच के रूप में काम करना है। मई 2023 में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को स्थानीय सरकारों की लेखापरीक्षा के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में निर्देश/मार्गदर्शन जारी किए गए थे।

वर्ष के दौरान हमने अपने लेखांकन और हकदारी कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। वाउचर-स्तरीय डेटा विश्लेषण, डेटा सत्यापन, डेटा-आधारित आश्वासन और वाउचर स्तर के डेटा के आधार पर डेटा विज़ुअलाइज़ेशन के लिए अखिल भारतीय डैशबोर्ड का विकास अपने अंतिम चरण में है।

साई इंडिया ने 16 नवंबर 2023 को तीसरा ऑडिट दिवस मनाया - यह दिन भारत के सीएजी की स्थापना का प्रतीक है। भारत की माननीय राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे आगे बढ़ने की गतिविधियों के रूप में, भारत में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निर्दिष्ट समकालीन विषयों पर एक राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता (अंग्रेजी और हिंदी में) आयोजित की गई थी। हमारे युवा नागरिकों को शामिल करने का उद्देश्य शासन और सार्वजनिक जवाबदेही प्रतिमान के बारे में उनकी समझ में सुधार करना और हमें सीएजी संस्थान से उनकी अपेक्षाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना था। ऑडिट दिवस पर विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

साई इंडिया एक जन संचालित संगठन है और हमारे कर्मचारी हमारी संपत्ति हैं। संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए, सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखांकन में नवाचार और उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार 2021 में स्थापित किए गए थे। 2023 में अपने तीसरे संस्करण के दौरान, देश भर में फैले हमारे कार्यालयों से चयनित पाँच दलों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कारों ने उन परियोजनाओं को मान्यता दी जो उच्च स्तर की गुणवत्ता को प्राप्त करने और हमारी प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक जुनून और सोच को परिलक्षित करती हैं। यह स्वीकार करते हुए कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता के अलावा, संगठनात्मक दृष्टिकोण से सर्वांगीण गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है, लेखांकन, लेखापरीक्षा और ज्ञान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में परिभाषित मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने वाले चार कार्यालयों को 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कार्यालय' का पुरस्कार प्रदान किए गए।

हमारी उपलब्धियाँ हमारे कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों का परिणाम हैं। हम अपने लोगों के निरंतर पेशेवर विकास की आवश्यकता के प्रति सचेत हैं। हमारे क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थान हमारे कर्मचारियों को कई विषयों पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता का निर्माण कर सकें और उन्हें अपने कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल से सुसज्जित हो सकें। नोएडा एवं जयपुर में हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए क्रमशः सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यावरण क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में, हम इंटोसाई (सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन) और एसोसाई (सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का एशियाई संगठन) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदार के रूप में बने रहे। भारत के भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को 2023-2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया। वर्ष के दौरान, संयुक्त राष्ट्र के चार निकाय हमारे लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थे, अर्थात् खाद्य एवं कृषि संगठन (2020-2025), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) (2020-2023), रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) (2021-2023) और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (2022-2027)। हमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2024-27) के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। डब्ल्यूएचओ और ओपीसीडब्ल्यू के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में साई इंडिया की नियुक्ति की अवधि को क्रमशः 2024-2027 और 2024-2026 की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया। बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में साई इंडिया की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच इसकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ इसकी व्यावसायिकता, उच्च मानकों, वैश्विक लेखापरीक्षा अनुभव और मजबूत राष्ट्रीय साख की पहचान है।

साई इंडिया ने हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में उन्नत व्यावसायिक प्रथाओं के लिए ज्ञान और अनुभवों को साझा करने वाले अन्य साई के साथ साझेदारी को बहुत महत्व दिया है। 2023-24 के दौरान, हमने अलग-अलग साई के साथ तीन नए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए| इन साई के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध न केवल इन देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि एक उन्नत लेखापरीक्षा गुणवत्ता व्यवस्था के विकास के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी काम करते हैं।

जी-20 की भारतीय अध्यक्षता के तत्वावधान में, साई 20 सहभागिता समूह के अध्यक्ष के रूप में, साई इंडिया ने साई 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप, साई 20 कम्युनिकी को सदस्य साई द्वारा अपनाया गया। इसके बाद, साई इंडिया ने मार्च 2024 में साई 20 सहभागिता समूह की अध्यक्षता फ़ेडरल कोर्ट ऑफ़ अकाउंट्स - ब्राज़ील के अध्यक्ष, मंत्री श्री ब्रूनो दांतास को सौंप दी।

तेजी से बदलते पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल रखने के लिए, हमने 2023-2030 की अवधि के लिए अपनी रणनीतिक योजना विकसित की तथा उसे अपनाया है। जिसका उद्देश्य हमारी प्रक्रियाओं को बदलना, मानकीकृत करना और संस्थागत बनाना है। ताकि हम अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के साथ अपने अधिदेश को पूरा कर सकें। इसमें हमारे मुख्य कार्यों के साथ-साथ हमारी आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में बताने के लिए चार व्यापक लक्ष्यों के तहत 10 रणनीतियां शामिल हैं। रणनीतिक योजना के सफल कार्यान्वयन से हमें उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा के माध्यम से आश्वासन प्रदान करने, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने तथा सरकार को सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करने के हमारे संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

मुझे आशा है कि यह वार्षिक प्रतिवेदन व्यवस्थापकों, कार्यपालकों, शिक्षाविदों और आम जनता सहित हमारे हितधारकों को हमारे काम की अच्छी अंतर्दृष्टि उपलब्ध करने तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में हमारे प्रयासों की सराहना करने में सहायक होगी।

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	1
	प्रमुख तथ्य	3
	खंड 1: भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई इंडिया): अधिदेश एवं संरचना	
अध्याय 1	भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के विकास की चरणबद्धता	9-13
अध्याय 2	साई इंडिया का अधिदेश	17-22
अध्याय 3	साई इंडिया का संगठन	25-28
अध्याय 4	क्षमता निर्माण अवसंरचना	31-35
अध्याय 5	हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं	39-42
	खंड 2: हमारे अधिदेश को पूरा करना	
अध्याय 1	हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना	49-63
अध्याय 2	हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना	67-78
	खंड 3: वर्तमान प्रगति	
अध्याय 1	मार्गदर्शनों का विकास	85-92
अध्याय 2	क्षमता निर्माण	95-105
अध्याय 3	आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन	109-110
अध्याय 4	हमारी सूचना प्रौद्योगिकी पहल	113-123
अध्याय 5	ऑडिट दिवस 2023	127-133
अध्याय 6	31वां महालेखाकार सम्मेलन	137-138
अध्याय 7	उतनी ही महत्वपूर्ण अन्य गतिविधियाँ	141-146
	खंड 4: हितधारकों के साथ अन्त:क्रिया	
अध्याय 1	विधायी समितियों के साथ हमारी अंत:क्रिया	153-155
अध्याय 2	लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड	159-161
अध्याय 3	अधिगम की प्रगति	165-172
	खंड 5: अंतर्राष्ट्रीय संबंध	
अध्याय 1	संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता	179-183
अध्याय 2	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता	187-191
अध्याय 3	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता	195-197
अध्याय 4	द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परस्पर संवाद	201-209
अध्याय 5	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	213-218

प्राक्कथन

इस वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में

भारत के संविधान एवं भारत की संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखापरीक्षा एवं लेखांकन के क्षेत्र में विविध दायित्व सौंपे है। अधिकांश राज्यों की सरकारों के लेखा का संकलन तथा केंद्र व राज्य सरकारों एवं उनके संगठनों की गतिविधियों की लेखापरीक्षा आयोजित करना भारत के सीएजी के प्रमुख वैधानिक दायित्व हैं। इसके अलावा, सीएजी लेखांकन मानकों एवं नीतियों तथा वित्तीय विवरणों के रूप से संबंधित मामलों में कार्यपालक को सलाह देते हैं एवं कुछ राज्यों के लिए हकदारी कार्य भी करते हैं।

सीएजी एवं भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) का गठन करते हैं, साथ में सरकार के मामलों में वित्तीय उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने का दायित्व भी रखते है।

यह रिपोर्ट साई इंडिया के उत्तरदायित्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत की जा रही है। यह वर्ष 2023-24 के दौरान हमारी गतिविधियों एवं उपलब्धियों के साथ-साथ हमारे संसाधनों के उपयोग में नियमितता एवं दक्षता तथा हमारे काम की प्रभावशीलता का लेखा-जोखा देता है।

हमारा उद्देश्य साई इंडिया के बारे में जागरूकता एवं समझ पैदा करना है। हम अपने सेवार्थियों एवं हितधारकों को अपने प्रमुख परिणामों एवं उपलब्धियों के बारे में सूचित करना चाहते हैं एवं सार्वजनिक जवाबदेही एवं सुशासन को बढ़ावा देने में सीएजी के योगदान के उत्तम मूल्यांकन की दिशा में अपने कुछ असाधारण कार्यों का प्रदर्शन करना चाहते हैं।

प्रमुख तथ्य

115

अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

₹ 6,266.68 करोड़

लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर वसूल की गई धनराशि

94.37 प्रतिशत

पेंशन/भविष्य निधि अभिदाताओं से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निवारण

7,442
लेखाओं की जाँच

38,391
अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित की गई इकाइयां (नियोजित इकाइयों का 95.07 प्रतिशत)

28,285
जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन

2,145
अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ

2,475
जाँच किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए की गई कार्रवाई नोट

2,078
निरीक्षित कोषागार

1,85,804
सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के निर्धारित समय के भीतर अंतिम रूप दिए गए अंतिम भुगतान मामले (97.40 *प्रतिशत*)

4,97,845
मूल और पुनरीक्षण पेंशन मामलों का निपटारा (प्राप्त मामलों का 92.08 *प्रतिशत*)

2,206
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों मे चलाए गए और आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

31,321
उपरोक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिभागी

4
वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन (2020-2025), विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020-2023), रासायनिक हथियार निषेध संगठन (2021-2023) एवं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (2022-2027)

3
2023-24 के दौरान अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए

सीएजी कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा

खंड

1

भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई इंडिया): अधिदेश एवं संरचना

- **अध्याय 1**
  भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के विकास की चरणबद्धता
- **अध्याय 2**
  साई इंडिया का अधिदेश
- **अध्याय 3**
  साई इंडिया का संगठन
- **अध्याय 4**
  क्षमता निर्माण अवसंरचना
- **अध्याय 5**
  हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

अध्याय-1

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के विकास की चरणबद्धता

1.1 हमारी विरासत

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की भूमिका विधायिका एवं प्रथा के माध्यम से विकसित हुई है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ठीक पहले, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक प्रमुख प्रशासनिक पुनर्गठन शुरू किया गया था। उन्हीं की पहल के कारण पहली बार, मई 1858 में महालेखाकार के साथ एक अलग विभाग की स्थापना हुई। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्तर्गत वित्तीय लेनदेन के लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण के लिए उत्तरदायी थे।

1857 के बाद, ब्रिटिश क्राउन ने भारत के प्रशासन को संभाला एवं भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया। इस अधिनियम ने 1860 में राज्य संबंधी आय एवं व्यय के वार्षिक बजट की एक प्रणाली शुरू की। बजट प्रणाली ने राज्य संबंधी लेखापरीक्षा की आधारशिला रखी। सर एडवर्ड ड्रमंड ने 16 नवंबर 1860 को पहले महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शब्द का प्रयोग पहली बार 1884 में किया गया था। 1919 के मोंटफोर्ड सुधारों ने महालेखापरीक्षक को सरकार से स्वतंत्र कर दिया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय व्यवस्था में प्रांतीय महालेखापरीक्षकों का प्रावधान करके महालेखापरीक्षक की स्थिति को मजबूत किया। 1947 तक, जब अंतिम ब्रिटिश महालेखापरीक्षक सर बर्टी मोनरो स्टैग ने कार्यभार सौंपा, तो विभाग ब्रिटिश प्रशासन का एक अभिन्न अंग बना रहा एवं पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एकीकृत लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा व्यवस्था प्रदान की।

स्वतंत्रता के बाद, ये व्यवस्थाएं 1950 में भारत के संविधान को अपनाने तक जारी रहीं जिससे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की एक संस्था बनी। श्री वी. नरहरि राव स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक थे। 1971 में संसद द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम के पारित होने से सार्वजनिक व्यय पर निरीक्षण के अतिरिक्त उत्तरदायित्व के साथ एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में साई इंडिया की स्थिति को और मजबूत किया गया।

संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था,

"मेरा मानना है कि यह गणमान्य व्यक्ति संभवतः भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एकमात्र व्यक्ति है जो यह सुनिश्चित करेगा कि संसद द्वारा पारित व्यय से अधिक व्यय न हो, या विनियोग अधिनियम में संसद द्वारा निर्धारित व्यय से भिन्न न हो।"

1.2 साई इंडिया के विकास में महत्वपूर्ण चरणबद्ध तिथियां (माईलस्टोन)

नियुक्ति | कानून | संगठन | लेखापरीक्षा | अंतर्राष्ट्रीय | पुरस्कार

स्वतंत्रता से पूर्व

1858 – ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय लेनदेन के लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण के लिए उत्तरदायी एक महालेखाकार के अन्तर्गत एक अलग विभाग बनाया गया

1860 – ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत के पहले महालेखापरीक्षक को नियुक्त किया गया

1866 – भारत के महालेखापरीक्षक को महालेखानियंत्रक के रूप में नामित किया गया

1884 – महालेखानियंत्रक को लेखापरीक्षा एवं लेखा दोनों के लिए जिम्मेदारियों के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के रूप में फिर से नामित किया गया

1919 – भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने सीएजी को भारत में अंतिम लेखापरीक्षा प्राधिकरण के रूप में वैधानिक मान्यता दी एवं इसे भारत में महालेखापरीक्षक के रूप में पदनामित किया गया

1921 – महालेखापरीक्षक के नियम 1921 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया

1924 – सीमा शुल्क राजस्व की लेखापरीक्षा महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी

1925 – वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा भारतीय लेखापरीक्षा विभाग में स्थापित की गई थी

1935 – भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने

(i) इंग्लैंड के राजा द्वारा सीएजी की नियुक्ति,

(ii) संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इसी तरह एवं समान आधार पर सीएजी को पद से हटाने एवं

(iii) कार्यालय खाली करने पर सीएजी को भारत में शासन के अन्तर्गत किसी भी पद पर रहने से निषिद्ध कर सीएजी की स्वतंत्रता एवं स्थिति को मजबूत किया। महालेखापरीक्षक के पद को भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में नामित किया गया

1936 – भारत सरकार (लेखापरीक्षा एवं लेखा आदेश), 1936 को सीएजी के लेखापरीक्षा एवं लेखाकरण कार्यों का विवरण देते हुए जारी किया गया

1938 – लेखापरीक्षा कोड को अद्यतन किया गया था जिसने 1921 में जारी किए गए पहले के संस्करण में निहित पहले के सभी नियमों एवं निर्देशों को हटा दिया

नियुक्ति | कानून | संगठन | लेखापरीक्षा | अंतर्राष्ट्रीय | पुरस्कार

स्वतंत्रता के बाद

1947 — भारत सरकार (लेखापरीक्षा एवं लेखा आदेश), 1936 को भारतीय अनंतिम संविधान आदेश 1947 द्वारा अपनाया गया था

1948 — भारत सरकार, वित्त विभाग के तत्कालीन सचिव, श्री वी. नरहरि राव को 15 अगस्त 1948 को भारत के स्वतंत्र प्रभुत्व के पहले भारतीय महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था

1950 — भारत के संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए प्रावधान किया गया था, जिसे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण कार्यों के साथ सौंपा गया था, जिसमें केंद्र प्रशासित क्षेत्र/केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे

1953 — नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सेवा की शर्तें अधिनियम) को 1953 में प्रख्यापित किया गया था

1956 — भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 ने सरकारी कंपनियों को कानूनी दर्जा दिया एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया, जिन्होंने कंपनियों में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर सरकार को सलाह भी दी।

1960 — भारत सरकार के साथ आयकर प्राप्तियों एवं प्रतिदाय के लेखापरीक्षा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति व्यक्त की गई

1962 — लेखापरीक्षा संहिता के अधिक्रमण में, दो खंडों में स्थायी आदेश (तकनीकी) की एक नियमावली को जारी किया गया था।

1971 — सीएजी के डीपीसी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, सीएजी के कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए संविधान के अन्तर्गत पारित किया गया था।

1976 — सीएजी के डीपीसी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया गया था ताकि सीएजी को भारत सरकार के लेखाओं के रखरखाव से संबंधित कर्तव्यों एवं कार्यों से मुक्त किया जा सके।

1984 — संयुक्त महालेखाकारों के कार्यालयों को अलग-अलग संवर्गों के साथ दो अलग-अलग कार्यालयों अर्थात सभी लेखापरीक्षा कार्यों के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एवं सभी लेखा एवं हकदारी कार्यों के लिए महालेखाकार (ले एवं हक.) में विभाजित किया गया था

1991 — स्थायी आदेशों की नियमावली (तकनीकी) को परिवर्तित नाम स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखापरीक्षा) को संशोधित किया गया एवं अद्यतन किया गया।

1993 — सीएजी 1993-1999 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षकों के बोर्ड का सदस्य बने

1994 — पहले लेखापरीक्षण मानकों को मूल सिद्धांतों एवं प्रथाओं का विवरण देते हुए जारी किया गया था जिनका लेखापरीक्षकों को पालन करना चाहिए

1996 — सीएजी 1996-2004 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के वाह्य लेखापरीक्षक बने

नियुक्ति | कानून | संगठन | लेखापरीक्षा | अंतर्राष्ट्रीय | पुरस्कार

1997
सीएजी 1997-2003 के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक बने

1998
साई इंडिया द्वारा सरकारी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं योगदान के सम्मान में साई इंडिया को इंकोसाई (INCOSAI) की कांग्रेस द्वारा जोर्ग कंडच पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

1999
सीएजी ने एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया

वाउचर स्तर कम्प्यूटरीकरण को शुरू किया गया

2000
सीएजी 2000-2012 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन एवं 2000-2015 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2002
सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने सहित सरकारी लेखाकरण एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों को स्थापित करने एवं सुधारने के लिए की गई थी।

2002
स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखापरीक्षा) को संशोधित एवं अद्यतन किया गया था

2002
सीएजी के संशोधित लेखाकरण मानक जारी किए गए थे जिन्होंने 2001 में इंटोसाई द्वारा जारी किए गए पुनर्रचित लेखाकरण मानकों को उपयुक्त रूप से अपनाया था।

2002
सीएजी 2002-2008 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के बाहय लेखापरीक्षक बने

2004
निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए जिससे साई इंडिया को निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने में मदद मिली

2004
सीएजी 2004-2012 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहय लेखापरीक्षक बने

2007
सीएजी द्वारा, सीएजी के डीपीसी अधिनियम के अन्तर्गत नियमों एवं विनियमों को बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करके लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम, 2007 जारी किए गए थे।

2010
सीएजी 2010-2016 के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहय लेखापरीक्षक बने

2012
लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय उन्मुखीकरण शुरू करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन को लागू किया गया था

2012
सीएजी 2012-2016 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एवं 2012-2017 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक बने

नियुक्ति | कानून | संगठन | लेखापरीक्षा | अंतर्राष्ट्रीय | पुरस्कार

2014 — सीएजी 2014-2020 के लिए लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र बोर्ड के सदस्य बने

2014 — संशोधित निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए थे

2016 — अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए थे

2017 — सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों को संशोधित एवं अद्यतन किया गया

2020 — लेखापरीक्षा एवं लेखा 2007 पर विनियम, को लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम (संशोधन) 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

2020 — समूहों/क्षेत्रों के आधार पर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन को लागू किया गया था

2020 — सीएजी 2020-2025 के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन, 2020-2023 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अंतर संसदीय संघ 2020-22 के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2021 — सीएजी 2021-23 के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन और 2022-2027 के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा अभिकरण के लिए बाह्य लेखाकरा बने।

2022 — 1 दिसंबर 2022 से जी20 के भारतीय अध्यक्ष पद के अन्तर्गत, साई इंडिया ने साई20 नियुक्ति समुह की अध्यक्षता ली।

2023 — सीएजी को 2024-2027 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बाह्य लेखापरीक्षक बनाया गया।

2023 — सीएजी को 2024-2027 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में फिर से चुना गया

2023 — सीएजी संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष बने

2024 — सीएजी 2024-27 की अवधि के लिए एएसओसाई के अध्यक्ष बने

2024 — सीएजी को 2024-26 की अवधि के लिए ओपीसीडब्ल्यू के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में फिर से चुना गया

अध्याय-2

साई इंडिया का अधिदेश

2.1 साई इंडिया के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) तथा उसके अधीन कार्यरत भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (आईएएंडएडी) मिलकर भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई इंडिया) का गठन करते हैं, जो भारत के संविधान के अंतर्गत संघीय ढाँचे में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में जाँच एवं संतुलन की सांविधिक योजना में इस तंत्र को विधायिका के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकृत मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। राज्यों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले साई इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

संसद/राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट के साथ ही अनुपूरक विनियोजनों का अनुमोदन करता है एवं सरकार को कर एकत्र करने का प्राधिकार देता है। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता एवं सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियमावली है। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से अपेक्षा की जाती है वे लोक-निधि को प्राप्त एवं व्यय करते समय इन नियमों का अनुसरण एवं उनमें निर्धारित ढांचे का पालन करें। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों के लिए संसद एवं राज्य विधानमण्डलों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है एवं राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

हमारे संघीय बहुदलीय लोकतंत्र के दृष्टिगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही पर्याप्त सार्वजनिक संसाधनों से जुड़ी कई योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। विकास, सर्व-समावेशी कल्याण, प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास को बढ़ावा देने, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने पर भी निरंतर जोर दिया गया है। इसकी अनुक्रिया में, साई इंडिया लगातार हमारी प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे एवं क्षमताओं की पुन: जांच करने एवं विकसित करने में लगा हुआ है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उभरते हुए शासन मॉडल एवं सूचना प्रौद्योगिकी संचालित मंचों पर सीएजी के अधिदेशों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जा सके।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का उचित लेखाकरण एवं लेखापरीक्षण केंद्रीय वित्त आयोगों के लिए चिंता का विषय रहा है। तदनुसार, हमने स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों/स्थानीय निधियों के परीक्षकों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने एवं राज्य संगठनों के आपसी मेल-जोल को बढ़ाने के लिए सक्रिय उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि जमीनी स्तर पर सुशासन को बढ़ाने के प्रयास में हितधारकों के साथ भी जुड़ रहे हैं।

2.2 हमारी दूरदृष्टि, उद्देश और नैतिक मूल्य

दूरदृष्टि

(हमारा उद्देश हमारी भावी अभिलाषा को दर्शाता हैं)

हम लोक संसाधनों पर स्वतंत्र एवं विश्वसनीय आश्वासन देते रहें एवं सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में सार्वभौम लीडर बने।

उद्देश

(हमारा उद्देश हमारी वर्तमान भूमिका के बारे में जानकारी देता है एवं यह बताता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं।)

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणवत्ता के लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा देते हैं एवं अपने विधानमंडल, आम जनता एवं कार्यपालिका को इस संबंध में स्वतंत्र एवं समयोचित आश्वासन देते है कि सार्वजनिक धन का प्रभावपूर्ण तरीके एवं कुशलता से संग्रहण एवं उपयोग किया जा रहा है।

नैतिक मूल्य

(हमारे आधारभूत मूल्य वह मौलिक विश्वास हैं जो हमारी संस्था तथा हमारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।)

संस्थागत मूल्य: व्यावसायिक(प्रोफेशनल) मानकों, निष्पक्ष एवं संतुलित दृष्टिकोण, स्वतंत्रता तथा पारदर्शिता को बनाए रखना।

लोक मूल्य: नैतिक व्यवहार, सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सक्षमता, निष्पक्षता तथा सामाजिक जागरूकता।

2.3 साई इंडिया की स्वतंत्रता

भारत के संविधान में भारत सरकार एवं राज्यों की कार्यकारी शाखा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 149 एवं 150 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया हैं। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो न तो कार्यपालिका एवं न ही विधायिका के अंग हैं।

संविधान में निम्नलिखित प्रावधान से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षा के लिए सक्षम बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति;
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू है;
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन एवं व्यय, संसद के द्वारा प्रदत्त मत के अधीन न होना; एवं
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनर्हता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि साई इंडिया में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का भाषण, 21 जुलाई 1954

"उन्होंने कहा, 'जहां तक राज्य के धन का संबंध है, सीएजी के पास किसी भी अधिकारी के लेखा को मांगने की शक्ति है, चाहे वह कितने भी उच्च स्थान पर क्यों न हो। इसलिए उसे सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह सर्वोत्तम संभव तरीके से इन्हें आवंटित कर्तव्यों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए प्रगणित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो सके।"

2.4 हमारे लेखा अधिदेश

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971[1] (सीएजी का डीपीसी अधिनियम 1971) में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाओं को तैयार करने एवं उन्हें राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को एवं विधानसभा वाले संघ-राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित माँगी गई सूचना प्रदान कर सकते हैं एवं सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। सीएजी कोषागारों एवं राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते है। सीएजी उन मामलों की

[1] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10, 11 एवं 12

रिपोर्ट करता है जहां लोक निधि मे से अनुमति से अधिक निकाला गया है, एवं अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों में ऐसी अनियमितताओं को उजागर करता है। सीएजी व्यय के तरीके की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं एवं निधियों के अधिक व्यय, वापस की गई राशि, व्यपगत निधि पर परामर्श देते हैं।

संघ सरकार को सीएजी के परामर्श के बाद, संघ एवं राज्य सरकार के विभागों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के लिए नियम बनाने के लिए नियम बनाने का अधिकार है, जिसमें वह तरीका भी शामिल है जिसमें कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखा कार्यालयों को लेखा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को रखा जाना है।

2.5 हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश

2.5.1 सीएजी का डीपीसी अधिनियम, 1971

सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश को सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 एवं संसद द्वारा अधिनियमित कुछ अन्य कानूनों में परिभाषित किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के अधिदेश है:

- संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि में देय सभी प्राप्तियां एवं व्यय;
- आम बजट के बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेनदेन, (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केन्द्र के साथ-साथ राज्य स्तरों पर न्यासी या बैंकर के रूप में सरकार द्वारा धारित जनता के निजी धन की आवाजाही (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों एवं विभागों के समस्त भण्डार एवं स्टॉक लेखे;
- कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित सभी सरकारी कंपनियों एवं किसी अन्य कंपनी के लेखे;
- सभी विनियामक निकायों एवं अन्य सांविधिक प्राधिकरणों/निगमों के लेखे, जहां जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखापरीक्षा का शासी विधियों में प्रावधान है;
- सरकारी कोष से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों एवं प्राधिकरणों के लेखे;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 के सक्षम बनाने वाले प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल/उपराज्यपाल द्वारा लोकहित में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट रूप से सौंपे गए किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं:

- लगातार केन्द्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर, राज्यों ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को राज्य सरकारों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षा स्कंधों, जो स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं, को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टीजीएस) प्रदान करने की भूमिका सौंपी है। टीजीएस के घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा मानकों की स्थापना, लेखापरीक्षा योजना, उन्नत लेखापरीक्षा पद्धतियों को अपनाने एवं क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षकों का समर्थन एवं आपसी मार्गदर्शन शामिल है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र/राज्य सरकारों से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों का उपयोग एवं स्थानीय निकाय द्वारा केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन का भी लेखापरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उन स्थानीय निकाय की सभी

प्राप्तियों एवं व्ययों की लेखापरीक्षाण किया जाता है जो या तो भारत/राज्यों की समेकित निधि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं या ऐसी लेखापरीक्षा, जो राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई है।

- राज वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम के अन्तर्गत संघ सरकार की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में इसके निष्पादन की समीक्षा करना।
- केन्द्रीय करों/शुल्कों की निवल आय को प्रमाणित करना, जो राज्यों के साथ साझा करने योग्य हैं।

2.5.2 न्यायिक घोषणा के माध्यम से अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास निजी कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का भी अधिकार है, जो सामान्यतया भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश में नही है, यदि कम्पनी को लाइसेंस की शर्तों के अन्तर्गत दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसमें अपेक्षित है कि कम्पनी उससे अर्जित राजस्व के एक भाग को सरकार के साथ सहभाजित करेगी। इस अधिकार को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 के उनके निर्णय द्वारा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों के संबंध में समर्थन दिया गया था।

2.6 हमारी शक्तियां

2.6.1 लेखापरीक्षा करने की शक्तियां

ऊपर उल्लिखित कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ[2] हैं:

- उनकी लेखापरीक्षा के अधीन किसी भी कार्यालय या संगठन का निरीक्षण;
- किसी भी लेखापरीक्षित सत्व से किन्हीं अभिलेखों, कागजातों, दस्तावेजों की मांग करना;
- लेखापरीक्षा की सीमा एवं तरीके का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जांच एवं कार्यपालिका से प्रश्न करना; एवं
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों की किसी श्रेणी की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना एवं ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वे अवधारित करें।

2.6.2 प्रत्यायोजन की शक्तियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकते हैं, इस अपवाद को छोड़कर कि जब नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कोई अधिकारी उनकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

2.6.3 विनियम बनाने की शक्तियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम 1971 के प्रावधानों को लागू करने, जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों एवं प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है, के लिए विनियम बना सकते हैं।

---

[2] सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18,21,22,23 और 24

पर्यावरण में महत्वपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए जिसमें सार्वजनिक लेखापरीक्षक कार्य करते हैं जैसे शासन प्रतिमान, सरकारी प्राथमिकताओं में परिवर्तन, सरकार की सेवा वितरण एवं डेटा वातावरण में आईटी उपकरणों की व्यापक तैनाती, संस्थागत व्यवस्थाओं का नया स्वरूप, सीएजी के अधिदेश की न्यायिक व्याख्या, सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्रावधानों का क्षेत्र एवं प्रयोज्यता आदि, उपर्युक्त शक्तियों के तहत 2007 में जारी किए गए 'लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियमों' की समीक्षा की गई थी एवं उन्हें लेखापरीक्षा एवं लेखा (संशोधन) 2020 पर विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

2.7 साई इंडिया द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियां किसी लेखापरीक्षा के आयोजन में अपनाए जाने वाले कार्यक्षेत्र सीमा, पद्धति तथा उपागम को मानते हुए विस्तारित हैं। इस संबंध में हम, हमारे अधिदेश एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी मानदंडों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित सत्त्वों में वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा या इन लेखापरीक्षा प्रकारों के किसी संयोजन की लेखापरीक्षा करते है।

सीएजी द्वारा किए जाने वाले लेखापरीक्षा के प्रकार

2.7.1 वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या किसी इकाई के वित्तीय विवरण एवं सूचना उचित रूप से तैयार किए गए हैं, सभी मामलों में पूर्ण है तथा निर्धारित वित्तीय सूचनाओं एवं नियामक ढांचे के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत की गई है; एवं लेखापरीक्षक को यह राय व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करके पूरी की गई है कि क्या वित्तीय विवरण एवं सूचना इकाई की वित्तीय स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है एवं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त है।

2.7.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र निर्धारण है कि क्या कोई दी गई विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, एक इकाई या संस्थाओं के एक समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित कोड आदि एवं सरल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन एवं सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के साथ सभी भौतिक संबंधों का अनुपालन करती है।

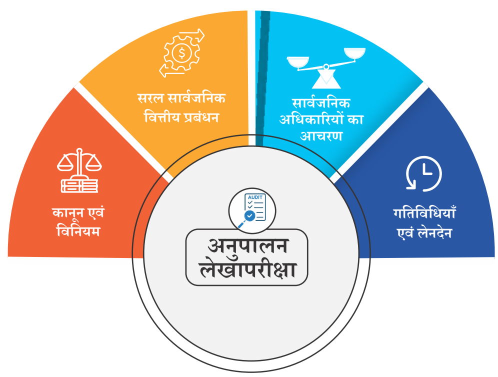

2.7.3 निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण एवं विश्वसनीय जांच है कि क्या सरकारी सत्त्व, संस्थान, संचालन, कार्यक्रम, निधियां, गतिविधियां (उनके इनपुट, प्रक्रियाओं, आउटपुट, परिणामों एवं प्रभावों के साथ) मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहे हैं एवं इसमें सुधार की कितनी गुंजाइश है।

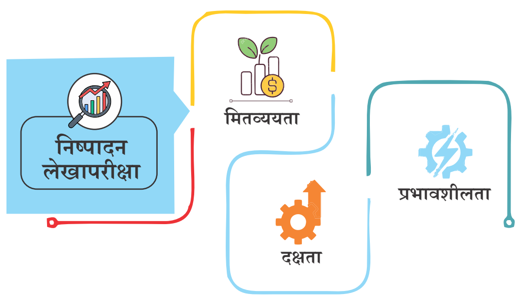

अध्याय-3

साई इंडिया का संगठन

3.1 साई इंडिया का संगठन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। साई इंडिया एक ज्ञान आधारित और मानव संसाधन संचालित संगठन है। इसमें लगभग 42,000 कर्मचारी सम्मिलित हैं। नई दिल्ली में स्थित सीएजी का कार्यालय साई इंडिया का मुख्यालय है। 2023-24 के दौरान, इसे 137 क्षेत्रीय कार्यालयों (पूरे भारत में फैले 132 कार्यालयों और विदेशों में स्थित पांच कार्यालयों) द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। चार राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान एवं 12 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करते हैं।

नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय साई इंडिया के लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से संबंधित सभी कार्यकलापों को निर्देशित, अनुवीक्षण एवं नियंत्रित करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षण मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रसंस्करण एवं अनुमोदन करता है।

इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी लेखापरीक्षा, व्यवसायिक प्रथाएं, नीतिगत प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, बृहत डेटा प्रबंधन इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक संभाग हैं। इन संभागों के प्रमुख उप/अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को आख्या देते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक, निदेशक और उप निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं।

देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय सीएजी के लेखापरीक्षा और लेखा अधिदेश को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। लंदन, कुआलालंपुर और वाशिंगटन डीसी में लेखापरीक्षा कार्यालय भारत सरकार के विदेशी उद्देश्यों की लेखापरीक्षा करते हैं, जबकि रोम और जिनेवा में हमारे बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय क्रमशः संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की लेखापरीक्षा करते हैं।

हमारे कार्यक्षेत्रों को हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार संरचित किया जाता है, अर्थात केंद्र सरकार की लेखापरीक्षा, राज्य सरकार की लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी और प्रशिक्षण और मानव संसाधन के अनुसार संरचित होते हैं।

संगठनात्मक व्यवस्था को नीचे आरेख में दर्शाया गया है:

साई इंडिया का संगठन

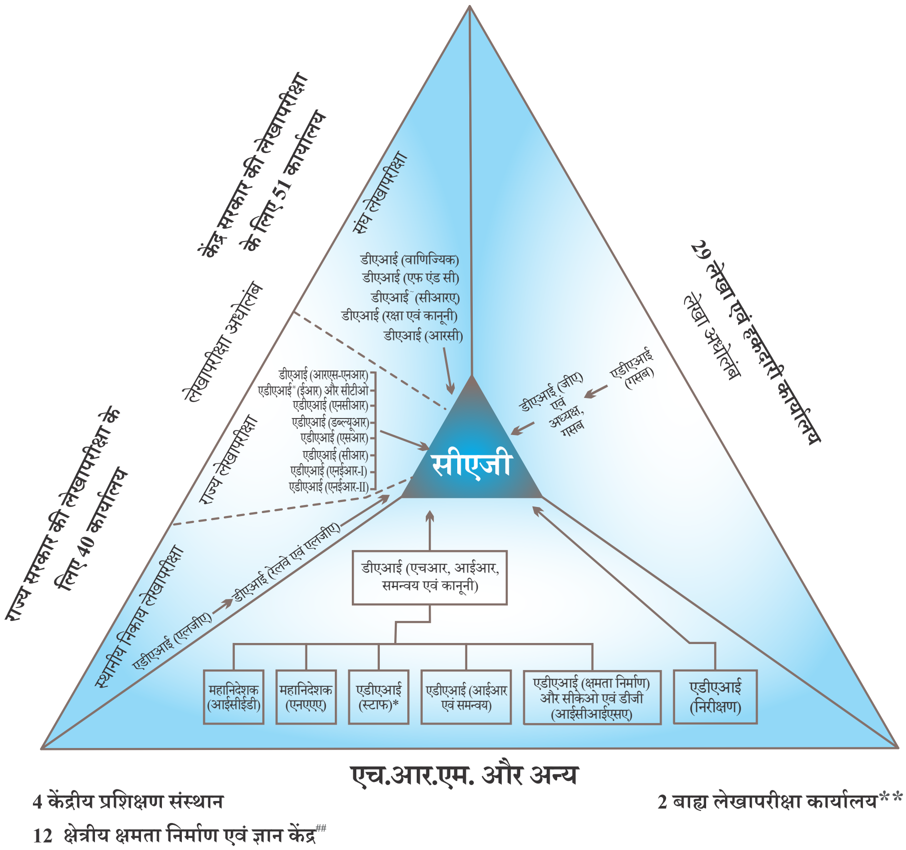

~ डीएआई: उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
≈ एडीएआई: अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
*एडीएआई (स्टाफ) एडीएआई (गसब) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं
#कुआलालंपुर, लंदन और वाशिंगटन डीसी में 3 विदेशी कार्यालयों सहित
एक आरसीबीकेसी एक अलग कार्यालय नहीं है
**रोम और जिनेवा में स्थित

कार्यालय का वर्तमान संगठनात्मक चार्ट https://cag.gov.in/en/organisation-chart पर उपलब्ध है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए वेब लिंक https://cag.gov.in/en/home/our-office/1 पर उपलब्ध है।

3.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सांविधिक अधिदेश की संरचना के तहत लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित एवं निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव देने एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों पर सीएजी को सलाह देने के लिए एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड है।

बोर्ड में नामित विविध क्षेत्रों से प्रसिद्ध पेशेवर बाह्य सदस्यों के साथ साई इंडिया के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भी शामिल होते हैं। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हर दो वर्ष में किया जाता है। पहली बार लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन 1999 में किया गया था। तब से 31 मार्च 2024 तक बोर्ड को दस बार (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018, 2021और 2023)

पुनर्गठित किया गया है। द्विवर्ष 2021-23 के लिए 31 मार्च 2024 में गठित ग्यारहवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं:

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

अध्यक्ष

श्री गिरीश चंद्र मुर्मू
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

सदस्य

श्री अशोक गुलाटी
कृषि अर्थशास्त्री

डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी
अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, नारायणा हेल्थ

श्री एच. के. दास
सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी

प्रो. मकरंद आर. परांजपे
शिक्षाविद्

श्री मनीष सभरवाल
मानव संसाधन सलाहकार

श्री मारूफ रज़ा
सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी
और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक

श्री नितिन देसाई
विशिष्ट फेलो, टेरी

डॉ. राजीव लोचन बिश्नोई
क्रेडिट और वित्तीय विशेषज्ञ

डॉ. रवीन्द्र एच. ढोलकिया
अर्थशास्त्री

श्री एस.एम. विजयानंद
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी

श्री पी.के. श्रीवास्तव
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

पदेन सदस्य

सभी उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

3.3 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी आधार पर, लेखापरीक्षा कार्यालयों के संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों की अध्यक्षता में राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। बाह्य सदस्यों में प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को नामित किया जाता है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के जानकार और अनुभवी पेशेवरों के बीच पेशेवर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करके, हमारी लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। बोर्ड की बैठक वर्ष में दो बार होती है और इसे द्विवार्षिक रूप से पुनर्गठित किया जाता है।

अध्याय-4

क्षमता निर्माण अवसंरचना

4.1 साई इंडिया की क्षमता निर्माण अवसंरचना

साई इंडिया की क्षमता निर्माण अवसंरचना में चार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान एवं दो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केन्द्र शामिल हैं।

4.1.1 राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएएए) साई इंडिया का उच्चतम प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं को आरंभिक प्रशिक्षण देने एवं आईएएंडएएस एवं अन्य अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

एनएएए, शिमला

एनएएए नवनियुक्त अधिकारी प्रशिक्षुओं को लेखापरीक्षण, लेखाकरण, लोक प्रशासन तथा सुशासन के क्षेत्र में समकालीन बेहतर पद्धतियों के साथ सुप्रवीण सक्षम अधिकारियों के सवंर्ग का विकास करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के मध्य के आस-पास अकादमी में 89 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण शुरू होता है जिसे सैंडविच पैटर्न में प्रथम चरण, कार्य पर रहते हुए प्रशिक्षण (ओजेटी) तथा द्वितीय चरण प्रशिक्षण वाले कई स्वरूपों में आयोजित किया जाता है। प्रथम चरण, प्रशिक्षण को सरकारी एवं वाणिज्यिक लेखाकरण; अनुपालन, निष्पादन, वित्तीय एवं सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित सार्वजनिक लेखापरीक्षा; सार्वजनिक वित्त एवं नीति; प्रशासन एवं सार्वजनिक व्यय; लागत एवं वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रथम एवं द्वितीय छःमाहियों में विभाजित किया गया है। कक्षा प्रशिक्षण के साथ-साथ देश भर में चुनिंदा क्षेत्रीय कार्यालयों (लेखा एवं पात्रता कार्यालयों में 12 सप्ताह, लेखापरीक्षा कार्यालयों में 16 सप्ताह एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक अनुभाग में 2 सप्ताह) में 30 सप्ताह का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया जा सके।।

अधिकारी प्रशिक्षुओं को भारतीय प्रबंधन संस्थानों, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, भारतीय रिज़र्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं लोकतंत्रों के लिए संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सहित कार्यक्षेत्र विशिष्ट ज्ञान के लिए उत्कृष्टता के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी भेजा जाता है। इसके अलावा, 2021 एवं 2022 बैचों को राजस्व के डिजिटल लेखापरीक्षा में उत्कृष्टता केंद्र (सीईडीएआर), बेंगलुरु एवं आयकर के केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी), बेंगलुरु में भी भेजा गया।

अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान, खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक संपर्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से अधिकारी प्रशिक्षुओं के पारस्परिक कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षुओं द्वारा संचालित विभिन्न समितियां हैं। इन समितियों द्वारा आयोजित प्रमुख गतिविधियों में 'अकादमी कॉलिंग' एवं 'यारोज़ ड्यू' पत्रिकाएं प्रकाशित करना, 'अभिव्यक्ति' के रूप में पहचाने जाने वाले संपूर्ण साई इंडिया की वार्षिक फोटोग्राफी सह लघु वीडियो प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन, वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता 'बैटल ऑफ आइडियाज', वार्षिक जिज्ञासा प्रतियोगिता, प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए शिशुपालनगृह का संचालन, रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच

यारोज़ हॉस्टल एनएए, शिमला

शिविरों का आयोजन, विभिन्न खेल आयोजनों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना सम्मिलित है।

एनएए, आईसीसा अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को मध्य-कैरियर एवं सेवारत प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। संस्थान अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सेवाओं जैसे भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेलवे यातायात सेवा, भारतीय डाक सेवा आदि के लिए विशेष कार्यक्रम को पूर्ण करता है।

4.1.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा के लिए केन्द्र (आईसीसा)

नोएडा में सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीसा) मार्च 2002 में स्थापित किया गया था एवं आईसीसा एक आईएसओ 9001:2008 तथा आईएसओ 27001 प्रमाणित संस्थान है जो कि प्रशिक्षण में गुणवत्ता प्रणाली सुनिश्चित करने तथा बेहतर वैश्विक प्रथाओं के साथ आईटी लेखापरीक्षा के संरेखण के लिए प्रयासरत है। आईसीसा आईटी लेखापरीक्षा पर ईंटोसाई कार्यप्रणाली समूह की एक नामित वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा है।

आईसीसा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसके अतिरिक्त केन्द्र विभिन्न सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएँ, भारतीय सिविल लेखा सेवाएँ तथा केन्द्रीय स्वायत निकायों के साथ-साथ अन्य साई के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।

आईसीसा, नोएडा

आईसीसा का अधिदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ाना है। आईसीसा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा एवं नियंत्रण संघ (आईएसएसीए) भारतीय अध्याय, प्रमुख लेखापरीक्षा फर्मों, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन), भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) एवं मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निदेशालय जैसे संस्थानों एवं एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।

आईसीसा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो चार सप्ताह की अवधि के होते हैं। विदेश मंत्रालय भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) योजना के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भारत सरकार, जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्त पोषित करती है, तथा अन्य सरकारों के मध्य द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना;
- विभिन्न साई को एक साथ आने एवं लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना; एवं

- साई के विभिन्न प्रतिभागियों को लेखापरीक्षा में समकालीन सर्वोत्तम परिपाटियों का विवरण प्राप्त करने एवं उभरती लेखापरीक्षा प्रयोजनों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करना।

विभिन्न सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) से वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के अधिकारियों तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पैसिफिक तथा पूर्व यूरोपीय क्षेत्र जैसे देशों की सरकारों के अधिकारियों ने इन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

आईसीसा द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं(साई) के क्षमता निर्माण में योगदान देता है। आईसीसा ने अफगानिस्तान, भूटान, चिली, इस्वातिनी, इराक, जमैका, मालदीव, नेपाल, ओमान, युगांडा एवं वियतनाम जैसे कई देशों से सहभागियों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप बनाया तथा प्रदान किया है। द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम साई एवं संबंधित देशों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता हेतु एक प्रभावी साधन हैं।

आईसीसा कक्षा

आईसीसा कम्प्यूटर लैब

4.1.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी)

जयपुर में आईसीईडी की स्थापना मई 2013 में हुई थी एवं यह पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह की एक निर्दिष्ट वैश्विक प्रशिक्षण (जीटीएफ) सुविधा है एवं सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (इंटोसाई) के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निष्कर्षण उद्योगों पर (अगस्त 2016 से) कार्यकारी समूह है। जीटीएफ के रूप में, आईसीईडी इंटोसाई डब्ल्यूजीईए एवं ऐसोसाई डब्ल्यूजीईए दोनों मंचों में साथियों के बीच सीखने, अनुभव एवं ज्ञान-साझाकरण एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने में एक शानदार भूमिका निभाता है। आईसीईडी जयपुर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के अन्तर्गत पर्यावरण लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक अग्रणी संस्थान भी है। अपने आंतरिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए, आईसीईडी पर्यावरण के मुद्दों की लेखापरीक्षा पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं। इसके परिसर को देश की पहली जीआरआईएचए (एकीकृत पर्यावास निर्धारण हेतु हरित श्रेणी) **पांच सितारा श्रेणी हरित भवन** होने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

आईसीईडी, जयपुर

आईसीईडी का परिसर 16 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, जो ऐतिहासिक शहर जयपुर के ठीक बाहर अरावली पहाड़ियों की सुरम्य पृष्ठभूमि के बीच स्थित है। इसमें लगभग 10,537 पौधों एवं पेड़ों की एक विस्तृत हरित पट्टी है, जिसमें झाड़ियाँ, हेजेज एवं जैव-विविध भूभाग के पौधे शामिल हैं। कुल क्षेत्रफल में से, परिसर का 85 प्रतिशत हिस्सा 'हरित क्षेत्र' है जिसमें विविध वनस्पतियाँ एवं जीव-जंतु हैं।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति साई इंडिया की प्रतिबद्धता को पुख्ता करते हुए, आईसीईडी को जीवंत पर्यावरण का हिस्सा बनने के लिए डिज़ाइन किया गया था। परिसर में कई हरित विशेषताएं प्रदर्शित हैं।

- कंक्रीट एवं ईंटों में फ्लाई ऐश का उपयोग
- मौसमरोधी एवं जलवायु-लचीला भवन
- डिजाइन में ऊर्जा कुशल सुविधाएँ एवं जुड़नार
- सौर फार्म के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग
- जल संरक्षण वर्षा जल संचयन प्रणाली
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी का पुनः उपयोग
- दुर्लभ वृक्ष पार्क

इससे सतत पर्यावरण के प्रति साई इंडिया की प्रतिबद्धता एवं मजबूत होती है।

आईसीईडी, जयपुर के परिसर में निरंतरता

4.1.4 अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र (आईसीएएल)

देश में स्थानीय शासन की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जुलाई 2024 में राजकोट में आईसीएएल का उद्घाटन किया गया। केंद्र का उद्देश्य स्थानीय शासन की लेखापरीक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना तथा थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है, इसके अलावा लेखापरीक्षा के माध्यम से स्थानीय शासन को मजबूत करना तथा स्थानीय सरकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा व्यवस्था विकसित करना है। आईसीएएल द्विपक्षीय आदान-प्रदान एवं आईटीईसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों, साई एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ भी सहयोग करेगा।

4.1.5 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/केंद्र (आरसीबीकेआई/सीएस)

साई इंडिया के अधिकारियों/पदाधिकारियों के लिए लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी में गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में 10 क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई) स्थित हैं। ये संस्थान चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, प्रयागराज, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। दो क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई) बेंगलुरु एवं दिल्ली में स्थित हैं।

आरसीबीकेआई/सीएस इनको दिए गए विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान केन्द्रों के रूप में, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र विशेषज्ञता के क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम), वैयक्तिक अध्ययन तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते हैं। वे इन्हें आवंटित विशेषज्ञता क्षेत्रों में अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।

आरसीबीकेआई, शिलांग

आरसीबीकेआई, नागपुर

आरसीबीकेआई, प्रयागराज

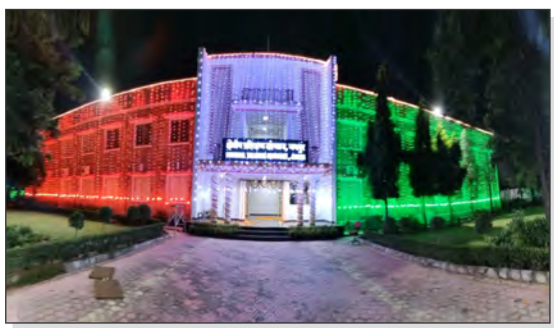

आरसीबीकेआई, जयपुर

अध्याय-5

हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

5.1. वित्तीय प्रबंधन-व्यय के घटक

हमने 2023-24 में ₹ 6,103.76 करोड़ खर्च किए। कुल व्यय का मुख्य भाग (88.43 प्रतिशत) हमारे मानव संसाधनों – 'वेतन' पर 83.05 प्रतिशत और 'यात्रा' पर 5.38 प्रतिशत पर व्यय किया गया था। व्यय के घटकवार विवरण आंकड़े दिए गए हैं:

व्यय के घटक (₹ करोड़ में)

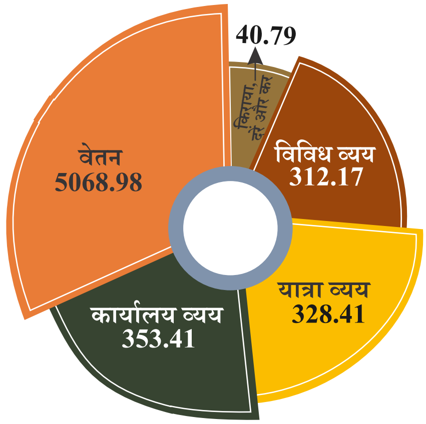

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 एवं 2022-23 के लिए कुल व्यय क्रमशः ₹ 5035.25 करोड़, ₹ 5,352.06 करोड़ और ₹ 5,871.02 करोड़ था।

5.1.1 कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान

व्यय में सबसे अधिक भाग सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों का है, जिसके बाद, लेखा एवं हकदारी कार्यालयों का व्यय आता है। समग्र रूप से हमने लेखापरीक्षा पर (मुख्यालय को छोड़कर) लगभग 67.89 प्रतिशत व्यय किया। लेखा एवं हकदारी कार्यालयों पर कुल व्यय लगभग 24.91 प्रतिशत था।

तालिका 1.5.1

कार्यालय की श्रेणी	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय कार्यालय	3,19.37	5.23
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	3,162.92	51.82
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	285.21	4.67
वित्त और संचार लेखापरीक्षा कार्यालय	184.31	3.02
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	301.64	4.94
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	161.68	2.65
लेखा एवं हकदारी कार्यालय	1,520.67	24.91
संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा (विश्व स्वास्थ्य संगठन-जनेवा और एफएओ-रोम में बाह्य लेखापरीक्षा निदेशकों का कार्यालय)	4.03	0.07
Overseas Audit offices	43.66	0.72
प्रशिक्षण	82.83	1.36
केंद्रीय अधिप्राप्तियां	37.44	0.61
कुल[1]	**6,103.76**	**100**

[1] उप-शीर्ष 'विभागीय कैंटीन' से संबंधित व्यय को 1 अप्रैल 2023 से वस्तु शीर्ष में संशोधन के साथ नियमित व्यय में मिला दिया गया है।

5.2 मानव संसाधन प्रबंधन

हमारे ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण जनता हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति है। आईएसएसएआई 40 निर्धारित करता है कि साई की तैयार की गयी नीतियों और प्रक्रियाओं को यह आश्वासन प्रदान करने के लिए स्थापित करना चाहिए कि इसमें पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं जो अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकते हैं।

हमारे श्रमबल को व्यापक रूप में चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

श्रेणी	अधिकारियों/स्टाफ की संख्या (31 मार्च 2024 तक)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा	664
पर्यवेक्षी संवर्ग	19,320
लेखापरीक्षा और लेखा स्टाफ	20,136
बहुविधि कार्य स्टाफ	2,200
कुल	**42,320**

साई इंडिया में 47.22 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबन्धकीय और पर्यवेक्षी स्तर पर हैं और 47.58 प्रतिशत लोग लेखापरीक्षा एवं लेखा स्टाफ में है। कुल क्षमता का केवल 5.20 प्रतिशत सहायता कार्य करते हैं।

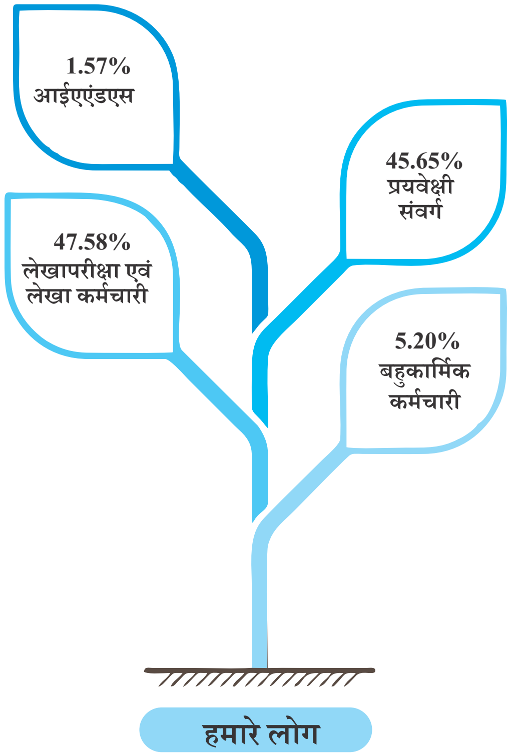

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा (आईएएंडएएस) अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। साई इंडिया के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों को भी पदोन्नति द्वारा इस सेवा में शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर, वे भारत सरकार में समूह 'क' सेवा का गठन करते हैं।

पर्यवेक्षी संवर्ग – राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (समूह क- राजपत्रित), सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (समूह ख-राजपत्रित) और पर्यवेक्षक (समूह ख-अराजपत्रित) होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा हैं। सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी या तो सीधे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं अथवा सामान्यतया अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने के बाद संवर्ग में उनकी पदोन्नति की जाती है।

लेखापरीक्षा एवं लेखा कर्मचारी – यह संवर्ग आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक (डीईओ), लिपिकों, लेखापरीक्षकों/लेखाकारों, वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों और सहायक पर्यवेक्षकों से बनता है और हमारे कुल श्रमबल का 47.58 प्रतिशत है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या फीडर संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहुकार्मिक कर्मचारी – विभिन्न भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग कार्यालयों में सभी सहायता कार्य बहुकार्मिक कर्मचारी द्वारा किए जाते है।

5.2.1 योग्यताएं

आईएएंडएएस संवर्ग में 15 डॉक्ट्रेट, 232 स्नातकोत्तर और 413 स्नातक हैं। उनमें से 395 व्यावसायिक रूप से योग्यता[2] प्राप्त अधिकारी हैं। वर्ग 'क', 'ख' और 'ग' के गैर आईएएंडएएस संवर्गों में अधिकारी और कर्मचारी भी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 64 डॉक्ट्रेट, 4,707 व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त कार्मिक, 4,889 स्नातकोत्तर और 21,839 स्नातक हैं।

5.2.2 भर्ती

क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम कर्मचारियों को कार्य पर लगाने मे 2023-24 के दौरान विभाग का ध्यान केन्द्रित करना जारी रहा। सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, मंडल लेखाकारों, लेखापरीक्षकों, आशुलिपिकों के पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से की गई मांग को 2023-24 के दौरान मूर्तरूप प्रदान किया गया।

- हमने 2023-24 में 8,048 व्यक्तियों अर्थात 1,986 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, 4,609 लेखापरीक्षक/लेखाकार, 923 मंडल लेखाकार, 144 कनिष्ठ अनुवादक, 86 डीईओ ग्रेड 'ए' 300 आशुलिपिक ग्रेड-II पद हेतु भर्ती की।
- विशिष्ट आवश्यकता आधार पर 2023-24 में 391 सलाहकार नियुक्त किए गए थे।

[2] अभियंता, प्रबंधक, डॉक्टर, सीए, आईसीडब्लूए, सीएफई, सीआईएसए आदि।

5.2.3 लिंग संतुलन

नीचे दी गई तालिका विभिन्न संवर्ग में विभाग के लिंगानुपात को दर्शाती है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरूष
आईएएंडएएस	194	470
पर्यवेक्षी संवर्ग एवं लेखापरीक्षा/लेखा कर्मचारी	6,125	33,331
बहुकार्मिक कर्मचारी	386	1,814
कुल	**6,705**	**35,615**

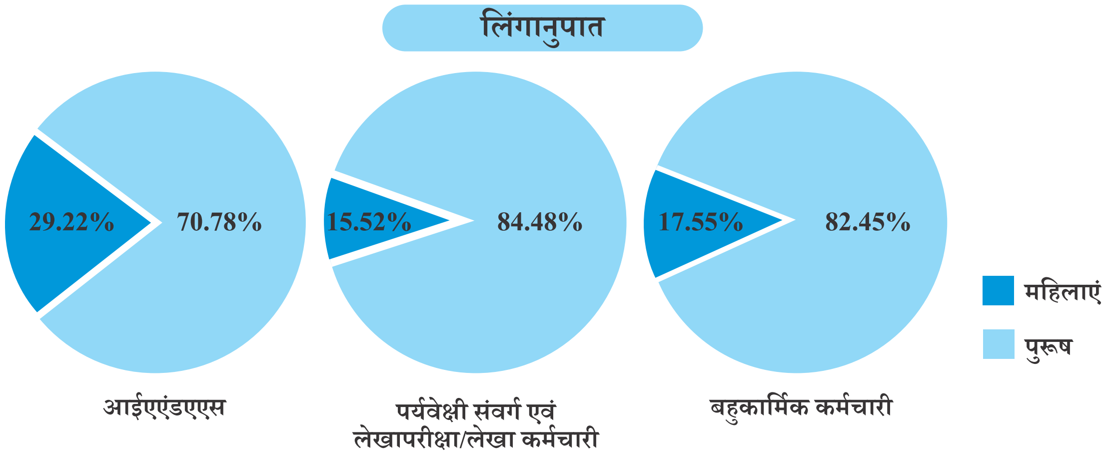

जबकि पर्यवेक्षी संवर्ग और बहुकर्तव्य कर्मचारी के मामले में महिलाओं का अनुपात क्रमशः 15.52 और 17.55 प्रतिशत था, यह आईएएंडएएस में 29.22 के प्रतिशत पर अधिक था।

5.2.4 कर्मचारी संघ

हमारे पास लेखापरीक्षा तथा लेखा कर्मचारी और पर्यवेक्षी सवंर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले 226 कर्मचारी संघ और पांच अखिल भारतीय संघ हैं। संबंधित क्षेत्र स्तरीय सेवा संघ के साथ प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा आवधिक रूप से राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थी।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा सीएजी कार्यालय परिसर में

खंड

2

हमारे अधिदेश को पूरा करना

- **अध्याय 1**
  हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना
- **अध्याय 2**
  हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना

अध्याय-1

हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना

1.1 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

लेखापरीक्षा प्रक्रिया भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, जैसा कि निम्नलिखित आरेख में दर्शाया गया है:

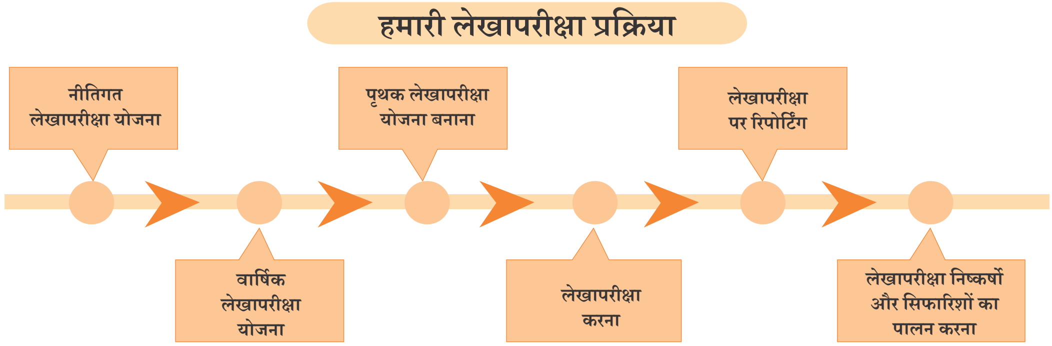

रणनीतिक योजना, दीर्घकालीन समयावधि के लिए साई इंडिया में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियोजन हेतु व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विकसित वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान निष्पादन हेतु अलग-अलग योजनाबद्ध लेखापरीक्षाओं का विवरण शामिल होता है। वार्षिक योजना कार्य में मामले या इकाई और उपलब्ध मानव संसाधन के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश; जोखिम निर्धारण; और अन्य प्रासंगिक मापदण्डों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता को भी ध्यान में रखा जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विषयों का चयन विभिन्न विचारों जैसे जोखिम निर्धारण, सार तथा महत्व, विषय की दृश्यता, पिछली लेखापरीक्षाएं, अनुमानित प्रभाव, योजना विकास का कवरेज और चरण, आदि द्वारा निर्देशित किया जाता है।

हम तैनात किए जाने वाले लेखापरीक्षा दलों, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तिथियों का वर्णन करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम भी बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय, सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित इकाई को एक निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष या वह जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उन्हें संघ तथा राज्य स्तर पर संसद/विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए आगे संसाधित किया जाता हैं।

लेखापरीक्षित इकाईयों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है और उनसे यह अपेक्षित है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजें। संघ और राज्य स्तरों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित लोक लेखा समितियों (पीएसी) और लोक उपक्रम समितियों (सीओपीयू) द्वारा चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की भी जाँच की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षित सत्वों/संस्थाओं द्वारा गठित लेखापरीक्षा समितियां लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिये एक तंत्र है। लेखापरीक्षित इकाई और साई इंडिया के अधिकारियों से बनी लेखापरीक्षा समितियां, अनुवर्ती प्रक्रिया का अनुवीक्षण करती हैं ताकि, अनुबोध अंतराल को कम किया जा सके और बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संप्रेषण के स्तर को बढ़ाया जा सके।

1.2 रणनीतिक योजना 2023-30

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में शासन तंत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है - जिस तरह से कारोबार संचालित किया जाता है, सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सूचना संसाधित की जाती है और जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है। शासन प्रक्रियाओं का परिवर्तन और बढ़ता डिजिटलीकरण कई अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। हमें बदलती पारिस्थितिकी तंत्र के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि हम समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा और लेखा सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों। इसलिए, यह हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को सरकार की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करें तथा ऐसे लक्ष्यों और रणनीतियों की पहचान करें जो हमारी कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए 2023-2030 की अवधि के लिए हमारी रणनीतिक योजना का विकास और उसे अपनाना आवश्यक हो गया।

2023-30 की अवधि के लिए साई इंडिया की रणनीतिक योजना का उद्देश्य हमारी प्रक्रियाओं को बदलना, मानकीकृत करना और संस्थागत बनाना है ताकि हम अधिक दक्षता और प्रभावशीलता के साथ अपने अधिदेश को प्राप्त कर सकें। यह योजना कई प्रमुख कारकों से प्रेरित है, जिनका हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे डिजिटल परिवर्तन, अधिक विकेंद्रीकरण, ज्ञान-केंद्रित दृष्टिकोण, सुशासन, हितधारक संबंध और गुणवत्ता आश्वासन।

हमारी रणनीतिक योजना 2023-30 में हमारे मुख्य कार्यों के साथ-साथ हमारी आंतरिक प्रक्रियाओं को संबोधित करने के लिए चार व्यापक लक्ष्यों के अंतर्गत 10 रणनीतियाँ शामिल हैं। लक्ष्य और रणनीतियाँ इस प्रकार हैं:

लक्ष्य 1 - पेशेवर और प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा के माध्यम से सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देना

पहला रणनीतिक लक्ष्य लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है, ताकि सार्थक लेखापरीक्षा परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इस लक्ष्य के अंतर्गत हमने निम्नलिखित पांच रणनीतियां तैयार की हैं, जिनका उद्देश्य लेखापरीक्षा नियोजन, निष्पादन और रिपोर्टिंग में बेहतर प्रथाओं को अपनाना है, ताकि लेखापरीक्षा गुणवत्ता और रिपोर्टिंग में सुधार के माध्यम से बेहतर मूल्य और समय पर प्रभाव प्रदान किया जा सके।

रणनीति 1 - मध्यम तीन-वर्षीय अवधि की लेखापरीक्षा योजना बनाकर लेखापरीक्षा नियोजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना

रणनीति एक प्रमुख विषय पर ध्यान केंद्रित करने की है जो नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण से सबसे अधिक प्रासंगिक है, तथा तीन वर्ष की अवधि में क्षैतिज लेखापरीक्षा के माध्यम से लेखापरीक्षा नियोजन और कार्यान्वयन में उस क्षेत्र को शामिल करना है। इस दृष्टिकोण में प्रासंगिक सतत विकास लक्ष्य के साथ लेखापरीक्षा का समयबद्ध संरेखण एक महत्वपूर्ण विचार है। मुख्य कार्य तीन वर्षीय योजना अवधि के दौरान अनेक लेखापरीक्षा रिपोर्टें होंगी, तथा उसके बाद तीन वर्षीय योजना अवधि के बाद क्षेत्रीय सार-संग्रह तैयार किया जाएगा।

रणनीति 2 - स्थानीय सरकार लेखापरीक्षा को मुख्यधारा में लाना

स्थानीय सरकार शासन का तीसरा स्तर बनाती है और केन्द्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के विशाल बहुमत को क्रियान्वित करती है। जमीनी स्तर पर लाभ प्रदान करने में स्थानीय सरकारों के प्रदर्शन का आकलन करने की आवश्यकता को समझते हुए, हमने स्थानीय सरकारों की लेखापरीक्षा को मुख्यधारा में लाने और बढ़ाने के लिए यह रणनीति विकसित की है।

रणनीति 3 – समकक्ष समीक्षा/तकनीकी लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना

इस रणनीति का उद्देश्य, सहकर्मी समीक्षा और तकनीकी निरीक्षण के माध्यम से, पूरे संस्थान में निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाला निष्पादन सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित करना तथा परिणामी सीख को सम्पूर्ण संगठन में तथा विशेष रूप से नवीनतम स्तर तक पहुंचाना है।

रणनीति 4 - निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कार्रवाई उन्मुख प्रभावी सिफारिशें करना ताकि निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई अधिक प्रभावी तरीके से की जा सके

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें कमियों के मूल कारणों का अध्ययन करने के बाद, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में लेखापरीक्षक की सिफारिशों के साथ कमियों को इंगित किया गया हो, उन पर कार्रवाई किए जाने और अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की अधिक संभावना होती है।

इस परिप्रेक्ष्य में, इस रणनीति में यह परिकल्पना की गई है कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों की कुशल निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, साई इंडिया को अपने लेखापरीक्षा उत्पादों में सिफारिश आधारित रिपोर्टिंग को अपनाना चाहिए।

रणनीति 5 - ज्ञान प्रबंधन और साझाकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाना

लेखापरीक्षा करने तथा निष्पक्ष लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने के लिए, वर्तमान जानकारी और 'ज्ञान' किसी भी साई के लिए आधारशिला हैं। बढ़ते डिजिटलीकरण और अनेक प्लेटफार्मों पर डेटा की उपलब्धता के साथ, ऐसे सभी 'ज्ञान' को एक प्रणाली के अंतर्गत एकत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे 'ज्ञान' को आसानी से प्राप्त किया जा सके और अधिक प्रभावी ढंग से उसका उपयोग किया जा सके। इस रणनीति में, इस प्रकार, साई इंडिया के भीतर एक औपचारिक और संरचित 'ज्ञान प्रबंधन प्रणाली' स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जो संगठन के भीतर 'ज्ञान' के आसान अधिग्रहण, विश्लेषण, संचार, उपयोगिता और साझाकरण की सुविधा प्रदान करेगी।

लक्ष्य 2 - सार्वजनिक पहुंच और हितधारकों के साथ संचार को बढ़ाना

यह रणनीतिक लक्ष्य पूरी तरह से हमारे हितधारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है; इसका उद्देश्य उन तक अपनी पहुंच बढ़ाना तथा उनके कार्यों को मूल्य प्रदान करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तीन रणनीतियां तैयार की गई हैं। ये रणनीतियां इस प्रकार हैं:

रणनीति 6 - विभागीय प्रशंसा नोट (डीएएन), प्रबंधन पत्र, अध्ययन रिपोर्ट, सार-संग्रह आदि जैसे मूल्यवर्धित लेखापरीक्षा उत्पादों को लाना और उनका उपयोग बढ़ाना, ताकि वे 'प्रबंधन के लिए सहायक' के रूप में कार्य करें।

इस रणनीति में हमारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अतिरिक्त नए लेखापरीक्षा उत्पाद तैयार करने की परिकल्पना की गई है, जिससे सूक्ष्म स्तर पर मुद्दों की अधिक व्यापक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। साई इंडिया के पास उपलब्ध सूचना, ज्ञान और विश्लेषण का उपयोग हमारे हितधारकों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार मूल्यवर्धित उत्पादों को विकसित करने के लिए किया जाना प्रस्तावित है, जिससे उन्हें लेखापरीक्षा में चिंता के प्रमुख मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

रणनीति 7 - हितधारकों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए ऑडिट दिवस जैसे अवसर मनाना (संचार नीति)

वैश्विक स्तर पर, साई ने साई की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने और साई के लेखापरीक्षा कार्य और परिणामों की समझ सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ने के महत्व को स्वीकार किया है। इस तरह की सहभागिता से हमारे हितधारकों की अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलती है तथा सुशासन के प्रति हमारे योगदान में उनका विश्वास कायम होता है। इस रणनीति का उद्देश्य हमारे लेखापरीक्षा परिणामों के प्रसार में साई इंडिया के

संचार और पहुंच का विस्तार करना है, साथ ही हमारे कामकाज के अन्य पहलुओं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साई इंडिया की उपस्थिति को उजागर करना है। हमारा उद्देश्य संचार और इसकी पहुंच के सभी पहलुओं के संबंध में साई इंडिया के भीतर एक सुसंगत दृष्टिकोण को सक्षम बनाना है।

रणनीति 8 - आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने और उसे मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना और उनसे जुड़ना

सरकार में जोखिम का बेहतर प्रबंधन और बेहतर आंतरिक नियंत्रण, सरकार के लेखों पर सीएजी द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन में काफी मददगार साबित होगा। इस रणनीति का उद्देश्य आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने और उसे मजबूत बनाने में केन्द्र और राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है।

लक्ष्य 3 - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, लेखा एवं हकदारी कार्यों में मूल्य संवर्धन करना

एकल रणनीति वाले इस लक्ष्य का उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने और वित्तीय सूचना विश्लेषण के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्य में मूल्य जोड़ने के लिए हमारे लेखों और पात्रताओं के साथ उपलब्ध वित्तीय आंकड़ों का उपयोग करना है।

रणनीति 9 - लेखापरीक्षा कार्य में मूल्य संवर्धन और वित्तीय सूचना विश्लेषण को समर्थन देने के लिए लेखा एवं हकदारी कार्यालयों को विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करना

साई इंडिया के लेखा एवं हकदारी (ले.एवं हक.) कार्यालय, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य सरकारों का प्रथम संपर्क बिंदु हैं। राज्य प्रणालियों और आईटी क्रांति के साथ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों को एकीकृत करने से वित्तीय सूचना प्रवाह और बड़े डेटासेट तक पहुंच में सुधार होता है।

इस रणनीति का उद्देश्य लेखा एवं हकदारी कार्यालयों को विश्लेषणात्मक प्लेटफार्मों में बदलना है, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सहायता के लिए आउटपुट तैयार करेंगे तथा लेखापरीक्षा कार्य को समर्थन देने के लिए निरंतर इनपुट प्रदान करेंगे। आईटी सक्षम निरंतर सुधार से हकदारी कार्यों की सेवा वितरण को और बढ़ावा मिलेगा।

लक्ष्य 4 - भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के भीतर आईटी संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना

इस रणनीतिक लक्ष्य का लक्ष्य विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर हमारी आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति तैयार की गई है।

रणनीति 10 – साई इंडिया में बेहतर निष्पादन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

हाल ही में हमने संपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया स्वचालन के लिए अपने सभी लेखापरीक्षा कार्यालयों को वन आईएएंडएडी वन सिस्टम (ओआईओएस) प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक शामिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह रणनीति, संगठन में मौजूदा आईटी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में हमारी आईटी आधारित क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2023-30 के लिए आगे का रास्ता बताती है।

- लेखापरीक्षा - लेखापरीक्षा प्रक्रिया स्वचालन, डेटा विश्लेषण और आईटी लेखापरीक्षा;
- हकदारी;
- लेखें और अन्य लेखा एवं हकदारी अनुप्रयोग;
- प्रशासन एवं अन्य संबंधित क्षेत्र; और
- आईटी अवसंरचना।

2023-30 की अवधि के लिए साई इंडिया की रणनीतिक योजना https://cag.gov.in/uploads/media/project_flip_book/index.html पर उपलब्ध है।

प्रत्येक 10 रणनीतियों के संबंध में रणनीति प्रबंधकों को रणनीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु नामित किया गया है। रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की समग्र निगरानी के लिए उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समन्वय एवं विधि) की अध्यक्षता तथा रणनीति प्रबंधकों की अन्य सदस्यों वाली एक रणनीतिक योजना निगरानी समिति का भी गठन (जनवरी 2024 में) किया गया है।

1.3 वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023-24 में अनिवार्य वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी गई। अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा का हमारा कवरेज जोखिम मूल्यांकन और हमारे शेष संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा निर्देशित था, जिसमें लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर दिया गया था।

हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ कई बार विचार-विमर्श करने के बाद, 2023-24 के दौरान 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)', 'ग्रीन इंडिया मिशन', 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की क्लस्टर आधारित योजनाएं' और 'स्मार्ट सिटीज मिशन' पर अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा शुरू किए गए। इनके अलावा, हमने 'जिला खनिज निधि ट्रस्टों (डीएमएफटी) सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन' पर क्रॉस कटिंग लेखापरीक्षा किया।

1.4 लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम एवं उपलब्धियाँ

साई इंडिया के मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू), और उनके अधीन स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करना शामिल है। साई इंडिया इन कार्यात्मक क्षेत्रों में वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा का आयोजन करता है।

इन लेखापरीक्षाओं के मुख्य परिणाम निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र हैं, जो लेखापरीक्षित इकाई के प्रबंधन को जारी किए जाते हैं। इन लेखापरीक्षा परिणामों में सूचित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अंतर्गत संसद/राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन लेखापरीक्षा परिणामों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना साई इंडिया का मुख्य परिणामी क्षेत्र है। आगामी परिच्छेदों में, हमने 2023-24 के दौरान अपने द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं तथा हमारे लेखापरीक्षा परिणामों के मुख्य बिंदुओं की सूचना दी है।

1.4.1 वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

संघ तथा राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, साई इंडिया आर्थिक सहायता करारों के भाग के रूप में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय को भी प्रमाणित करता है।

2023-24 के दौरान, हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य सत्त्वों के 7,442 लेखाओं की जांच की और प्रत्येक लेखे के लिए एक लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र टिप्पणियां जारी की। इनमें से केवल 1,495 लेखे निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हुए। तथापि, अधिकतर लेखों के विलंब से प्राप्त होने के बावजूद 5,784 लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र निर्धारित समय के अंतर्गत जारी किए।

से संबन्धित लेखा	जांच किए गए लेखा की संख्या	निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त लेखा	निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र
संघ/राज्य सरकार	214	140	145
पीएसयू (केंद्र/राज्य)	1,698	744	1,145
स्वायत्त निकाय (केंद्र/राज्य)	1,243	424	592
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (केंद्र/राज्य)	198	95	132
अन्य (केंद्र/राज्य)[1]	4,089	92	3,770
कुल	**7,442**	**1,495**	**5,784**

लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलंब मुख्यत लेखापरीक्षित निकायों से लेखे प्राप्त होने में विलंब, प्रबंधन/सांविधिक लेखापरीक्षक से उत्तर/प्रत्युत्तर की प्राप्ति में विलंब, संशोधित लेखे प्राप्त होने में विलंब, जो एक वर्ष से अधिक समय तक लेखाओं की प्राप्ति आदि के कारण हुआ।

1.4.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

1.4.2.1 लेखापरीक्षा कवरेज

2023-24 के दौरान कुल 40,382 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई है। इसके सापेक्ष वर्ष के दौरान 38,391 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर 95.72 प्रतिशत नियोजित लेखापरीक्षाएं तथा राज्य स्तर पर 94.73 प्रतिशत नियोजित लेखापरीक्षाएं पूरी हो गईं।

लेखापरीक्षा कवरेज

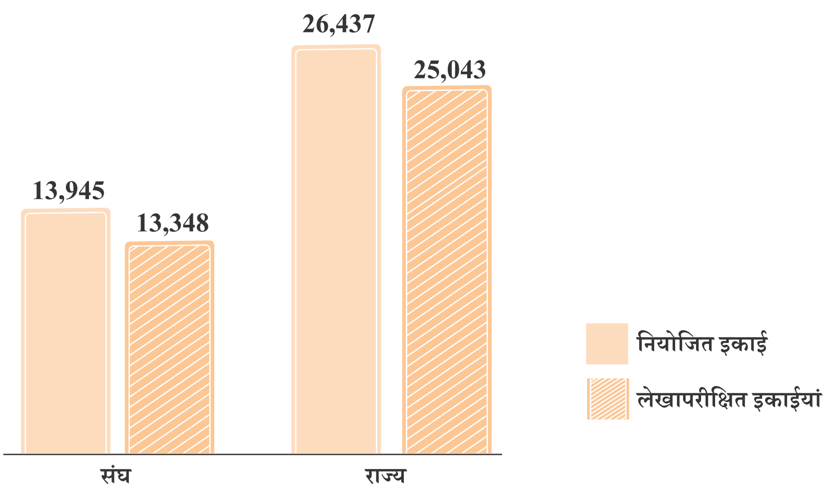

[1] अन्य में ग्राम पंचायत और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखा शामिल हैं।

1.4.2.2 निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर) लेखापरीक्षित सत्व को प्रत्येक लेखापरीक्षा पूरी होने पर जारी की जाती है। इनमें से, वर्ष के दौरान 38,391 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई, 22,603 इकाईयों (58.88 *प्रतिशत*) के मामलों में 2023-24 में आईआर जारी की गई। इसके अतिरिक्त, 2023-24 से पहले लेखापरीक्षित इकाइयों के लिए 5,682 आईआर भी जारी किए गए।

संघ स्तर पर 78.96 *प्रतिशत* आई.आर. समय पर अर्थात् 30 दिनों के भीतर जारी किए गए, जबकि राज्य स्तर पर समय पर निष्पादन 69.51 *प्रतिशत* रहा।

निरीक्षण प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान वास्तव में लेखापरीक्षित इकाईयों के लिए जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदन	2023-24 से पहले लेखापरीक्षित इकाइयों को जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान जारी की गई कुल निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों के अंदर जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों में जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतिशतता
संघ	8,062	1,527	9,589	7,571	78.96
राज्य	14,541	4,155	18,696	12,995	69.51
कुल	**22,603**	**5,682**	**28,285**	**20,566**	**72.71**

1.4.2.3 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सम्मिलित किया जाता है। 2023-24 के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में कुल 629 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (संघीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 162 एवं राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 467) सम्मिलित की गई। स्टैंडअलोन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए महत्वपूर्ण विषय थे 'चयनित सीपीएसई की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा' एवं 'क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)'। इसके अलावा, डाक विभाग के विरासत भवनों के संरक्षण, बीएसएनएल में संपदा प्रबंधन, बीएसएनएल ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना, भारतीय रेलवे में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन एवं भारतीय रेलवे में पार्सल सेवाओं के प्रबंधन पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा भी की गई।

संघ स्तर पर, 162 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 86 को स्वीकार कर लिया गया तथा 20 को लेखापरीक्षित संस्थाओं द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। राज्य स्तर पर, 467 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 223 को स्वीकार कर लिया गया तथा 94 को लेखापरीक्षित संस्थाओं द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।

1.4.3 निष्पादन लेखापरीक्षा

अनुच्छेद 1.3 में उल्लिखित अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा एवं क्षैतिज लेखापरीक्षा के अलावा, संघ एवं राज्य स्तर पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण विषय थे 'सरकारी ई-मार्केटप्लेस', 'एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं', 'हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों (एफएएमई) योजना का तेजी से अपनाना एवं विनिर्माण', 'प्रमुख बंदरगाहों का परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन', 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) (रक्षा कर्मियों एवं घायल कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपायों की लेखापरीक्षा सहित)', 'भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लंबी दूरी की ट्रेनों की सफाई एवं स्वच्छता', 'नए एम्स की स्थापना', 'उभरते भंडारण क्षेत्र में केंद्रीय भंडारण निगम की विकास पहल', 'बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन', 'झारखंड में आदिवासी भूमि का प्रबंधन' 'लौह अयस्क का खनन' – छत्तीसगढ़, 'ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गतिविधियाँ', 'उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का कामकाज', 'ईएससीओएम की एकीकृत विद्युत विकास योजना', 'राजस्थान में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को मजबूत करना', 'महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देना एवं विकास करना।

1.4.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संविधान का अनुच्छेद 151 यह परिकल्पित करता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संसद या राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदनों को तैयार करेंगे एवं राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करेंगे।

2023-24 के दौरान 115 लेखापरीक्षा रिपोर्टों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 21 रिपोर्टें संसद में एवं 94 राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत की जानी थीं। 2023-24 के दौरान 115 लेखापरीक्षा रिपोर्टों में से 12 संघीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 26 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत की गईं। इसके अलावा, अप्रैल 2023 से पहले अनुमोदित पांच संघीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 48 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी 2023-24 के दौरान क्रमशः संसद एवं राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की गईं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद/राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किए जाने के बाद, https://cag.gov.in/audit-reports पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

1.4.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.4.5.1 लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसाओं की स्वीकृति

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के बीच, अनुमोदित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में की गई 2,238 अनुशंसाओं में से औसतन 823 सिफारिशें लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा स्वीकार की गईं।

2023-24 के दौरान अनुमोदित 115 लेखापरीक्षा रिपोर्टों में की गई अनुशंसाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	की गई सिफारिशें	स्वीकार की गई सिफारिशें
केंद्र सरकार	21	347	156
राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सरकारें	94	1,798	959
कुल	**115**	**2,145**	**1,115**

इस प्रकार, 2023-24 के दौरान अनुमोदित 115 लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 2,145 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 1,115 सिफारिशें लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा स्वीकार की गईं।

1.4.5.2 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली

हमारी कुछ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां करों के कम निर्धारण या राजकोष को विशिष्ट हानि से संबंधित हैं, जिससे संबंधित पक्षों से वसूली की आवश्यकता होती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा में बताए जाने पर की गई वसूली नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

	स्वीकृत की गई वसूली	प्रभावित वसूली
केंद्र सरकार	18,375.31	4,558.07
राज्य सरकार	44,057.79	1,708.61
कुल	**62,433.10**	**6,266.68**

1.4.5.3 पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रभाव

(i) वित्तीय प्रभाव

सरकारी कंपनियों तथा निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। 2023-24 के दौरान 1,403 कंपनियों एवं निगमों (संघ एवं राज्य दोनों) के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी एवं लेखाओं पर इन लेखापरीक्षाओं का प्रभाव था: (क) लेखा टिप्पणियों में संशोधन: ₹ 75,479.01 करोड़ (ख) वर्गीकरण गलतियाँ: ₹ 1,11,365.07 करोड़ (ग) लाभ एवं हानि में परिवर्तन: ₹ 55,883.75 करोड़, एवं (घ) परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में परिवर्तन: ₹ 2,58,849.23 करोड़।

(ii) सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में पुनरीक्षण

वर्ष 2022-23 के लिए प्रमाणन लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा पूछताछ/टिप्पणियों के आधार पर, **भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड (बीएलएएल), बीईएमएल लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड (एमआईडीएएनआई), विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) एवं बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संशोधित किए गए।**

(iii) लेखाकरण नीतियों/लेखाओं के लिए टिप्पणियों में परिवर्तन (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए प्रबंधन पत्रों एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा:

- मई 2023 में जारी प्रबंधन पत्र के आधार पर, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में लेखा नीति को **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)** द्वारा संशोधित किया गया था।
- वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों पर जारी प्रबंधन पत्र के आधार पर, **कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने वार्षिक लेखों में एमसीए अधिसूचना के अनुसार एमएसएमई एवं अन्य के संबंध में व्यापार देय की उम्र बढ़ने की अनुसूची के बारे में खुलासा किया।
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर, **हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)** ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने लेखा नोट्स में निम्नलिखित नीतियों को सम्मिलित किया है:
  - प्राकृतिक गैस परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में एक नीति
  - पूंजीगत कार्य-प्रगति पर एक नीति
- वर्ष 2022-23 के लिए स्टैंडअलोन लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, **एनएमडीसी लिमिटेड** ने अपने लेखों में खुलासे किए हैं जैसे कि पट्टा संख्या का खदानवार विवरण, खानों का विवरण, पट्टे की अवधि, खानों का उपयोगी जीवनकाल, परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं के संचालन में सम्मिलित जोखिम आदि।
- जारी किए गए प्रबंधन पत्र के आधार पर, **ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)** ने इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के संबंध में 2022-23 के वित्तीय विवरणों में अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है।

- वर्ष 2022-23 के लेखों पर लेखापरीक्षा जांच के आधार पर, **केआईओसीएल लिमिटेड** ने इन्वेंट्री पर अपनी मौजूदा लेखांकन नीति को संशोधित किया है।
- जारी की गई लेखापरीक्षा जांच के आधार पर, **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)** के कॉर्पोरेट कार्यालय ने ओनेरस कांट्रैक्ट प्रोविज़न से संबंधित सभी इकाइयों में व्यवहार में एकरूपता लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
- लेखापरीक्षा जांच के आधार पर, **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)** ने इन्वेंटरी प्रावधान लेखांकन को एलआईएफओ से एफआईएफओ में बदल दिया। इसने निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन के आधार पर कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश नकदीकरण (वीएल) के भुगतान के नियमों में भी परिवर्तन किया।
- लेखापरीक्षा जांच के आधार पर, **बीईएमएल लिमिटेड** ने बीईएमएल बुक में बीएलएल को ऋण के रूप में बीईएमएल द्वारा भुगतान किए गए सभी संपत्ति करों का खुलासा किया। इसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों को भुगतान किए गए एवं तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित यात्रा अग्रिमों को भी मंजूरी दे दी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान तीन साल से अधिक समय से लंबित सभी कार्य आदेशों का भी निपटान किया।
- लेखापरीक्षा जांच के आधार पर, **मिश्र धातु एल्युमीनियम निगम लिमिटेड (एमआईडीएचएएनआई)** ने पांच वर्ष से अधिक पुरानी सामग्री, जिसे सीधे आगे संसाधित नहीं किया जा सकता है, को पुनः-पिघलाने में आगे की प्रक्रिया एवं बिक्री आदेशों के साथ डब्लूआईपी वस्तुओं की मैपिंग के लिए कबाड़ श्रेणी में अस्वीकृत के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है।

(iv) लेखाकरण नीतियों/ लेखाओं के लिए टिप्पणियों में परिवर्तन (राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क) कर्नाटक

- **कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)** के वार्षिक लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई टिप्पणी के आधार पर, राज्य सरकार ने ईएससीओएम को वित्त वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए मैसर्स केपीसीएल को देय ₹17,016.54 करोड़ की अंतिम रूप से संगत एवं सहमत बकाया विद्युत क्रय लागत देयताओं को अपनी लेखा बहियों में सम्मिलित करने के आदेश जारी किए हैं एवं एस्कॉम को केपीसीएल को उपर्युक्त बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
- **कर्नाटक स्टेट मैंगो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु** के अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर, सरकारी अनुदान के संबंध में लेखा नीति को संशोधित किया गया था एवं वर्ष 2022-23 के लेखों को संशोधित किया गया था।
- **केपीसी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों के आधार पर, येलहंका कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट (वाईसीसीपीपी) के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय को वर्ष के दौरान वाईसीसीपीपी की प्रगति में पूंजीगत कार्य से बट्टे खाते में डाल दिया गया था क्योंकि इस

तरह के व्यय में संयंत्र के लिए कोई परिसंपत्ति/मूल्य नहीं था एवं किए गए परिवर्तन का खुलासा वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में असाधारण मद के अंतर्गत किया गया था।

ख) मध्य प्रदेश

- **एमपी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर** के लेखों पर टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेखों में नोट्स में आकस्मिक देनदारियों के खुलासा पर अपनी नीति पर पुनर्विचार किया है।
- **एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर** के वार्षिक लेखों पर टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी ने लेखों में नोट्स के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण में वास्तविक आय एवं नियामक आस्थगित लेखा शेष की मान्यता के आधार का खुलासा किया।
- **एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर** के वार्षिक लेखों पर टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी ने अपनी नीति पर फिर से विचार किया एवं वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण में दिए गए नोट्स टू अकाउंट्स में प्राप्त अनुदान की राशि एवं ब्याज आय का अलग से खुलासा किया।

ग) दिल्ली

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर **दिल्ली परिवहन निगम** ने लेखा मानक 12 के अनुसार उपयोग किए गए पूंजीगत कार्यों के लिए सरकार द्वारा सहायता अनुदान हेतु अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया एवं उसे अपनाया।

1.4.5.4 लेखापरीक्षा के आग्रह पर नीतियों, कानूनों एवं नियमों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन

हमारी अभ्युक्तियों के आधार पर संघ/ राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा बनाई गई नीतियों, कानूनों, नियमों एवं प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं:

संघ लेखापरीक्षा

(i) प्रत्यक्ष कर- 2022 की प्रतिवेदन संख्या 12: 'चैरिटेबल ट्रस्टों एवं संस्थानों को छूट' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर, वित्त अधिनियम 2023 ने आयकर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन पेश किए:

क) आयकर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के *स्पष्टीकरण 4 में एक नया खंड (iii)* सम्मिलित करना, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा चालू वर्ष की आय में से दान के रूप में किसी अन्य ट्रस्ट को जमा या भुगतान की गई राशि को आवेदन माना जाएगा।

ख) *नए आईटीआर फॉर्म-7 की शुरुआत:* चैरिटेबल ट्रस्टों/संस्थाओं के लिए लागू एक नया आईटीआर फॉर्म-7 पेश किया गया, जिसमें योगदानकर्ता/दाता से संबंधित डेटा/सूचना को सम्मिलित किया गया, जैसा कि धारा 80जी (5) के संबंध में किया गया था, ताकि योगदान/दान की गई धनराशि के लिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाई जा सके।

ग) आयकर अधिनियम 1962 के नियम 16सीसी एवं नियम 17बी में संशोधन तथा धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत या धारा 10(23सी) के अंतर्गत अनुमोदित *चैरिटेबल ट्रस्टों या संस्थानों द्वारा*

फॉर्म संख्या 10बी एवं फॉर्म संख्या 10बीबी में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ii) प्रत्यक्ष कर- 2022 की प्रतिवेदन संख्या 6: 'रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर, वित्त अधिनियम 2023 ने आयकर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन पेश किए:

क) *अधिनियम की धारा 10एए* में संशोधन करके धारा 10एए के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए निर्यात प्राप्ति हेतु छह महीने की समय सीमा तय की गई (1 अप्रैल 2024 से प्रभावी)। धारा 10एए में एक नई उपधारा (4ए) डाली गई, जो किसी इकाई पर लागू होती है, यदि माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त आय, पिछले वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में दी गई अतिरिक्त अवधि के भीतर, परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती द्वारा भारत में प्राप्त की जाती है या लाई जाती है।

ख) *अधिनियम की धारा 56 (2) (viib)* में संशोधन के माध्यम से, 'निवासी होने' शब्द को हटा दिया गया है ताकि 'अनिवासी' को भी शेयरों के निर्गम पर प्राप्त अतिरिक्त शेयर प्रीमियम को जोड़ने के दायरे में सम्मिलित किया जा सके।

ग) *धारा 142 (2ए) में खंड (ii)* को सम्मिलित करना, जिसके अनुसार निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को पी. टी. सी. सी. आई. टी./सी. सी. आई. टी./पी. आर. सी. आई. टी./सी. आई. टी. के पूर्व अनुमोदन के साथ लागत लेखाकार द्वारा मूल्यांकन सूची प्राप्त करने का निर्देश दे सकता है, एवं ऐसे लागत लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में ऐसे सूची मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है एवं ऐसे विवरण, जो निर्धारित किए जाएं (नियम 14ए एवं प्रपत्र संख्या 6डी) एवं ऐसे अन्य विवरण, जो निर्धारण अधिकारी को आवश्यक हों, प्रस्तुत कर सकता है।

(iii) अप्रत्यक्ष कर- वस्तु एवं सेवा कर - 2022 की प्रतिवेदन संख्या 5: अनुपालन लेखापरीक्षा

क) लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि रिटर्न की जांच की एक प्रभावी जोखिम आधारित मानकीकृत प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिसमें जांच के रिटर्न का जोखिम आधारित चयन सम्मिलित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर, सी. बी. आई. सी. ने मई 2023 में विभिन्न जोखिम मापदंडों के आधार पर रिटर्न की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।

ख) यह पाया गया कि डी. डी. एम. पोर्टल पर, विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन के महानिदेशालय (डी. जी. ए. आर. एम.) की रिपोर्ट एवं इन रिपोर्टों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई अपलोड की गई थी। हालांकि, इन रिपोर्टों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई विस्तृत कार्रवाई जैसे कि नोट की गई विसंगति की प्रकृति को समझाने के लिए करदाता के साथ पत्राचार एवं उसी पर करदाताओं की प्रतिक्रिया लेने के लिए भौतिक रूप से/ऑफ़लाइन किया गया था। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि पारदर्शिता एवं प्रभावी वास्तविक समय निगरानी की सुविधा के लिए सीबीआईसी-जीएसटी मंच के हिस्से के रूप में गतिविधियों के पूरे सेट को प्रारम्भ से अंत तक

स्वचालित किया जाना चाहिए एवं समयसीमा तय करने की भी सिफारिश की, जिसमें विभाग के कार्यालयों को डीजीएआरएम रिपोर्टों पर कार्रवाई पूरी करनी चाहिए, जिसके विरुद्ध प्रगति की निगरानी की जा सके।

लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर, सीबीआईसी ने मई 2023 में केंद्रीय कर अधिकारियों के लिए स्वचालित रिटर्न जांच मॉड्यूल शुरू किया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर, सीबीआईसी द्वारा सीजीएसटी क्षेत्रों/आयुक्तालयों द्वारा डीजीएआरएम रिपोर्टों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई पूरी करने के लिए एसओपी जारी किया गया था।

(iv) रेलवे लेखापरीक्षा: 2019 की प्रतिवेदन संख्या 19 (अनुपालन लेखापरीक्षा)

(क) लेखापरीक्षा ने 2015-16 से 2017-18 के दौरान निजी माल टर्मिनलों (पीएफटी) के कामकाज की समीक्षा करते हुए पाया कि भूमि लाइसेंस शुल्क, विभाग शुल्क, मरम्मत एवं रखरखाव, शंटिंग स्टेबलिंग शुल्क आदि जैसे विभिन्न शुल्कों के कारण कुल ₹ 33.60 करोड़ बकाया थे, साथ ही तैनात वाणिज्यिक कर्मचारियों की लागत के लिए ₹ 13.20 करोड़ अभी भी (टर्मिनल प्रबंधन कंपनी) टीएमसी से वसूल किए जाने थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने भूमि लाइसेंस शुल्क (एलएलएफ) की गलत गणना एवं आज तक इसकी वसूली न होने के संबंध में भी आपत्ति उठाई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर, रेल मंत्रालय ने अगस्त 2023 में जारी पत्र के माध्यम से सभी महाप्रबंधकों को बकाया राशि वसूलने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी एवं रेलवे बोर्ड के संबंधित निदेशालयों से जारी संबंधित नीतियों, परिपत्रों के अनुसार भूमि लाइसेंस शुल्क को समय पर बढ़ाने एवं वसूलने की भी सलाह दी।

(ख) लेखापरीक्षा ने बताया कि रेलवे को पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ योजना को पुनः तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि पीएफटी द्वारा लगाया गया शुल्क रेलवे की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो एवं रेलवे को नियमों एवं विनियमों को सरल बनाने तथा पूरे जोन के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली बनाने की भी आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में कमियों को दूर करने के लिए, पीएफटी की नीति एवं कार्यान्वयन के मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सरलीकृत प्रक्रिया एवं एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली के उद्देश्य से संशोधित नीति मास्टर परिपत्र के रूप में जारी की गई है।

(v) मार्च 2019 में "ढुलाई शुल्क के अ-युक्तिकरण के कारण ₹2.36 करोड़ का नुकसान" पर जारी विशेष पत्र के आधार पर, रेलवे बोर्ड, अक्टूबर 2023 में जारी आदेशों के अनुसार, 40 फीट कंटेनरों की आवाजाही के लिए ढुलाई शुल्क के लिए संशोधित दिशानिर्देश।

(vi) परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी संबंधित परियोजना को सर्वेक्षण की लागत का पूंजीकरण न करने के संबंध में मसौदा पैरा के रूप में जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, इस तथ्य के बावजूद कि ये परियोजनाएं पूरी हो गई थीं एवं संबंधित मंडलों को भी सौंप दी गई थीं, रेलवे बोर्ड ने अपने निर्देशों में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि जब किसी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, तो सर्वेक्षण परियोजना पर किया गया व्यय संबंधित परियोजना को हस्तांतरित कर दिया जाता है, भले ही व्यय मूल रूप से जिस भी वर्ष में किया गया हो।

राज्य लेखापरीक्षा

(i) ओडिशा

लेखापरीक्षा ने सूचित किया **(पीए, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी पर निरीक्षण प्रतिवेदन)** कि भुगतान सीधे इंजीनियरों के खातों में किया गया था, जिन्होंने आगे विक्रेताओं/ठेकेदारों को भुगतान किया। लेन-देन की इस प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव था, जिसके कारण सरकारी धन के दुरुपयोग/संदिग्ध व्यय की आशंका थी। लेखापरीक्षा के आग्रह पर, ओडिशा सरकार ने जेई/एई/किसी भी कर्मचारी के खाते में राशि जमा करने की इस प्रथा को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए।

(ii) राजस्थान

लेखापरीक्षा ने बताया **(वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 2- आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)** कि राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं नियम, 1951 की धारा 4(2) एवं नियम 25 में पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) के अभ्यर्पण या उपयोग न करने की न्यूनतम अवधि स्टेज कैरिज के लिए सात दिन तथा राजकीय कैरिज के अलावा अन्य के लिए एक माह निर्धारित की गई है, किन्तु वाहन के उपयोग न करने की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर, राज्य सरकार ने राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 25 (2) में संशोधन किया है।

(iii) केरल

(क) **2022 की प्रतिवेदन संख्या 9: शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा** – लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं के आधार पर, केरल सरकार द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन अपनाए गए थे

- सैनिटरी अपशिष्ट का संग्रहण: लेखापरीक्षा के आग्रह पर, केरल सरकार ने सैनिटरी अपशिष्ट सहित घरेलू जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण, निक्षेपण एवं निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
- डंपसाइट्स की स्थिति - लेखापरीक्षा में बताया गया कि सभी पुराने खुले डंपसाइटों एवं मौजूदा परिचालन डंपसाइटों की जैव-खनन एवं जैव-उपचार की क्षमता के लिए जांच एवं विश्लेषण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा के आग्रह पर, केरल सरकार ने जैव-उपचार के माध्यम से पुराने अपशिष्ट डंप यार्डों के उपचार के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
- लेखापरीक्षा के आग्रह पर, केरल सरकार ने ठोस अपशिष्ट के घर-घर जाकर संग्रहण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह को सुदृढ़ करने के लिए स्पष्टीकरण आदेश जारी किए।

(ख) **कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी सड़क प्रभाग, कोझिकोड** के कार्यालय की निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, सरकार ने ठेकेदारों के लिए बोलियां प्रस्तुत करते समय यह घोषित करना अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी संबंधित व्यक्ति/फर्म आदि ने उस निविदा के लिए बोलियां प्रस्तुत नहीं की हैं।

(iv) तमिलनाडु

- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए **तमिलनाडु भंडारण कॉरपोरेशन (टीएनडब्ल्यूसी) पर निरीक्षण प्रतिवेदन**) के आधार पर, कंपनी ने भंडारण विकास एवं

नियामक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार सभी गोदामों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय अपनाए थे।

- अधिशेष निधियों के निवेश से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों **(2023-24 की अवधि के लिए तमिलनाडु वन रोपण निगम लिमिटेड (टीएएफसीओआरएन) पर निरीक्षण प्रतिवेदन)** के आधार पर - टीएएफसीओआरएन में निवेश नीति / समर्पित श्रमशक्ति की कमी, कंपनी ने अपनी निवेश नीति तैयार की थी एवं इसे अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया था।
- विभिन्न **निरीक्षण प्रतिवेदनों** में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, वाणिज्यिक कर एवं पंजीयन विभाग ने संपत्ति के मूल्य के आधार पर भूमि एवं भवन के समग्र मूल्य पर स्टाम्प शुल्क में संशोधन किया है।

1.4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई

आईएसएसएआई 10 में निर्धारित किया गया है कि साई के पास अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्वतंत्र प्रक्रियाएं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या लेखापरीक्षित संस्थाएं अपनी अभ्युक्तियों एवं अनुशंसाओं को उचित प्रकार से हल करती हैं एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2020 में यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित विभाग की सरकार के सचिव लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति को प्रस्तुत करने के लिए अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा अनुछेदों पर की गई स्व-व्याख्यात्मक कार्रवाई नोट तैयार करेंगे, जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

कार्रवाई नोट (एटीएन) में कहा गया है कि-

- क्या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में तथ्य एवं आंकड़े स्वीकार्य हैं;
- क्या ऐसी परिस्थितियां घटीं जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितता हुई है;
- इसे पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी एवं संभावित समय सीमा तय करने के लिए की गई कार्रवाई;
- वसूली की वर्तमान स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों एवं अनुशंसाओं पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई; तथा
- भविष्य में इसी प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई।

वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों (1,795 एटीएन) एवं राज्य सरकारों (1,032 एटीएन) से 2,827 एटीएन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,475 एटीएन (केंद्र सरकार से 1,558 एटीएन एवं राज्य सरकार से 917 एटीएन) की साई इंडिया के कार्यालयों द्वारा जांच की गई। वर्ष के दौरान 1,974 एटीएन (केन्द्र सरकार से 1,025 एटीएन एवं राज्य सरकार से 949 एटीएन) का निपटारा किया गया। मार्च 2024 के अंत तक जांच के बाद भी 9,316 एटीएन (863 केंद्र सरकार से संबंधित एवं 8,453 राज्य सरकारों से संबंधित) निपटान के लिए लंबित थे। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक 6,907 एटीएन (केंद्र सरकार- 172, राज्य सरकारें- 6,735) सरकारों द्वारा एक बार भी प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा भविष्य में ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई अथवा प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई को सत्यापित नहीं कर सका।

अध्याय-2

हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 10, 11 और 12 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में संघ तथा राज्यों के लेखाओं के संबंध में सीएजी के कर्त्तव्य तथा शक्तियां निर्धारित की गई हैं। सीएजी पर राज्य सरकारों (एनसीटी दिल्ली एवं गोवा को छोड़कर) के लेखाओं के संकलन और इन्हें तैयार करने, 20 राज्यों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) लेखाओं का अनुरक्षण, 19 राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने और नौ राज्यों में राजपत्रित हकदारी (जीई) कार्यों एवं 18 राज्यों में लोक निर्माण संभागीय लेखाकारों का कैडर नियंत्रित करने का दायित्व है। विवरण इस अध्याय के अंत में तालिका-II.2.1 में प्रस्तुत किए गए है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्य निष्पादन की निगरानी के अतिरिक्त, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (जीए) के प्रभार के अंतर्गत सरकारी लेखा (जीए) स्कन्ध संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत सलाह भी प्रदान करता है, जिसमें मुख्य रूप से संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने, प्रपत्र, प्रक्रियाएं और लेखांकन नियम से संबंधित सलाह सम्मिलित है।

2.1 लेखा कार्य से संबंधित निष्पादन

2.1.1 राज्य के प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले)/महालेखाकार (म.ले)/ (लेखा एवं हकदारी) संबंधित राज्यों के वार्षिक वित्त और विनियोग लेखाओं को तैयार करते हैं, जिन पर, लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, निर्धारित समय सीमा के अनुसार राज्य विधानमंडलों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है।

2.1.2 वार्षिक लेखाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को नियमित रूप से मासिक सिविल लेखाओं तथा व्यय के आंकड़ों से सम्बन्धित विभिन्न एमआईएस प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य सरकारों को अग्रेषित करने हेतु प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक.) द्वारा "वार्षिक लेखे: एक दृष्टि में" तैयार किया जाता है, जो वित्त और विनियोग लेखाओं पर वृहत विहंगावलोकन प्रदान करता है और पिछले पांच वर्षों की अवधि के लिए राजकोषीय संकेतक भी है।

2.1.3 लेखाओं की समयबद्धता

(i) वित्त और विनियोग लेखे

2022-23 के लिए सभी 28 राज्यों के वित्त और विनियोग लेखों को मार्च 2024 तक प्रमाणित कर दिया गया। 2022-23 के लिए 26 राज्य सरकारों के वित्त और विनियोग लेखों को 2024 के बजट सत्र से पहले या उसके दौरान राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किया गया।

(ii) मासिक सिविल लेखे

2023-24 के दौरान ले. व हक. कार्यालयों द्वारा 28 राज्यों के 364[2] मासिक सिविल लेखाओं में से 295 (81 प्रतिशत) लेखे समय पर प्रदान किए गए थे। शेष लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ था जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों के कोषागारों/ प्रभागों/अन्य लेखे प्रदान करने वाली इकाईयों से विलम्ब से प्राप्त हुए और कुछ मामलों में राज्य सरकार की ओर से तकनीकी गड़बड़ियों के कारण हुआ था।

(iii) तुल्यकालन स्कन्ध के साथ संयुक्त कार्यशालाएँ

पिछले वर्ष की तरह, जी ए स्कन्ध द्वारा राज्य प्रतिवेदन स्कन्ध और तुल्यकालन स्कन्ध के साथ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों और क्षेत्रवार लेखा परीक्षा कार्यालयों के लिए क्षेत्रवार संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित

[2] मार्च(अनुपूरक) लेखों सहित वर्ष में 28 राज्य x लेखे

की गई। लेखापरीक्षा और लेखा विभागों के अधिकारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया, जो जुलाई 2023 और अगस्त 2023 के महीनों के दौरान आयोजित की गईं, अर्थात राज्य सरकारों के वार्षिक लेखा 2022-23 के समापन के बाद। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्यों के वार्षिक लेखों को समय पर तैयार करने और उनके प्रमाणीकरण को सुविधाजनक बनाना, सभी मुद्दों का समाधान, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करना और राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएफएआर) की गुणवत्ता में सुधार करना था।

इस पहल से राज्य सरकारों के लेखा 2022-23 को समय पर अंतिम रूप देने और 26 राज्य सरकारों के वार्षिक लेखा 2022-23 को बजट सत्र 2024 से पहले या उसके दौरान राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत करने में मदद मिली।

2.1.4 संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे

संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे (सीएफआरए) एक सूचनात्मक संकलन है, जिसमें संघ, संघ शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के एक वर्ष के लेखों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित है, जिसमें उनकी शेष राशि और बकाया देयताएं और वित्तीय स्थिति के बारे में अन्य जानकारी सम्मिलित है। सीएफआरए प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है और यह कई हितधारकों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति को एक स्थान पर समेकित करता है। जबकि सीएफआरए के व्यापक ढ़ांचे को बरकरार रखा गया है, 2016-17 से अपनाया गया संशोधित संस्करण अधिक विश्लेषणात्मक है।

तीन खंडों वाले सीएफआरए विवरणों को महालेखाकार (ले. एवं हक.) पंजाब द्वारा संकलित किया जाता है और महालेखाकार (ले. एवं हक.) हरियाणा द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता है। "संघ और राज्य वित्त पर एक नज़र" सीएफआरए विवरणों के पूरक के रूप में तैयार किया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए सीएफआरए अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और 2021-22 के लिए सीएफआरए महालेखाकार (ले. एवं हक.), पंजाब द्वारा विवरणों के संकलन और जीए स्कन्ध द्वारा सत्यापन के साथ पूरा होने के अंतिम चरण में है। 2021-22 के लिए पूरक संस्करण "केंद्रीय एवं राज्य वित्त एक नजर में" की तैयारी पूरी होने की प्रक्रिया में है। सीएफआरए 2022-23 के संकलन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी क्योंकि 2022-23 के लिए 26 राज्य सरकारों के वित्त लेखे पहले ही संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखे जा चुके हैं।

संघ/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 2019-20 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए सीएफआरए डेटा के साथ एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड सीएजी वेबसाइट[3] पर उपलब्ध है।

2.1.5 वीएलसी डेटाबेस और डैशबोर्ड प्रोजेक्ट (वीडीडीपी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) असम के अधीन एक परियोजना विकास दल/कोर समिति का गठन किया गया। इस टीम में विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न स्तरों के अधिकारी सम्मिलित थे, जिनके पास अपेक्षित डोमेन ज्ञान और आईटी कौशल था। उनका उद्देश्य वित्त और विनियोग खातों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए लेखा डेटा के लिए डेटा भंडार का निर्माण करना और बेहतर उपयोगिता के लिए डैशबोर्ड के रूप में प्रस्तुत करना था। डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में टेबलो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया।

टीम ने एक मानकीकृत कार्यप्रणाली अपनाई जिसमें सम्मिलित हैं:

क) डेटा निष्कर्षण: वित्त और विनियोग लेखों से डेटा का उपयोग करना।

ख) डेटा रूपांतरण: निकाले गए डेटा को मिटाना, व्यवस्थित करना और प्रारूपित करना।

ग) डेटा लोड करना: डैशबोर्ड को रूपांतरित डेटा से भरना।

वीडीडीपी के परिकल्पित उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क) वीएलसी से डेटा एकत्र करने के लिए कार्यप्रणाली का विकास और डैशबोर्ड तैयार करना, जिसमें राज्य द्वारा तैयार किए गए खातों के अनुरूप प्रमुख लेखांकन जानकारी सम्मिलित हो।

ख) विभिन्न लेखांकन मापदंडों पर सभी राज्यों के लिए एक समेकित डैशबोर्ड तैयार करना।

ग) डैशबोर्ड पहल को लेखापरीक्षा योजना के लिए आवश्यक अन्य डेटा तत्वों के साथ जोड़कर लेखापरीक्षा तक विस्तारित करना, जिसमें लेखांकन स्रोत जैसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी, वाउचर विवरण, चालान विवरण, तथा गैर-लेखा जानकारी जैसे जनसंख्या, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, कर्मचारी संख्या आदि सम्मिलित हैं।

डैशबोर्ड 10 अप्रैल 2023 को म.ले. (ले. एवं हक.) सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में, सभी राज्यों के लिए पिछले आठ वर्षों (2015-16 से 2022-23 तक) के आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं और 2023-24 के लिए डैशबोर्ड को अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर है। सभी राज्यों के डैशबोर्डों को अंततः अखिल भारतीय आंकड़ों के लिए समेकित किया जाएगा।

2.1.6 पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस. एन. ए.)

भारत सरकार ने 1 जुलाई 2021 से पीएफएमएस के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की शुरुआत की है।

एसएनए के तहत लेनदेन के लेखांकन पर हाइब्रिड मोड में एक बहु-हितधारक बैठक 23 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय ने अपर महालेखा नियंत्रक (एएंडएफआर) की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया। कार्य समूह में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कार्यालय, सीजीए, व्यय विभाग के योजना वित्त-राज्य प्रभाग, आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग और पीएफएमएस-सीजीए के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। कार्य समूह ने दिसंबर 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी रिपोर्ट में एसएनए ढांचे के तहत निधियों के हस्तांतरण, लेखांकन और रिपोर्टिंग में आवश्यक आद्योपांत नियंत्रण की सिफारिश की।

दिसंबर 2023 में, प्र.म.ले/म.ले (ले. एवं हक.) को कार्य समूह की सिफारिशों का अनुपालन करने और कार्य समूह की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्रवाई योग्य बिंदुओं को उठाने का निर्देश दिया गया था।

2.2 महालेखाकार (ले.एवं हक.) सम्मेलन 2023

महालेखाकारों (ले.एवं हक.) का अपनी तरह का पहला सम्मेलन 10 अप्रैल 2023 को भारत के सीएजी कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में साई इंडिया के अधिदेश के तहत लेखा एवं हकदारी कार्यों से संबंधित सामयिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

[3] एचटीटीपी://सीएजी.जीओवी.इन→ऑडिट रिपोर्ट→संघ एवं राज्य वित्त के लिए डैशबोर्ड

इस सम्मेलन में लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के सभी प्र.म.ले/म.ले और समूह अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया था। साई इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों, सीएजी कार्यालय के महानिदेशक और प्रधान निदेशकों और जीए स्कन्ध के अधिकारियों ने उद्घाटन और समापन सत्रों में भाग लिया।

सम्मेलन के एजेंडा में निम्नलिखित पांच विषय सम्मिलित थे, जिन पर म.ले. (ले एवं हक.) द्वारा पेपर प्रस्तुत किए गए:

(1) लेखांकन और लेखापरीक्षा दोनों उद्देश्यों के लिए वीएलसी से डेटा रिपोजिटरी तैयार करना

(2) आईएफएमआईएस / पीएफएमएस - वीएलसी इंटरफेस व्यवस्था (आईएफएमआईएस / पीएफएमएस के साथ डेटा एक्सेस व्यवस्था - मिडिल वेयर और एपीआई रणनीति, एक्सेस और स्टोरेज विनिर्देश के लिए समीक्षा नियंत्रण)

(3) पिछले वर्ष से सीखना, लेखों को समय पर बंद करना और निर्धारित समय में वित्त लेखे और विनियोग लेखे विधानमंडल को प्रस्तुत करना, गुणवत्ता में सुधार और एसएफएआर तैयार करने में लेखापरीक्षा में सहायता करना

(4) प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना - रिजर्व बैंक जमा (आरबीडी) समाधान और निपटान, अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण और लेखा से राजकोषीय स्थिरता संकेतक।

(5) अधिकारों में सुधार (पेंशनभोगियों के लिए डिजी लॉकर, आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग)।

सीएजी द्वारा अनुमोदित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विषयवार अनुसंसाएँ, कार्रवाई योग्य बिंदु, समयसीमा और संसाधन व्यक्तियों के साथ सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालयों को सूचित कर दिया गया। इन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और तुल्यकालन, पीपीजी और सीटीओ स्कन्ध के सहयोग से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

2.3 सभी प्र.म.ले/म.ले (ले.एवं हक.) के साथ मासिक परोक्ष बैठकें

जीए स्कन्ध ने कार्य की प्रगति की समीक्षा करने, लेखा एवं हकदारी कार्यों के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र के मदों पर अपने साथी ले. एवं हक. कार्यालयों के साथ एक विशेष कार्यालय में उत्तम प्रणालियों/ प्रक्रियाओं / विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सभी प्र.म.ले/म.ले (ले. एवं हक.) के साथ उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (जीए) की नियमित मासिक आभासी बैठक शुरू की है। पहली आभासी मासिक बैठक 7 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी।

पहली आभासी मासिक बैठक के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों और जीए स्कन्ध ने चयनित विषय पर प्रस्तुतियां दीं, जिसका उद्देश्य (ले.एवं हक.) कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों/सेवा वितरण में बेहतरी के लिए अन्य प्र.म.ले/म.ले (ले.एवं हक.) कार्यालयों के साथ उत्तम प्रणालियों का आदान-प्रदान करना था।

2.4 नकदी शेष में विसंगतियों को दूर करना और राज्य सरकार की गारंटियों पर रिपोर्टिंग करना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकार का बैंकर है। आरबीआई राज्य सरकारों के अनुरोध पर एजेंसी बैंकों को सरकारी कामकाज करने के लिए अधिकृत करता है।

राज्य सरकार की नकदी शेष रिपोर्ट आरबीआई द्वारा रखी जाती है और यह मासिक सिविल लेखों और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा तैयार वार्षिक लेखों में प्रतिबिंबित होती है। नकदी शेष का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आरबीआई के साथ मुख्य शीर्ष 8675- रिजर्व बैंक जमा (आरबीडी) के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य सरकार के नकदी शेष की स्थिति राज्य सरकार के वित्त लेखों में दर्शाई जाती है। पुरानी विसंगतियों का निपटारा न होने के कारण आरबीआई द्वारा बताए गए नकद शेष के आंकड़ों और महालेखाकार कार्यालय द्वारा बताए गए आंकड़ों में अंतर देखा गया है।

पुरानी आरबीडी विसंगतियों को निपटाने के लिए, जो कई दशकों से लंबित हैं और सभी हितधारकों द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कोई प्रगति नहीं हो सकी है, आरबीआई ने सीएजी कार्यालय के सहयोग से सितंबर 2023 में सभी म.ले. (ले. एवं हक.) के साथ एक बैठक आयोजित की। यह निर्णय लिया गया कि सीएजी कार्यालय और आरबीआई 2009-10 तक आरबीडी की मंजूरी की रूपरेखा तैयार करेंगे तथा इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करेंगे।

एजेंसी बैंकों द्वारा तैयार किए गए लेन-देन का तिथिवार मासिक विवरण (डीएमएस) आरबीआई और लेखा एवं हकदारी कार्यालय के बीच नकदी शेष के समाधान का आधार है। लेनदेन का डीएमएस जो व्यवहार में था, वह लेनदेन की पूरी जानकारी नहीं प्रस्तुत कर रहा था। नकदी शेष में अंतर को न्यूनतम करने के लिए, जीए स्कन्ध ने डीएमएस के प्रारूप को संशोधित करने की पहल की थी। तदनुसार, आरबीआई ने सभी एजेंसी बैंकों को अगस्त, 2023 से संशोधित डीएमएस लागू करने का निर्देश दिया और एजेंसी बैंकों को लेनदेन की रिपोर्टिंग, निधियों के प्रेषण और डीएमएस जमा करने में अधिक सावधानी बरतने के लिए संवेदनशील बनाया ताकि विसंगतियां न्यूनतम हो जाएं। इस पहल से राज्य सरकारों के वित्त लेखों में दर्शाए गए नकदी शेष में अंतर कम हो गया है।

सरकारी व्यवसाय के प्रभावी संचालन के लिए, आरबीआई ने दिसंबर 2023 में एजेंसी बैंकों के साथ एक और बैठक आयोजित की। जीए स्कन्ध ने राज्य सरकार के लेन-देन के संबंध में एजेंसी बैंकों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला, जैसे सरकारी संग्रहों का विलंब से जमा होना, बैंक स्क्रॉल प्रस्तुत करने में विलंब/अधूरे बैंक स्क्रॉल, लेन-देन की सम्मिलित रिपोर्टिंग, चालानों की दोहरी पोस्टिंग आदि। आरबीआई ने एजेंसी बैंकों को महालेखाकार कार्यालयों द्वारा बताए गए मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया। एजेंसी बैंकों द्वारा लेनदेन की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के साथ, अद्यतन जानकारी/डेटा राज्य सरकार के मासिक सिविल लेखों/वार्षिक लेखों में परिलक्षित हो रहे हैं।

जुलाई 2022 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन में बैंक वित्त के मुद्दे पर चर्चा की गई, गारंटी द्वारा समर्थित प्राधिकरणों पर टिप्पणी की गई और गारंटियों की प्रभावी निगरानी और रिपोर्टिंग पर विचार-विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया गया। तदनुसार, आरबीआई ने राज्य सरकार की गारंटी पर राज्य वित्त सचिवों, वित्त मंत्रालय, आरबीआई प्रतिनिधि और सीएजी प्रतिनिधि का एक कार्य समूह गठित किया है। कार्य समूह ने राज्य सरकार की गारंटियों पर रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने और वित्त लेखों में सम्मिलित करने के लिए महालेखाकार कार्यालयों को विवरण प्रदान करने के लिए जून 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

2.5 कोषागार निरीक्षण

राज्य सरकार के लेखाओं के संकलनकर्ता होने के नाते, प्र.म.ले/म.ले (ले.व.ह), राज्य सरकारों के लेखाओं की कोषागार निरीक्षण के माध्यम से कोषागारों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जांच करते है। कोषागार निरीक्षण का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि कोषागारों द्वारा आंरभिक लेखा तैयार करने, वेतन, पेंशन आदि के भुगतान के लिए निर्धारित विभिन्न जांच बिंदुओं तथा क्रियाविधियों का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों में कोषागार कम्प्यूटरीकृत हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल नियोजित 2,088 कोषागारों/उप-कोषागारों के सापेक्ष 2,078 कोषागारों/उप-कोषागारों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप 1,802 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गईं, जिनमें ले.एवं हक. कार्यालयों द्वारा 4,141 अनुसंसाएँ की गईं।

2.5.1 कोषागार निरीक्षणों के परिणाम

2023-24 के दौरान कोषागार निरीक्षणों में राज्य के वित्तीय/हकदारी नियमों के अनुपालन से संबंधित कई विचलन, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र का पता चला, जिसका प्रभाव राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर पड़ा। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

- लगभग सभी प्र.म.ले/म.ले (ले.व.ह) कार्यालयों ने मृत्यु मामलों सहित पेंशन लाभों के अनियमित/अधिक भुगतान, ग्रेच्युटी राशि से देय राशि की वसूली न करने पर टिप्पणियां की हैं।
- **छत्तीसगढ़-** वित्त विभाग की अनुमति के बिना बचत बैंक खाता खोलना तथा बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज की राशि को सरकारी खाते में जमा न करना।
- **गुजरात-** वर्ष 2023-24 के लिए कोषागार निरीक्षण रिपोर्ट में आठ कोषागारों में ₹ 10.12 करोड़ की पेंशन राशि का अधिक भुगतान।
- **हिमाचल प्रदेश-** सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन पर भत्ते का अनियमित भुगतान (₹ 18.45 लाख)।
- **जम्मू और कश्मीर-** कुछ मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान में अनियमितताएं और लगभग (₹ 94.85 लाख) की राशि गलत तरीके से विनियमित की गई, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन का अधिक भुगतान हुआ।
- **महाराष्ट्र-I-** अहमदनगर कोषागार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न डीडीओ के कर्मचारियों को दोगुना वेतन दिया गया (₹ 5.39 लाख)। ठाणे ट्रेजरी कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारियों के व्यक्तिगत जमा/व्यक्तिगत खाता बही में अनियमितताएं (₹ 645.95 करोड़)।
- **ओडिशा-** अनंतिम पेंशन जारी रखने के कारण (₹ 22.45 लाख) का अतिरिक्त भुगतान किया गया।
- **राजस्थान-** ग्रेच्युटी से वसूली न करने के कारण अधिक भुगतान (₹ 48.76 लाख)।
- **तमिलनाडु-** विशेष पेंशनभोगियों (ग्राम सहायक पेंशनभोगियों) से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (एनएचआईएस) के अंतर्गत अंशदान (₹ 63.88 लाख) की कटौती नहीं की गई।

- **तेलंगाना-** अपात्र पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत और चिकित्सा भत्ता का आहरण (₹ 2.30 करोड़)।
- **उत्तर प्रदेश-I** - लखनऊ कलेक्ट्रेट कोषागार में पेंशन राशि का धोखाधड़ी/अनियमित भुगतान (₹ 1.42 करोड़)।
- **पश्चिम बंगाल-** 80/85/90/95/100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन जारी न करना (₹ 25.63 लाख)।

2.6 हकदारी कार्यों के संबंध में निष्पादन

समस्त बोर्ड में, ले. व हक़. कार्यालयों ने जीपीएफ के अंतिम भुगतान मामलों के निपटान में तेजी लाकर, पेंशन के प्राधिकार और वेतन पर्ची जारी करके हकदारी कार्यों को सुव्यवस्थित आदि करके संतुष्टि के स्तर में सुधार करने के प्रयास किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर की ओर बढ़ते हुए, ई-ऑथराइजेशन से कुछ कार्यालयों में मामलों के निपटान में लगने वाला समय कम हो गया है। नागरिक चार्टर में यथा निर्धारित मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा का पालन करने के सभी प्रयास किए गए थे। लगभग सभी ले. व हक़. कार्यालयों में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहे हैं।

2.6.1 हकदारी कार्यों से संबंधित जानकारी

पेंशन, जीपीएफ और जीई कार्यों की स्थिति से संबंधित जानकारी संबंधित महालेखाकार कार्यालयों की वेबसाइटों पर एसएमएस आधारित सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध है, जहां राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा कार्यालयों को विवरण प्रदान किए गए हैं और कुछ राज्यों में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध है। इससे संबंधित हितधारकों और अन्य आगंतुकों को संबंधित राज्य एजी की वेबसाइटों पर अपलोड की गई जानकारी देखने और एसएमएस और आईवीआरएस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है।

2.6.2 अंतिम रूप दिए गए पेंशन मामले

पेंशन प्राधिकरण का कार्य 20 ले. व हक़. कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यालयों ने 2023-24 के दौरान मूल और पेंशन संशोधन के कुल 4,97,845 मामलों को अंतिम रूप दिया। 2023-24 के दौरान प्राप्त और अंतिम रूप दिए गए कुल राज्यवार पेंशन मामलों की जानकारी अध्याय के अंत में तालिका II.2.2 में दी गई है। नागरिक चार्टर के अनुसार, मूल पेंशन मामलों को महालेखाकार कार्यालय में सभी प्रकार से पूर्ण मामला प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना होता है। असम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र-I, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाला औसत समय निर्धारित समय-सीमा के भीतर था। शेष राज्यों में पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाला औसत समय 30 दिन से अधिक था, जिसका मुख्य कारण संबंधित विभागों से सूचना का अभाव, बड़ी संख्या में मामलों की प्राप्ति या अन्य परिचालन संबंधी बाधाएं थीं।

2.6.3 जीपीएफ खातों का अनुरक्षण

20 राज्यों में, 22 ले. व हक़. कार्यालय, राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीपीएफ खातों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। 2023-24 के दौरान, इन कार्यालयों द्वारा 25,48,995 जीपीएफ खाते अनुरक्षित थे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना शुरू करने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 0.16 प्रतिशत अंशदाताओं की वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष अंशदाताओं की कुल संख्या 25,44,893 थी)।

2.6.4 जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों को अंतिम रूप देना

वर्ष 2023-24 के दौरान, जीपीएफ के अंतिम भुगतान के लिए देय 1,90,762 मामलों में से, लेखा एवं हकदारी कार्यालयों ने निर्धारित समय सीमा (सभी प्रकार से पूर्ण मामले की प्राप्ति की तिथि से एक माह) के भीतर 1,85,804 अंतिम भुगतान मामलों (97.40 प्रतिशत) को अंतिम रूप दिया।

2023-24 में देय जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों की संख्या	अंतिम रूप दिए गए अंतिम भुगतान मामलों की संख्या[4]
1,90,762	1,85,804

2.6.5 हितधारकों के साथ अग्रसक्रिय जुड़ाव

वर्ष 2023-24 के दौरान, पेंशनभोगियों और अभिदाताओं के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न पेंशन/जीपीएफ अदालतें, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए। हकदारी कार्य करने वाले महालेखाकार कार्यालयों का प्रयास पीपीओ/जीपीएफ प्राधिकरण आदि का समय पर जारी होना सुनिश्चित करना है। इन आयोजनों का उद्देश्य पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान करना, सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श प्रदान करना तथा सेवा वितरण में सुधार करना था। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

अधिकांश राज्यों में, हकदारी कार्यों के लिए नियुक्त महालेखाकार कार्यालयों ने पेंशनभोगियों और जीपीएफ अभिदाताओं की शिकायतों/शंकाओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर पेंशन और जीपीएफ अदालतों का आयोजन किया है।

जम्मू और कश्मीर में पेंशन अदालतें, महालेखाकार (ले. एवं हक.) जम्मू और कश्मीर कार्यालय द्वारा आयोजित

महालेखाकार (ले एवं हक)-II, मध्य प्रदेश कार्यालय द्वारा झाबुआ और भोपाल में जीपीएफ अदालतें आयोजित की गई

[4] निर्धारित समय सीमा के भीतर

आंध्र प्रदेश: "ऑडिट दिवस" के अवसर पर, आंध्र प्रदेश कार्यालय ने नवंबर 2023 में विशाखापत्तनम में कोषागारों में पेंशन और जीपीएफ से संबंधित मुद्दों के संबंध में सात जिलों को कवर करते हुए "पेंशन और जीपीएफ कार्यशाला" आयोजित की।

डीजीपी कार्यालय और अल्लूरी सीतारामराजू जिले में जीपीएफ अदालत/कार्यशाला का आयोजन महालेखाकार (ले एवं हक) आंध्र प्रदेश कार्यालय द्वारा किया गया

छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश-I: छत्तीसगढ़ कार्यालय द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों और छत्तीसगढ़ के सभी कोषागार अधिकारियों के साथ दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार, **झारखंड और उत्तर प्रदेश-I कार्यालयों** ने विभिन्न खातों, जीपीएफ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

गुजरात: वर्ष 2023-24 के दौरान, पुराने लंबित पैरा और गुजरात राज्य के कोषागारों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए राजकोट कार्यालय में दो सेमिनार (जून 2023 और मार्च 2024) आयोजित किए गए। इन सेमिनारों के दौरान कुल 33 कोषागार अधिकारियों और लेखा एवं कोषागार निदेशालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कुल 144 कोषागार निरीक्षण पैराओं का निपटारा किया गया।

ओडिशा: अगस्त 2023 में भुवनेश्वर में दो दिवसीय वित्तीय सलाहकार/सहायक वित्तीय सलाहकार कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन वित्त विभाग द्वारा ओडिशा कार्यालय के समन्वय से किया गया था। इस कार्यशाला के दौरान विभिन्न लेखांकन मुद्दों जैसे गलत वर्गीकरण, केंद्र-राज्य नकद निपटान, अनुदान सहायता, एब्स्ट्राक्ट आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिल, व्यक्तिगत खाता बही, डीडीओ खातों में निधियों की पार्किंग, केंद्र प्रायोजित योजना निधि का एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरण आदि पर चर्चा की गई।

पंजाब: ऑडिट दिवस के अवसर पर, पंजाब कार्यालय ने नवंबर 2023 में चंडीगढ़ में "पेंशन लाभों की समय पर संस्वीकृति, प्राधिकरण और संवितरण" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया, ताकि पेंशन प्रक्रिया पर समग्र दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके, जिसमें हाल के बदलाव, पेंशनभोगियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, पेंशन वितरण में देरी के कारणों की पहचान और यह सुनिश्चित करने के तरीके शामिल थे कि पेंशन प्रणाली नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन सके।

पंजाब कार्यालय के महालेखाकार (ले. व ह.) द्वारा पेंशन लाभों की समय पर संस्वीकृति, प्राधिकरण और संवितरण पर सेमिनार।

तमिलनाडु: जनवरी 2024 में तमिलनाडु कार्यालय में महालेखाकार के साथ विभागीय आंकड़ों के मिलान और लंबित उपयोग प्रमाणपत्र जमा करने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

हिमाचल प्रदेश: हकदारी कार्यों की पहुंच बढ़ाने और सुविधाजनक एवं सस्ते निवारण तंत्र/विश्वास निर्माण उपायों के लिए सक्रिय पहल के रूप में, हिमाचल प्रदेश कार्यालय ने तिमाही आधार पर अखिल भारतीय रेडियो (एआईआर)- 'लोक वानी' के लाइव फोन-इन कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में, कार्यालय के अधिकारी पेंशन भोगियों/जीपीएफ अभिदाताओं के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा और पेंशन एवं जीपीएफ मामलों से संबंधित स्पष्टीकरण देने के लिए अखिल भारतीय रेडियो केंद्र, शिमला में फोन पर बातचीत करते हैं। अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा, महालेखाकार (ले. व ह.) कार्यालय के अधिकारियों ने मले. कार्यालय के सभी हकदारी कार्यों के विषय से दर्शकों को अवगत कराने के लिए मासिक आधार पर दूरदर्शन केंद्र, शिमला के कार्यक्रम *"जन वाणी"* के सीधे प्रसारण में भी भाग लिया।

2.6.6 कैग की वेबसाइट में वेब -आधारित शिकायत निवारण तंत्र

साई इंडिया के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र है। जीपीएफ अभिदाता/पेंशनभोगी ऑनलाइन या ई-मेल के माध्यम से संबंधित ले. व ह. कार्यालयों में शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यदि अभिदाता/पेंशनभोगी महालेखाकार कार्यालय के उत्तर से आश्वस्त नहीं है तो शिकायतकर्ता सीएजी कार्यालय के शिकायत स्कंध में भी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित सभी लिंक सीएजी की वेबसाइट[5] पर उपलब्ध हैं। शिकायत दर्ज करने पर, प्रणाली स्वचालित रूप से शिकायत की एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या उत्पन्न करती है और भविष्य के संदर्भ के लिए शिकायतकर्ता को एक एसएमएस भेजती है।

2023-24 के दौरान, राज्य पेंशनभोगियों/अभिदाताओं से कुल 1,475 शिकायतें (ऑफ़लाइन और ऑनलाइन) सीएजी कार्यालय को प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,392 का निवारण नागरिक चार्टर की समय सीमा के भीतर किया गया। निपटान के लिए लंबित शेष शिकायतें नागरिक चार्टर की निर्धारित अवधि (30 कार्य दिवस) के भीतर थीं। प्राप्त शिकायतों और निवारण से संबंधित, मासिक/त्रैमासिक आधार पर एक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है।

[5] एचटीटीपी://सीएजी.जीओवी.इन/हआई/शिकायत निवारण तंत्र

तालिका II.2.1
राज्य महालेखाकार (ले एवं ह) के साथ कार्य

लेखा	सामान्य भविष्य निधि	पेंशन	राजपत्रित हकदारी	डीए संवर्ग नियंत्रण
1. आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश	1. असम	1. अरुणाचल प्रदेश*
2. असम	2. असम	2. असम	2. बिहार	2. बिहार
3.अरुणाचल प्रदेश*	3. छत्तीसगढ़	3. बिहार	3. झारखंड	3. छत्तीसगढ़
4. बिहार	4. गुजरात	4. हरियाणा	4. कर्नाटक	4. गुजरात
5. छत्तीसगढ़	5. हरियाणा	5. हिमाचल प्रदेश	5. केरल	5. हरियाणा
6. गुजरात	6.हिमाचल प्रदेश	6. जम्मू और कश्मीर	6. मणिपुर	6. हिमाचल प्रदेश
7. हरियाणा	7. कर्नाटक	7. झारखंड	7. मेघालय	7. झारखंड
8. हिमाचल प्रदेश	8. केरल	8. कर्नाटक	8. नागालैंड	8. मध्य प्रदेश$
9. जम्मू और कश्मीर	9. मध्य प्रदेश	9. केरल	9. तमिलनाडु	9. महाराष्ट्र$
10. झारखंड	10. महाराष्ट्र	10. महाराष्ट्र		10 मणिपुर
11.कर्नाटक	11.मणिपुर	11.मणिपुर		11. ओडिशा
12. केरल	12. मेघालय	12. मेघालय		12. पंजाब
13. मध्य प्रदेश$	13. नागालैंड	13. नागालैंड		13. राजस्थान
14. महाराष्ट्र$	14. ओडिशा	14. ओडिशा		14. तमिलनाडु
15. मणिपुर	15. तमिलनाडु	15. पंजाब		15. त्रिपुरा
16. मेघालय	16. तेलंगाना	16. तमिलनाडु		16. उत्तर प्रदेश$
17. मिजोरम*	17. त्रिपुरा	17. तेलंगाना		17. उत्तराखंड
18. नागालैंड	18 उत्तर प्रदेश	18. त्रिपुरा		18. पश्चिम बंगाल
19. ओडिशा	19. उत्तराखंड	19.पश्चिम बंगाल		
20. पंजाब	20. पश्चिम बंगाल			
21. राजस्थान				
22. सिक्किम				
23. तमिलनाडु				
24. तेलंगाना				
25. त्रिपुरा				
26. उत्तर प्रदेश$				
27.उत्तराखंड				
28. पश्चिम बंगाल				

नोट :

* ये कार्यालय ले. एवं ह. और लेखापरीक्षा कार्यों के लिए संयुक्त कार्यालय हैं।

$ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो ले. एवं ह. कार्यालय हैं। मले. (ले. एवं ह.)-II, मध्य प्रदेश में केवल जीपीएफ कार्य हैं।

तालिका II.2.2

2023-24 के दौरान मूल पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने और पेंशन मामलों के परिशोधन का राज्यवार निर्धारण

क्र. सं.	कार्यालय	मूल पेंशन		पेंशन का पुनरीक्षण	
		प्राप्त मामलों की संख्या (प्रारंभिक शेष राशि सहित)	निपटाए गए मामलों की संख्या	प्राप्त मामलों की संख्या (प्रारंभिक शेष राशि सहित)	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5,258	3,489	5,541	4,548
2	असम	15,718	15,064	1,841	1,222
3	बिहार	20,918	18,632	50,836	44,178
4	हरियाणा	12,292	12,292	5,832	5,832
5	हिमाचल प्रदेश	16,904	15,382	57,258	41,561
6	जम्मू और कश्मीर	10,314	10,275	11,282	11,249
7	झारखंड	8,385	8,074	10,844	10,691
8	कर्नाटक	24,438	23,232	9,585	9,367
9	केरल	24,707	24,065	6,904	5,418
10	महाराष्ट्र-I	23,818	23,818	25,974	23,974
11	महाराष्ट्र -II	18,629	18,613	20,985	20,724
12	मणिपुर	2,898	2,504	556	433
13	मेघालय	3,237	3,233	285	284
14	नागालैंड	4,648	4,604	2,657	2,653
15	ओडिशा	13,143	12,576	2,825	2,629
16	पंजाब	15,986	15,956	33,240	33,205
17	तमिलनाडु	26,907	24,776	12,905	12,462
18	तेलंगाना	1,917	1,917	1,782	1,776
19	त्रिपुरा	4,917	4,905	269	267
20	पश्चिम बंगाल	19,576	17,305	4,660	4,660
	कुल	**2,74,610**	**2,60,712**	**2,66,061**	**2,37,133**
कुल प्राप्त मामले (मूल पेंशन मामले और पुनरीक्षण पेंशन मामले)		5,40,671			
निपटान किए गए कुल मामले		4,97,845			

सीएजी कार्यालय परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा

खंड

3

वर्तमान प्रगति

- **अध्याय 1**
  मार्गदर्शनों का विकास
- **अध्याय 2**
  क्षमता निर्माण
- **अध्याय 3**
  आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन
- **अध्याय 4**
  हमारी सूचना प्रौद्योगिकी पहल
- **अध्याय 5**
  ऑडिट दिवस 2023
- **अध्याय 6**
  31वां महालेखाकार सम्मेलन
- **अध्याय 7**
  उतनी ही महत्वपूर्ण अन्य गतिविधियाँ

अध्याय-1

मार्गदर्शनों का विकास

गुणता लेखाकरण और लेखापरीक्षण का आधार व्यावसायिक मानक हैं। सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों दोनों के लिए हम व्यावसायिक मानकों और कार्यप्रणालियों के महत्व के प्रति सचेत हैं। ये सभी व्यवसायियों द्वारा विविध परिस्थितियों में पालन किए जाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और गुणता नियंत्रण और गुणता आश्वासन प्रक्रियाओं के लिए मानक के रूप में काम करते हैं। साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानकों में परिकल्पना की गई है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली होनी चाहिए।

1.1 सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के परामर्श से अगस्त 2002 में सीएजी ने सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) का गठन किया। इसका लक्ष्य सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार करने की दृष्टि से लेखाकरण मानकों को तैयार करना एवं उनकी अनुशंसा करना है। नई प्राथमिकताओं का ध्यान सार्वजनिक व्यय में सुशासन, राजकोषीय व्यवहारकुशलता, दक्षता और पारदर्शिता पर हैं।

गसब में सरकार (संघ और राज्य), पेशेवर लेखाकरण संस्थानों, भारतीय रिजर्व बैंक से उच्च-स्तरीय प्रतिनिधित्व वाले 15 सदस्य हैं।

गसब दो प्रकार के मानक विकसित करता है:

(i) **भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस)** नकद आधारित लेखाकरण प्रणाली पर आधारित हैं। सरकार की अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से इनका आवेदन संघ, राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना अनिवार्य हैं; और

(ii) प्रोद्भवन आधारित लेखाकरण प्रणालियों जोकि अनुशंसात्मक हैं, के आधार पर **भारत सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईजीएफआरएस)** है। इन्हें विकसित किया गया था क्योंकि संघ और राज्य स्तर पर प्रोद्भवन लेखाकरण में माइग्रेशन पर पायलट अध्ययन और अनुसंधान प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोद्भवन आधार पर लेखाकरण ढांचे और लेखाकरण मानकों की आवश्यकता थी।

1.2 2023-24 के दौरान लेखाकरण मानकों/प्रकटन विवरणों की प्रगति

1.2.1 नियत प्रक्रिया में परिशोधन

अब तक गसब की कार्य पद्धति को वर्ष 2011 में बनाए गए "व्यवसाय के नियमों" द्वारा मार्गदर्शित किया गया था। हालांकि, गसब के कार्यों को सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध करने के लिए उन्हें अधिक केंद्रित, मजबूत और समावेशी बनाने के लिए, गसब की दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यों, हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, मानकों के निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं और मानकों की संरचना आदि को इंगित करते हुए 'गसब की नियत प्रक्रिया' को अगस्त 2020 में संशोधित किया गया था।

गसब की कार्यपद्धति/मानक-निर्धारण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से संबंधित गसब के सभी सदस्यों की धारणा को शामिल करने के लिए दस्तावेज़ का परिशोधन किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करके परिशोधित नियत प्रक्रिया पर चर्चा की गई थी। बोर्ड के सदस्यों को अंतिम मसौदा दिसंबर 2023 में अग्रेषित किया गया था। एमओएफ, सीजीए, सीजीडीए, आईसीएआई और आरबीआई सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट प्राप्त किए गए हैं।

एमओएफ और सीजीए से प्राप्त टिप्पणियों को समाविष्ट करने के लिए की पुनरीक्षण किया जा रहा है। नियत प्रक्रिया परामर्श के अंतिम चरण में है और निष्कर्षों के आधार पर मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

1.2.2 आईपीएसएएस नकद आधार अनुसरित वित्तीय विवरणों को तैयार करना

गसब ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सहयोग से आईपीएसएएस नकद आधार अनुसरित विवरणों को तैयार करने के लिए निम्नलिखित विषयों को चिन्हित किया :

(i) आकस्मिक देयताएं;

(ii) राजस्व प्राप्तियों की मान्यता;

(iii) बाह्य सहायता के प्राप्तकर्ता

वरिष्ठ प्रबंधन के निर्देशों के अनुसार आकस्मिक देयताएं से संबंधित मसौदे को आईजीएफआरएस-5 (आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति) के साथ मैप किया जा रहा है।

आईपीएसएएस नकद आधार की अनिवार्य/अनुशंसात्मक आवश्यकता के अनुसार "राजस्व मान्यता" से संबंधित मसौदे की जांच की जा रही है।

'बाह्य सहायता प्राप्तकर्ताओं' पर मसौदा, योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के विलय तथा केंद्र सरकार के बजट परिपत्र और व्यय प्रोफ़ाइल आदि की समीक्षा के बाद, स्वतः परिशोधनाधीन है।

1.2.3 आरक्षित निधियों का मानक मसौदा

आरक्षित निधियां भविष्य के विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए निधियों का संचय है तथा अव्यपगत हैं। वर्तमान में, आरक्षित निधियां विभिन्न मुद्दों से ग्रस्त है जिसमें इन निधियों में धन का गैर-हस्तांतरण/अल्पकालिक हस्तांतरण, और निर्धारित उद्देश्य के अलावा अन्य कार्यों के लिए निधियों का विचलन शामिल है।

इस मानक का उद्देश्य आरक्षित निधि के लेखाकरण तथा उसकी वित्तीय रिपोर्टिंग के तरीके के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि निधियों के अंतर्गत शेष राशि की मात्रा, आरक्षित निधियों में धनराशि का हस्तांतरण, निधियों के व्यय की जानकारी उचित रूप से प्रकट की जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें बनाया गया था।

सभी हितधारकों को एक पुनर्लिखित मसौदा परिचालित किया गया था। सीजीए द्वारा अग्रेषित परिशोधित मसौदे को पुनरीक्षण/समीक्षा के लिए एमओएफ और जीए विंग के साथ साझा किया गया है। पूंजीगत लेखा शीर्ष से आरक्षित निधियों में अंतरण के मुद्दे का निपटान वित्त मंत्रालय और सरकारी लेखा विभाग के बीच किया जा रहा है।

1.2.4 मानकों की समीक्षा अधिसूचना के लिए भेजी गई लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं की गई

(क) आईजीएएस-1: सरकारों द्वारा दी गई गारंटी: 2010 में अधिसूचित प्रकटीकरण आवश्यकताओं में निम्नलिखित के संदर्भ में परिशोधन/संशोधन की आवश्यकता है:

(i) वित्त मंत्रालय की परिशोधित सरकारी गारंटी नीति 2022

(ii) राज्यों द्वारा दी गई गारंटी को शामिल करना, और

(iii) एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अंतर्गत परिकल्पित अतिरिक्त गारंटी।

उपरोक्त लेखांकन विकास से संबंधित आईजीएएस-1 के प्रारंभिक अध्ययन से पता चला है कि अधिक पारदर्शिता के लिए आईजीएएस-1 में संशोधन की आवश्यकता है। तदनुसार, अतिरिक्त गारंटी पर प्रकटीकरण को शामिल करने के लिए मौजूदा मानक की समीक्षा करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया है।

(ख) संशोधित मानक अर्थात आईजीएएस-2: सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण की समीक्षा, संघ और राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा आवंटित सहायता अनुदान (जीआईए) के वितरण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी और एकल नोडल एजेंसी की नई शुरू की गई प्रणाली के आलोक में की जा रही है। व्यापक विचार-विमर्श से प्राप्त विचारों के आधार पर संशोधन पर विचार किया जाएगा।

(ग) संशोधित मानक अर्थात आईजीएएस-3: सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम, को पहली बार फरवरी 2012 में अधिसूचित किया गया था और सभी हितधारकों से टिप्पणियां लेने के बाद आगे संशोधन के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है।

(घ) साई इंडिया ने मौजूदा घोषणाओं को अद्यतन करने, संशोधित करने, घोषणाओं को अद्यतन रखने तथा सरकारी लेखांकन परिवेश में परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने के लिए हर तीन वर्ष में समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा था। मसौदा मानकों को वित्त मंत्रालय को भेजे जाने के बाद से समय के अंतराल और अधिसूचना के प्रयोजन के लिए इन मानकों के लंबित रहने को देखते हुए, निम्नलिखित चार मानकों और मार्गदर्शन नोट को स्वप्रेरणा से संशोधित करने का निर्णय लिया गया:

(i) विदेशी मुद्रा लेनदेन और विनिमय दर में परिवर्तन से हानि या लाभ: प्रकटीकरण के अंतर्गत विनिमय दर में परिवर्तन के कारण हानि/लाभ को दर्शाने के लिए पूर्व अवधि समायोजन लेखा (पीपीएए) की पद्धति को शामिल करते हुए संशोधित मसौदा जारी किया गया तथा परामर्श प्रक्रिया चल रही है।

(ii) इक्विटी में सरकारी निवेश/सार्वजनिक परिसंपत्तियों का विनिवेश: सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश पर प्रकटीकरण संबंधी मानक के प्रारूप को संशोधित किया गया तथा वित्त मंत्रालय और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। विचार-विमर्श के बाद संशोधित मसौदा अनुमोदन के लिए गसब के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) सार्वजनिक ऋण और सरकारों की अन्य देनदारियाँ: टिप्पणियों के अनुसार मसौदे को संशोधित किया जाएगा तथा गहन जांच के बाद इसमें आगे संशोधन किया जाएगा।

(iv) अचल संपत्तियों के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट: मार्गदर्शन नोट में संशोधन पर विचार किया जा रहा है तथा यह तैयार होने के अंतिम चरण में है।

1.3 भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एनआरए): एक अवलोकन

गसब प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एनआरए) के नवजात क्षेत्र में सरकार के प्रयासों में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत में अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने की महती आवश्यकता को समझते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, पर्यावरण लेखांकन के

कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अद्वितीय स्थिति में है, क्योंकि इसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करने का ज्ञान और क्षमता है, साथ ही सभी राज्यों में इसकी उपस्थिति के साथ संस्थागत पहुंच भी है, जहां इसके अधिदेश में लेखापरीक्षा और लेखांकन दोनों शामिल हैं।

पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली - केंद्रीय रूपरेखा (एसईईए-सीएफ) एनआरए के लिए नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रूपरेखा है। एसईईए-सीएफ चार चरणीय रणनीति के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करता है और देश की विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल करने की गुंजाइश भी प्रदान करता है। इससे प्रेरित होकर, एक अवधारणा पत्र (जुलाई 2020) लाया गया, जिसमें सीमित गैर-नवीकरणीय संसाधनों के लेखांकन से शुरू होने वाली एक व्यापक योजना तैयार की गई और फिर धीरे-धीरे एसईईए रूपरेखा के अन्य चरणों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाया गया।

साई इंडिया द्वारा डिजाइन की गई कार्य योजनाएं

अल्पावधि लक्ष्य	मध्यावधि लक्ष्य	दीर्घकालिक लक्ष्य
• खनिज और ऊर्जा संसाधनों का परिसंपत्ति लेखांकन • प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरणीय क्षति के शमन से संबंधित व्यय (2019-20 से 2021-22)	• राज्यों में अन्य प्राथमिकता वाले संसाधनों अर्थात् जल, भूमि और वानिकी और वन्यजीव संसाधनों के संबंध में परिसंपत्ति लेखांकन • भौतिक और मौद्रिक संदर्भ में आपूर्ति और उपयोग तालिकाएं प्राकृतिक संसाधन आदानों, उत्पादों और अवशिष्टों के प्रवाह को दर्शाती हैं (2022-23 से 2024-25)	• ह्रास समायोजित आर्थिक समुच्चयों पर प्रकाश डालने वाले आर्थिक खाते; और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए किए गए आर्थिक गतिविधियों के बारे में लेनदेन और अन्य जानकारी दर्ज करने वाले कार्यात्मक खाते। (2025 - 26 के बाद)

एनआरए के कार्यान्वयन में गसब की पहल और प्रयास की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है:

(I) **निरंतर विचार-मंथन - परामर्शदात्री समिति और राज्य एनआरए प्रकोष्ठ:** भारत सरकार/राज्य सरकारों के हितधारक मंत्रालयों, नियामक एजेंसियों, ज्ञान केंद्रों और शिक्षाविदों के साथ मिलकर केंद्रीय और राज्य स्तरीय एनआरए प्रकोष्ठों का गठन किया गया। इन विशेषज्ञों की विशेषज्ञता बहुत लाभदायक रही, क्योंकि गसब ने राज्यों में महालेखाकार कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति खातों के टेम्पलेट तैयार किए, जिनमें डेटा संग्रहित किया जाना था।

(II) **निरंतर अनुवर्तन और सहायता :** अक्टूबर 2021 से प्रत्येक माह सभी 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के साथ मासिक बैठकें आयोजित की गईं ताकि कार्य की प्रगति की निगरानी की जा सके, विचारों, चुनौतियों और अच्छे तरीकों का आदान-प्रदान किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्य इस समयबद्ध अभ्यास को पूरा करने में एक साथ हों। इस प्रणाली का अब निरंतर निगरानी और समर्थन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मासिक रिपोर्ट और त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से पालन किया जा रहा है।

एनआरए पर अब तक गसब द्वारा जारी किए गए शोधपत्र

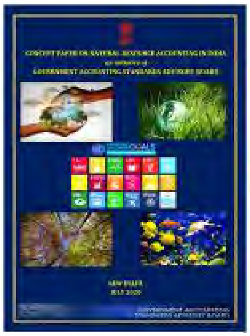

अवधारणा पत्र
(जुलाई 2020)

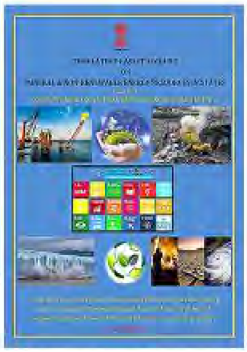

टेम्पलेट्स पर पुस्तिका
(अक्टूबर 2021)

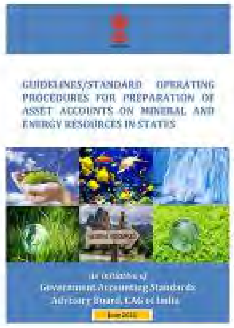

टेम्पलेट भरने के लिए
दिशा-निर्देश/एसओपी और
आगे का रास्ता (जून 2022)

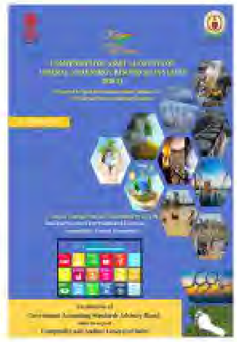

खनिज और ऊर्जा संसाधनों
पर राज्यों में परिसंपत्ति खातों
का संग्रह (अक्टूबर 2022)

(III) खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति खातों का पहला संग्रह (अक्टूबर 2022)

स्पष्ट रोडमैप और रूपरेखा, अनुवर्ती परामर्श, दिशानिर्देश/एसओपी और गसब द्वारा करीबी अनुवर्ती कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि सभी 28 राज्यों और दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्ष 2020-21 के लिए खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर पहला परिसंपत्ति लेखा तैयार किया। यह संकलन अक्टूबर 2022 में माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और भारत के तत्कालीन सीएजी द्वारा जारी किया गया था (107 खनिज और ऊर्जा संसाधनों - 40 प्रमुख खनिज, 63 लघु खनिज और चार जीवाश्म ईंधन को कवर करते हुए राष्ट्रीय संपत्ति खातों में संकलित)।

(IV) अन्य चल रहे कार्य:

(क) **संसाधनों की आपूर्ति और उपयोग का मानचित्रण करने की महत्वाकांक्षी योजना:** राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा खनिजों और ऊर्जा संसाधनों के दोहन से आता है, जो मुख्य रूप से राज्यों के कल्याण और अन्य योजनाबद्ध गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए संस्थाओं की सहायता करता है। इसलिए, संसाधनों के निष्कर्षण से लेकर उनके अंतिम उपयोग तक के मानचित्रण के लिए एक मजबूत संरचना स्थापित करना आवश्यक है।

भारत में एनआरए को लागू करने और देश भर में संसाधनों के प्रबंधन की एक पूर्णतया विश्वसनीय प्रणाली बनाने के लिए गसब के विचार में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों की चोरी को कम करने और राजस्व के अनुकूलन के लिए खनिजों के निष्कर्षण, उत्पादन, प्रेषण, उपयोग/अंतिम उपयोग/निर्यात के मानचित्रण के माध्यम से देश में खनिज संसाधनों की आपूर्ति और उपयोग या 360 डिग्री प्रोफाइलिंग की एक महत्वाकांक्षी योजना शामिल थी। यह 2011 में संशोधित खनिज संरक्षण एवं विकास नियम के नियम 45 द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के कार्यान्वयन और मानचित्रण से संभव है।

(ख) **ग्रेड-वार खनिज उत्पादन को दर्ज करने में राज्यों की सहायता करना:** प्रमुख खनिजों पर रॉयल्टी औसत बिक्री मूल्य पर आधारित होती है, जिसे खनन पट्टाधारकों की मासिक रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह पता लगाने पर कि कई पट्टेदार राज्य सरकारों को रिपोर्ट का एक

ही सेट (जो भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत किया जाता है) उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, गसब ने राज्य सरकारों पर रॉयल्टी के सही आकलन के लिए ग्रेड-वार खनिज उत्पादन और प्रेषण को दर्ज करने की आवश्यकता के बारे में जोर देने के लिए एक पहल की थी। गसब ने 2023-24 के दौरान एक अध्ययन भी किया है, जिसमें पट्टेदारों द्वारा भारतीय खान ब्यूरो को दी गई रिपोर्ट के अनुसार ग्रेड-वार खनिज उत्पादन को खदान-वार रॉयल्टी संग्रह के साथ दर्शाया गया है, जिसमें व्यापक भिन्नताएं दिखाई दी। गसब ने इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर राज्यों को भेज दिए हैं।

ग. **पर्यावरणीय क्षति का लेखांकन:** परिसंपति लेखांकन के समानांतर और एसईईए-सीएफ ढांचे के तीसरे चरण के मद्देनजर, गसब ने संसाधनों के दोहन से प्राप्तियों और संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरणीय क्षतियों के शमन पर किए गए व्यय के लेखांकन की रूपरेखा भी तैयार की है। 2023-24 के दौरान असम, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना में मूल अध्ययन चलाए गए जो सफल रहे और उन्होंने इस बात के सबूत दिखाए कि उपरोक्त निवेश को अधिकृत करने के लिए गसब द्वारा डिज़ाइन किए गए अस्थायी टेम्पलेट व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य हैं। टेम्पलेट को अंतिम रूप दिया गया और 2022-23 परिसंपत्ति लेखांकन वर्ष के लिए 10 खनिज और ऊर्जा संसाधन परिसंपत्ति लेखों के बाद एक अन्य तालिका के रूप में कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया। यह एसईईए ढांचे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक और आवश्यकता है।

घ. **जल संसाधनों का लेखांकन:** खनिज और ऊर्जा संसाधनों के संबंध में डेटा एकत्र करने और उनके समेकन के लिए सफलतापूर्वक प्रणाली स्थापित करने के बाद, गसब ने मानव जाति के लिए एक और महत्वपूर्ण संसाधन, यानी जल संसाधन को चुना है। फरवरी 2023 में प्रारंभ करते हुए, गसब ने चार अस्थायी तालिकाएं और एक प्रश्नावली तैयार की तथा डेटा संग्रह के लिए महालेखाकारों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया। इसके अलावा, गसब ने अंतिम प्रारूप तय करने के लिए संबंधित हितधारक मंत्रालयों/एजेंसियों अर्थात् जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड एवं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संपर्क किया था।

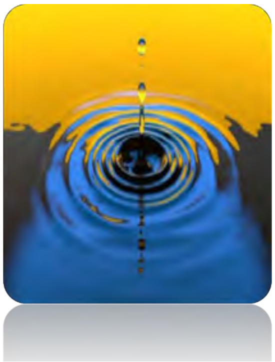

जनवरी 2024 की नवीनतम स्थिति के अनुसार, 26 राज्यों एवं दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों से प्रारूपों के अनुसार जल संसाधनों पर आंकड़े प्राप्त हो गए हैं।

डेटा प्राप्त होने और हितधारक मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ परामर्श के बाद, गसब अंतिम टेम्पलेट तैयार करेगा और वर्ष 2022-23 से खनिज और ऊर्जा संसाधनों के परिसंपत्ति लेखों के साथ-साथ जल संसाधनों के परिसंपत्ति लेखें तैयार करने के लिए राज्यों को सौंप देगा।

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं मार्गदर्शन

व्यावसायिक व्यवहार समूह (पीपीजी) के अधिदेश में नई लेखापरीक्षा पद्धतियों का विकास, प्रसार एवं कार्यान्वयन शामिल है एवं यह लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाओं से संबंधित तकनीकी मुद्दों के लिए एक सलाहकार विंग के रूप में कार्य करता है। पीपीजी एक नई कार्यप्रणाली को अपनाने या पहल करने से पहले एवं मौजूदा कार्यप्रणाली को संशोधित करते समय एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाता है। पीपीजी नई लेखापरीक्षा पद्धतियों के विकास के साथ-साथ नए दिशानिर्देशों एवं अभ्यास नोट्स जारी करके विभाग के भीतर सर्वोत्तम पद्धतियों के उनके आंतरिककरण पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठन को व्यावसायिक इनपुट भी प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा, वित्तीय लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा से जुड़ी मौजूदा प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण जारी किए गए, जिनमें विशेष लेखापरीक्षा, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वाणिज्यिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में गुणवत्ता आश्वासन आदि जैसे मामले शामिल थे।

1.5 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शन

स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के संबंध में 2023-24 के दौरान निम्नलिखित मार्गदर्शन जारी किए गए

(1) स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के संबंध में मई 2023 में एफएक्यू के रूप में मार्गदर्शन जारी किया गया था, जिससे दिसंबर 2022 में जारी पिछले मार्गदर्शन पर उठाए गए कई प्रश्नों का स्पष्टीकरण हो गया। इस मार्गदर्शन में स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के संबंध में मूलभूत मुद्दों को भी स्पष्ट किया गया है, जैसे (i) स्थानीय निकायों की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में क्या शामिल होगा? (ii) स्थानीय शासनों की लेखापरीक्षा के अंतर्गत कौन सी इकाइयां शामिल होंगी? (iii) स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के अंतर्गत क्या लेखापरीक्षित और जांचा जाएगा? (iv) जिला केंद्रित लेखापरीक्षा के लिए कवरेज की अवधि क्या होगी? आदि, साथ ही अधिक जटिल मुद्दे जैसे कि विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा के लिए कौन से मुद्दे उपयुक्त होंगे और सेवा-प्रदाय-उन्मुख लेखापरीक्षा कैसे की जाएगी।

(2) स्थानीय निकायों लेखापरीक्षा के लिए कार्य आधारित दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए, स्थानीय निकायों लेखापरीक्षा विंग द्वारा 'पेयजल' से संबंधित कार्य, अर्थात संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची की क्रम संख्या 11 पर एक मॉडल मुद्दा विश्लेषण तैयार किया गया और क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को जारी किया गया।

(3) फरवरी 2024 में भारत के सीएजी द्वारा "भारत में स्थानीय शासन-पहल और अवसर" पर एक पुस्तक भी जारी की गई। पुस्तक में स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए भारत के सीएजी द्वारा की गई नवीनतम पहलों पर चर्चा की गई है। इसमें पंचायती राज मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शासन संरचना, जवाबदेही और निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मंत्रालयों द्वारा की गई नवीनतम पहलों/प्रयासों पर आधारित अध्याय शामिल हैं। पूर्व नौकरशाहों और लेखापरीक्षा सलाहकारों सहित क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा लिखित इस पुस्तक में सामाजिक लेखापरीक्षा, स्थानीय सरकारों के लेखांकन, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग में सुधार तथा प्राचीन से आधुनिक समय तक पंचायती राज प्रणालियों के विकास पर अध्याय शामिल हैं।

(4) "जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और जवाबदेही को मजबूत करना - स्थानीय शासन का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य" विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई, जो "जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और जवाबदेही को मजबूत करना" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भाग लेने वाले देशों द्वारा साझा की गई चर्चाओं और अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुई। पुस्तक में स्थानीय शासन के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, भाग लेने वाले साई में किए गए लेखापरीक्षा के प्रकार और अधिदेश, तथा अनुभव साझा करने के उद्देश्य से केस स्टडीज और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

अध्याय-2

क्षमता निर्माण

2.1 परिचय

साई इंडिया अपने कर्मियों के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से अपने व्यवहारिक कौशल एवं विशेषज्ञता को लगातार उन्नत करने का प्रयास करता है। प्रशिक्षण कार्यनीति, ***"पेशेवर तथा संस्थागत विकास को बढ़ावा देने"*** के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गहन प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन प्रदान करने के माध्यम से कार्मिक को अपनी भूमिका के निष्पादन तथा मूल्य निर्माण में सहायता करने तथा मजबूत बनाने के प्रति उन्मुख है।

2.2 साई इंडिया में क्षमता निर्माण

साई इंडिया के क्षमता निर्माण के उद्देश्य निम्न हैं:

- कार्य-क्षेत्रज्ञान को सुधारना तथा इसे प्रशिक्षण सामग्री में बदलना
- ज्ञान तथा सूचना सहभाजन
- शिक्षण एवं अध्ययन वातावरण में सुधार करना
- सीखने के परिणामों में सुधार करना

मुख्यालय के नीतिगत प्रबंधन इकाई (एसएमयू) ने जुलाई 2023 में, संगठन के भीतर एवं साई समुदाय के बीच सीखने, ज्ञान साझा करने एवं नवाचार की सुविधा के माध्यम से पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए सीएजी कार्यालय में 'ज्ञान एवं क्षमता निर्माण (केएंडसीबी) विंग' की स्थापना को अधिसूचित किया। इस विंग का नेतृत्व अपर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (क्षमता निर्माण) एवं मुख्य ज्ञान अधिकारी करते हैं। पूर्ववर्ती प्रशिक्षण विंग को ज्ञान एवं क्षमता निर्माण विंग में एकीकृत किया गया है। केएंडसीबी विंग को ज्ञान निर्माण एवं ज्ञान प्रसार की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (आरटीआई)/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (आरटीसी) को क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई) एवं क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्रों (आरसीबीकेसी) के रूप में पुनः नामित किया गया है।

2.3 प्रशिक्षण कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाएँ

(i) **केंद्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी)** केन्द्र बिन्दु, गुणवत्ता तथा औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए साई इंडिया में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा करती है सीटीएसी क्षेत्रीय क्षमता एवं ज्ञान निर्माण संस्थान की क्षेत्रीय सलाहकार समितियों के काम की भी देखरेख करती है। उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, आईआर एवं समन्वय) की अध्यक्षता में 48वीं सीटीएसी बैठक मार्च 2024 में सीएजी के कार्यालय में आयोजित की गई थी।

(ii) **प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए)** प्रशिक्षण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की दिशा में पहला कदम है एवं पाठ्यक्रमों के प्रभावी डिजाइन, कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए सालाना किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए टीएनए का संचालन साई इंडिया के सभी कार्यालयों के लिए साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से किया गया था। टीएनए के आधार पर, आरसीबीकेआई एवं आरसीबीकेसी ने वर्ष 2024-25 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों (सीओटीपी) का अपना वार्षिक कैलेंडर विकसित किया।

(iii) **संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम)** प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सामग्री एवं संदर्भों का एक संक्षिप्त पैकेज है। इसमें प्रशिक्षक के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए पठन सामग्री, मार्गदर्शक पत्र, पृष्ठभूमि दस्तावेज एवं नोट्स शामिल हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल की सामग्री अधिकारियों की एक टीम द्वारा विकसित की जाती है जो विषय वस्तु विशेषज्ञ होते हैं।

31 मार्च 2024 तक, 86 एसटीएम विकसित किए गए हैं, उनकी समीक्षा की गई है एवं प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी को प्रसारित किया गया है।

2023-24 के दौरान निम्नलिखित एसटीएम विकसित किए गए:

- भारतीय लेखांकन मानक (अद्यतन)
- परिणाम आधारित लेखापरीक्षा
- मोटर वाहन कर (एमवीटी)
- शहरी स्थानीय निकाय
- सरकारी कम्पनियों का वित्तीय लेखापरीक्षण (अद्यतन)
- निष्पादन लेखापरीक्षा
- अनुपालन लेखा परीक्षा दिशानिर्देश
- वित्तीय विवरणों का क्रय लेखापरीक्षा विश्लेषण
- माल एवं सेवा कर का लेखा परीक्षण
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर मार्गदर्शन
- ई-वाउचर एवं ई-चालान पर गाइड
- अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा मानकों पर मार्गदर्शिका

iv. वैयत्तिक अध्धयन/शोध पत्रों का विकास

वैयत्तिक अध्धयन वयस्क शिक्षाशास्त्र के लिए मूल्यवान एवं व्यावहारिक उपकरण हैं। वैयत्तिक अध्धयन पद्धति एक ऐसी कक्षा का विकास है जिसमें छात्र केवल तथ्यों एवं सिद्धांतों को आत्मसात करके ही नहीं सीखते, बल्कि वास्तविक मुद्दों का सामना करते हुए विश्लेषण, संश्लेषण, नेतृत्व एवं टीम वर्क के कौशल का भी अभ्यास करते हैं।

31 मार्च 2024 तक, 67 वैयत्तिक अध्धयन विकसित की गई हैं, उनकी समीक्षा की गई है एवं उन्हें प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी को प्रसारित किया गया है। 2023-24 के दौरान निम्नलिखित वैयत्तिक अध्धयन विकसित की गई:

- सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति की भूमिका
- सीमित ऊंचाई वाले सबवे का निर्माण एवं रखरखाव
- उच्च दरों पर मकान किराया भत्ते का भुगतान

- लॉगिंग एवं लेखापरीक्षा ट्रेल्स
- भारतीय रेलवे में समय की पाबंदी एवं गमन अवधि
- नए प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की स्थापना
- उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
- कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन
- ड्राफ्ट पैराग्राफ पर लेखापरीक्षिती की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन
- पीएसी/सीओपीयू में लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर कार्यवाही का अनुवर्तन
- जीएसटी - अस्वीकार्य वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा
- लोक निर्माण लेखापरीक्षा - फिजूलखर्ची: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी एवं अनुमोदन में कमी के कारण पुल निर्माण कार्य को छोड़ना पड़ा
- राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करना
- पीपीपी अनुबंधों में रियायत समझौते के नियमों एवं शर्तों का गैर-अनुपालन
- तूफानी जल का प्रबंधन
- जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के 2018-19 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
- वर्ष 2019-20 के लिए हाफकाइन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
- भू-राजस्व की वसूली न होना
- स्टाम्प ड्यूटी का कम लगाया जाना
- अनाधिकृत एसी बिलों का आहरण
- विभाग में मोटर वाहनों पर कर का आकलन एवं संग्रहण तथा वित्तीय नियंत्रण
- आयुध कारखानों में पैराशूट का उत्पादन
- सार्वजनिक खरीद का लेखा-परीक्षण - परिहार्य व्यय
- प्राधिकरण से अधिक व्यय
- विनियोग खातों में बचत राशि का समय पर समर्पण न किया जाना
- पश्चिम बंगाल में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

2.4 साई इंडिया के संस्थानों में प्रशिक्षण

साई इंडिया के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे में चार केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई) एवं दो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र (आरसीबीकेसी) शामिल हैं।

2.4.1 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण

2.4.1.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी (एनएए)

वर्ष 2023-24 के दौरान, एनएए ने 2021, 2022 एवं 2023 बैचों के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का आयोजन किया, जिसमें आईएएंडएएस के 64 अधिकारी प्रशिक्षु, भूटान के रॉयल ऑडिट अथॉरिटी के छह अधिकारी एवं साई, मालदीव के दो अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं/कर रहे हैं। वर्ष 2021 बैच के 13 आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं ने नवंबर 2023 में एनएए में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है एवं वर्ष 2022 बैच के 14 आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षु, जिन्होंने अपना चरण-I का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वर्तमान में अपने ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में हैं। वर्ष 2023 बैच के 26 आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षु एवं भूटान के रॉयल ऑडिट अथॉरिटी के दो अधिकारी नवंबर 2023 में एनएए में अपने प्रेरण प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं एवं अपना चरण-I प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

एनएए का एक प्रमुख उद्देश्य अधिकारी प्रशिक्षुओं को आंतरिक प्रशिक्षण, पाठ्येतर एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से लोक सेवकों के रूप में व्यावसायिक ज्ञान एवं क्षमता प्राप्त करने में सहायता करना है। व्यावसायिक ज्ञान के लिए इनपुट एक संवादात्मक कक्षा वातावरण के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं तथा विभिन्न संगठनों के कामकाज पर व्यावहारिक सत्र अध्ययन दौरों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से प्रदान किए जाते है।

2023-24 के दौरान, एनएए ने 'प्रज्ञान' व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दो व्याख्यान आयोजित किए। पहला व्याख्यान भारत के पूर्व विदेश सचिव डॉ. शिवशंकर मेनन ने 28 जून 2023 को "भारतीय विदेश नीति पर एशियाई भू-राजनीति का प्रभाव" विषय पर दिया एवं दूसरा व्याख्यान पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुश्री शोवना नारायण ने 22 जनवरी 2024 को "भारत की कला एवं सांस्कृतिक विरासत का संगम" विषय पर दिया।

आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के प्रेरण प्रशिक्षण के अलावा, एनएए सेवारत आईएएसएएस अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं एवं भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए लेखापरीक्षा एवं लेखा संवेदीकरण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। 2023-24 के दौरान, एनएए में दो कार्यशालाओं सहित 13 इन-सर्विस पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 252 अधिकारियों ने भाग लिया।

2.4.1.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा)

आईसीसा, नोएडा की स्थापना नवीनतम शिक्षाशास्त्र एवं प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए फ्रंटलाइन ऑडिट उत्पादों को डिजाइन करने एवं उच्च गुणवत्ता वाले, कौशल-विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए की गई थी। आईसीसा अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्षमता-निर्माण पहलों में उभरते रुझानों एवं प्रौद्योगिकियों को महत्त्व देता है, जिससे दुनिया भर के लेखा परीक्षकों एवं पेशेवरों को अपने अनुभव साझा करने एवं उनके निरंतर व्यावसायिक सुधार में मदद करता है। आईसीसा विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों जैसे सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा एवं नियंत्रण संघ (आईएसएसीए), यूनिसेफ एवं विश्व बैंक के साथ-साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक समृद्ध संसाधन पूल तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, आईबीएम एवं टीसीएस जैसी प्रमुख आईटी फर्मों के पेशेवरों

ने संस्थान के प्रशिक्षण प्रस्तावों को एवं समृद्ध किया। आईसीसा ने 31 मार्च 2024 तक आवासीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 152 देशों के 5,276 प्रतिभागियों एवं ऑनलाइन बहुपक्षीय कार्यक्रमों के माध्यम से 126 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

2023-24 के दौरान, आईसीसा ने 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम (नौ अंतर्राष्ट्रीय एवं आठ राष्ट्रीय) आयोजित किए, जिनमें 542 प्रतिभागियों (246 अंतर्राष्ट्रीय एवं 296 राष्ट्रीय) ने भाग लिया। राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के 35 अधिकारियों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल था।

आईसीसा एक द्विवार्षिक ई-जर्नल-पर्सुइट प्रकाशित करता है जिसे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालित किया जाता है एवं आईसीसा वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है। वर्तमान में, आठवीं पत्रिका आईसीसा वेबसाइट पर अपलोड की गई है एवं 'डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन' थीम पर आधारित नौवां अंक तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, आईसीसा विभिन्न ई-लर्निंग मॉड्यूल (ईएलएम) विकसित करके क्षमता निर्माण में योगदान दे रहा है। "भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में अनुशासनात्मक कार्यवाही" पर ईएलएम को आईसीसा द्वारा विकसित किया गया था एवं साई प्रशिक्षण पोर्टल पर होस्ट किया गया था। इसके अलावा, "आचार संहिता" पर एक ईएलएम तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आईसीसा आईएस ऑडिट (कैप्टिवेट एवं अन्य उपकरणों का उपयोग करके) पर शिक्षण वीडियो विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

2.4.1.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखा परीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी)

आईसीईडी की स्थापना पर्यावरण लेखापरीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण एवं ज्ञान साझा करने के लिए की गई थी। आईसीईडी पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास के क्षेत्र के लिए अद्वितीय रूप से समर्पित है एवं वर्षों से भारत की पर्यावरण लेखापरीक्षा आयोजित करने में विशेषज्ञता को बढ़ाना चाहता है। आईसीईडी पर्यावरण लेखापरीक्षा पर कार्य समूह की एक नामित वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) एवं सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (इंटोसाई) का निष्कर्षण उद्योगों पर कार्य समूह (अगस्त 2016 से) भी है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आईसीईडी द्वारा 20 क्षमता-निर्माण एवं ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें से 11 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दो राष्ट्रीय कार्यशालाएँ/क्षेत्रीय सेमिनार, दो संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाँच अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थे। नौ कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से एवं 11 ऑफ़लाइन माध्यम से आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कुल 604 प्रतिभागियों (313 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी एवं 291 राष्ट्रीय प्रतिभागी) ने भाग लिया।

आईसीईडी के पास टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से एक व्यावसायिक आंतरिक अनुसंधान कार्यक्रम है, ताकि साई इंडिया की पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को सामने लाया जा सके।

आईसीईडी विभिन्न पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं अन्य संबंधित सामग्री से इनपुट को जोड़कर एक त्रैमासिक समाचार पत्र "ग्रीन फाइल्स" जारी करता है जिसे साई इंडिया एवं बाहर बहुत सराहा जाता है। 2023-24 के दौरान निम्नलिखित खंड प्रकाशित/ प्रकाशनाधीन हैं:

- "ब्लू इकोनॉमी" विषय के अंतर्गत 'ग्रीन फाइल्स' का 45वां खंड
- "जलवायु परिवर्तन एवं नीली अर्थव्यवस्था" विषय के अंतर्गत 'ग्रीन फाइल्स' का 46 वां खंड।

- "ब्लू इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य" विषय के अंतर्गत 'ग्रीन फाइल्स' के 47वें खंड का विमोचन किया गया।
- 'ग्रीन फाइल्स' का 48वां खंड 'जलवायु परिवर्तन एवं सीओपी 28 पर विशेष ध्यान देने के साथ ब्लू इकॉनमी' के विषयों पर केंद्रित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आईसीईडी ने समकालीन पर्यावरणीय विषयों एवं अनुभागों को शामिल किया है, जैसे जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा-संबंधी उत्सर्जन एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने में वर्षावनों का महत्व।

ब्लू इकोनॉमी पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आईसीईडी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अप्रैल 2023 में आईसीईडी में ब्लू इकोनॉमी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी एवं जून 2023 में गोवा में साई20 शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की।

आईसीईडी ने 2023-24 में, नीचे उल्लिखित आईसीईडी के चार स्तंभों का उपयोग करके ब्लू इकोनॉमी पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक शुरू की :

- **क्षमता निर्माण:** आईसीईडी ने प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए एवं ब्लू इकोनॉमी पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें इंटोसाई डब्ल्यूजीईए के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अपने कर्मचारियों के लिए आंतरिक क्षमता निर्माण कार्यशालाएं शामिल हैं।
- **अनुसंधान:** समुद्री एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में ब्लू इकोनॉमी के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हुए कई सामयिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। सितंबर 2023 में, "समुद्री मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान देने के साथ ब्लू इकोनॉमी के विकास में सतत आजीविका एवं लैंगिक समानता" शीर्षक से शोध पत्र जारी किया गया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में "भारत में फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम पर ध्यान देने के साथ समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रभाव आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ड्राइवर-प्रेशर-स्टेट-इम्पैक्ट-रिस्पॉन्स (डीपीएसआईआर) फ्रेमवर्क एवं एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण का उपयोग" प्रकाशित किया गया। इसके बाद के शोध पत्रों में फरवरी 2024 में "समुद्री ऊर्जा संसाधन: योजना लेखा परीक्षा के लिए परिप्रेक्ष्य" एवं मार्च 2024 में "महासागर अम्लीकरण पर चयनित परिप्रेक्ष्य" शामिल थे।
- **ज्ञान भंडार:** आईसीईडी ने ब्लू इकोनॉमी पर साई20 कार्यक्रमों के दौरान साई इंडिया की विभिन्न पहलों में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, जून 2023 में गोवा में साई20 शिखर सम्मेलन में इसी शीर्षक वाली एक कॉफी टेबल बुक प्रदर्शित की गई।
- **अनुभव साझा:** आईसीईडी ने ब्लू इकोनॉमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) एवं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) जैसे प्रमुख थिंक टैंकों के साथ सहयोग किया। इसके अलावा, आईसीईडी ने दिसंबर 2023 में ब्लू इकोनॉमी के क्षैतिज लेखापरीक्षा पर संचालन समिति की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया एवं गुवाहाटी एवं गोवा में 2023 के साई20 शिखर सम्मेलनों के दौरान सामग्री साझा की। इसके अतिरिक्त, आईसीईडी ने गुवाहाटी में साई20 प्रतिनिधियों की बैठक के लिए महानिदेशक लेखापरीक्षा (पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग) टीम के लिए बहुमूल्य इनपुट प्रदान किए।

2.4.2 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण संस्थानों/केंद्र में प्रशिक्षण /आंतरिक प्रशिक्षण

साई इंडिया में देश भर में स्थित 10 क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान (आरसीबीकेआई) एवं दो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान केंद्र (आरसीबीकेसी) हैं। क्षेत्रीय कार्यालय क्षमता निर्माण हेतु कार्यालय के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम अवधि के आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

2023-24 के दौरान, आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी ने 657 पाठ्यक्रम (422 सामान्य, 207 आई.टी. एवं 28 हाइब्रिड) आयोजित किए एवं 14,983 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। इसी अवधि के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों ने 1,549 आंतरिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया एवं 16,338 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ 2023-24

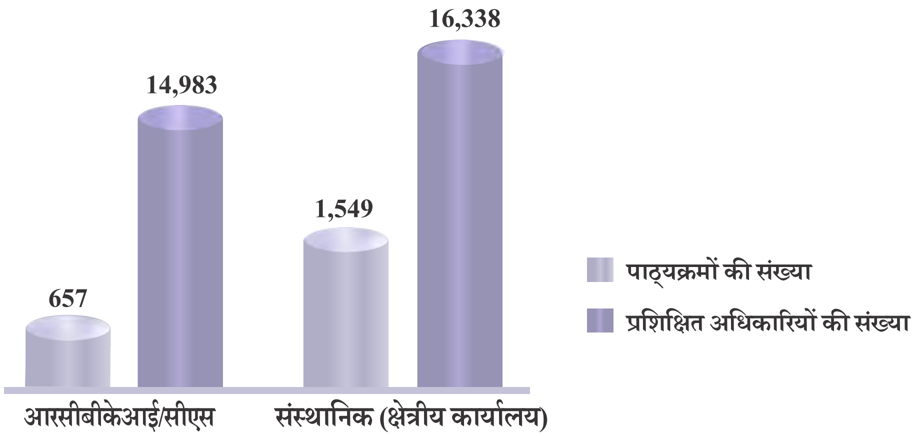

ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों जैसे जीएसटी, कार्य लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा एवं आईटी विषयों जैसे डेटा एनालिटिक्स, आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा, ओरेकल एवं कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षा तकनीक पर आयोजित किए गए थे।

अप्रैल 2023 में आयोजित कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण (ज्ञान केंद्र विषय) के प्रतिभागियों की समूह तस्वीर

आरसीबीकेआई, मुंबई

2.5 प्रतिष्ठित संस्थानों में आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए सेवाकालीन महत्वपूर्ण प्रशिक्षण

मई 2016 में जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के अनुसार आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) के पैटर्न को संशोधित किया गया था। वर्तमान में इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) **सार्वजनिक नीति एवं वित्त मुद्दों की समझ बढ़ाने, विश्लेषणात्मक उपकरणों एवं प्रबंधन कौशल को मजबूत करने के लिए 7 से 9 साल की सेवा वाले** आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।

(ii) अनुभव एवं तकनीकी आदानों को व्यापक बनाने, विश्लेषणात्मक उपकरणों, प्रबंधन कौशल एवं पारस्परिक कौशल को मजबूत करने के लिए **14-16 वर्षों की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)।**

(iii) **26-28 वर्ष की सेवा के साथ आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एएमडीपी)** ताकि नीति विकास, प्रदर्शन प्रबंधन, संगठनात्मक डिजाइन, वार्ता एवं नेतृत्व सहित वरिष्ठ प्रबंधकों के सामने आने वाले बहुआयामी मुद्दों के बारे में जानकारी बढ़ाई जा सके।

वर्ष 2023-24 के लिए आईएएंडएएस अधिकारियों की एमसीटीपी निम्नानुसार आयोजित की गई:

- आईआईएम बैंगलोर में 8 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक 20 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का ईडीपी आयोजित किया गया।
- 20 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का एमडीपी आयोजित किया गया, अर्थात पहला सप्ताह 4 मार्च 2024 से 8 मार्च 2024 तक आईआईएम अहमदाबाद में एवं दूसरा सप्ताह 11 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 तक एनएए, शिमला (विदेशी घटक के बदले में) में आयोजित किया गया।
- 29 जनवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक 15 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद में दो सप्ताह का एएमडीपी आयोजित किया गया।

2.6 वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के लिए बाह्य प्रशिक्षण

2023-24 के दौरान, 241 व.ले.प.अ./स.ले.प.अ. को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता', 'तनाव एवं चिंता प्रबंधन', 'योग्यता मानचित्रण', 'आरटीआई सहित कानूनी मामलों को संभालना' एवं 'बिग डेटा एनालिटिक्स' पर छह प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया गया।

2.7 वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिए स्व-नामांकन योजना

भारत के सीएजी ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में व.ले.प.अ./स.ले.प.अ. के प्रशिक्षण के लिए स्व-नामांकन योजना को मंजूरी दी (अक्टूबर 2019)। नवंबर 2021 में स्व-नामांकन योजना को संशोधित किया गया ताकि व.ले.प.अ./स.ले.प.अ. को आईआईएम द्वारा आयोजित ऑनलाइन/हाइब्रिड प्रशिक्षणों में भी भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआईएम यानी अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ एवं इंदौर में 17 पाठ्यक्रमों में 69 व.ले.प.अ./स.ले.प.अ. को प्रशिक्षित किया गया।

2.8 वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण प्रभाग ने मार्च 2023 से व.ले.प.अ./स.ले.प.अ. के लिए निम्नानुसार पांच स्तरीय मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) लागू किया है:

एमसीटीपी	विवरण
स्तर 1	आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी में सीधी भर्ती वाले स.ले.प.अ./पदोन्नत स.ले.प.अ. के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया गया
लेवल 2	7 से 12 वर्ष के सेवा करियर वाले स.ले.प.अ. के लिए - आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी में
स्तर 3	12-17 वर्ष के सेवा करियर वाले व.ले.प.अ./स.ले.प.अ. के लिए - आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी
स्तर 4	बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (ओपीजेजीयू) सोनीपत एवं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) हैदराबाद में 17-22 वर्ष की सेवा अवधि वाले वलेपअ/सलेपअ के लिए
स्तर 5	अरुण में 22 वर्ष से अधिक सेवा करियर वाले व.ले.प.अ./स.ले.प.अ. जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) फरीदाबाद

वर्ष 2023-24 के दौरान 79 एमसीटीपी आयोजित किए गए, जिनमें 2,288 एसएओ/एएओ को प्रशिक्षित किया गया।

2.9 स्व-शिक्षण मॉड्यूल (एसएलएम)

एसएआई भारत के सभी अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी के इष्टतम कार्यात्मक ज्ञान से लैस करने के लिए, एमएस-वर्ड, एमएस-एक्सेल, एमएस-एक्सेस, एमएस-पावरपॉइंट, ई-मेलिंग, ई-ऑफिस, पीएफएमएस, बीईएमएस एवं स्पैरो पर स्व शिक्षण मॉड्यूल (एसएलएम) विकसित किए गए। ये मॉड्यूल एसएआई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए। क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे इन एसएलएम पर समय-समय पर संस्थागत मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करें, ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सफल उम्मीदवारों को प्रमाणन मिलना चाहिए।

मार्च 2024 के अंत तक, इन मॉड्यूलों के माध्यम से प्रशिक्षित 145 कार्यालयों के 14,953 कर्मचारी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए एवं 13,198 कर्मचारियों को सफल घोषित किया गया।

2.10 निष्पादन निगरानी ढ़ाँचा

आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी के लिए मात्रात्मक मापदंडों के साथ एक प्रदर्शन अनुवीक्षण तंत्र (पीएमएफ) 2015-16 में डिजाइन व प्रस्तुत किया गया। पीएमएफ में आरसीबीकेआई/ आरसीबीकेसी की आंतरिक प्रक्रियाओं को हितधारकों की अपेक्षाओं से जोड़कर उत्कृष्टता को आंतरिक व संस्थागत बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके एवं प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी एवं इसके उपयोगकर्ता कार्यालयों द्वारा आवंटित अंकों का सत्यापन आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी का भौतिक निरीक्षण करके किया जाता है। 11 आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु पीएमएफ सत्यापन 2023-24 के दौरान पूरा हो चुका है।

2.11 2023-24 के दौरान ज्ञान एवं क्षमता निर्माण (केएंडसीबी) स्कंध की विशेष उपलब्धियां

2023-24 के दौरान क्षमता निर्माण में निम्नलिखित अन्य उपलब्धियां भी प्राप्त की गईं:

(i) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरू में 19 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारियों के लिए 11 मार्च 2024 से 13 मार्च 2024 तक **'कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग' पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किया गया।

(ii) फरवरी 2024 से केएंडसीबी विंग द्वारा **डॉ. बी.आर. अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला** का आयोजन किया गया है। व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य अधिकारियों/कर्मचारियों को महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक विचारों एवं मुद्दों से अवगत कराना है। व्याख्यान श्रृंखला का अंतर्निहित दर्शन अधिकारियों को अलग एवं अभिनव तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। केएंडसीबी विंग ने फरवरी 2024 में कोहिमा शहर के डिजिटल ट्विन पर 10वीं डॉ. बी.आर. अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया एवं दो अतिथि वक्ताओं श्री म्हथुंग किथन एवं श्री अथो-ओ केथोरीटुओ केसीज़ी को एक वार्ता/प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया। श्री म्हथुंग किथन एवं श्री अथो-ओ केथोरीटुओ केसीजीफोर, नागालैंड सरकार के प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, जिन्होंने कोहिमा शहर के डिजिटल ट्विन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(iii) **आईसीईडी में अनुसंधान सहयोगियों की नियुक्ति :** 2023-24 के दौरान, शिक्षाविदों/अनुसंधान सहयोगी योजना के अंतर्गत, आईसीईडी जयपुर में चार अनुसंधान सहयोगियों (ग्रेड-I) की नियुक्ति की गई।

(iv) **साई इंडिया में इंटर्नशिप योजना:** 2023-24 के दौरान, साई इंडिया में इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत, ज्ञान एवं क्षमता निर्माण स्कंध ने केएंडसीबी स्कंध (तीन युवा पेशेवर), कानूनी स्कंध (दो युवा पेशेवर) एवं नीतिगत प्रबंधन इकाई (एक युवा पेशेवर) हेतु छ: युवा पेशेवरों को सम्मिलित किया।

(v) **ज्ञान केन्द्र विषयों का संशोधन:** रणनीतिक ज्ञान समिति ने आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी के ज्ञान केन्द्र विषयों की समीक्षा की, तथा आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी को आवंटित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के विषयों को संशोधित किया है।

(vi) **सिस्टम ऑटोमेशन इनिशिएटिव (एसएआई) प्रशिक्षण एप्लीकेशन :** 2023-24 के दौरान एसएआई क्षमता निर्माण (पूर्ववर्ती एसएआई प्रशिक्षण) पोर्टल चरण- IV की प्रगति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	मॉड्यूल	विवरण
1	बाह्य प्रशिक्षण मॉड्यूल	केएंडसीबी स्कंध द्वारा केंद्रीय रूप से आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन के प्रबंधन हेतु एक मॉड्यूल
2	बाहरी संकाय हेतु संकाय लॉगिन मॉड्यूल	संकाय मॉड्यूल अतिथि संकाय सदस्यों (आरसीबीकेआई/ आरसीबीके सी) को प्रतिभागियों पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने का विकल्प देता है
3	केएंडसीबी स्कंध की एमआईएस रिपोर्ट	केएंडसीबी स्कंध की आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट रिपोर्ट

(vii) **शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस):** विभाग में स्व-शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, केएंडसीबी स्कंध ने अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) प्रारंभ की है। 2023-24 के दौरान, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर एक सामान्य पाठ्यक्रम एलएमएस पोर्टल में जोड़ा गया है। साई इंडिया के सभी कर्मचारियों को एलएमएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त है। इसके अलावा, केएंडसीबी विंग

आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि एलएमएस प्लेटफॉर्म पर एवं अधिक पाठ्यक्रमों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

मार्च 2024 तक, 25,667 कर्मचारियों ने सक्रिय पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कराया, जिनमें से 17,850 कर्मचारियों ने अपने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

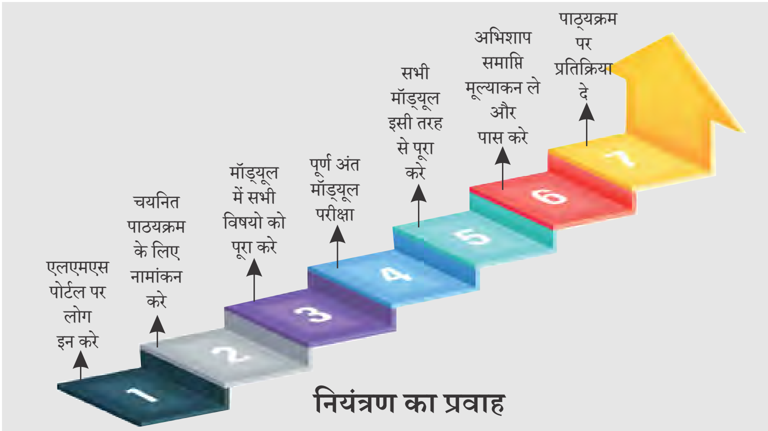

नियंत्रण का प्रवाह

viii. **सीधी भर्ती वाले सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण:** सीधी भर्ती वाले सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी हेतु 9 माह के प्रारंभिक प्रशिक्षण के मौजूदा पैटर्न निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया गया है (मई 2023):

चरण 1: आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी में एसएएस तैयारी सहित तीन माह का कक्षा प्रशिक्षण।

चरण 2: क्षेत्रीय कार्यालयों में तीन माह का कार्यस्थल प्रशिक्षण।

चरण 3 : सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षकों के लिए छ: सप्ताह का अभिविन्यास प्रशिक्षण

प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, शीर्ष 10 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को एनएए, शिमला में एक सप्ताह का अनावरण पाठ्यक्रम कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, सबसे शीर्ष सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पदक, दूसरे को डीएआई पदक एवं तीसरे को डीजी एनएए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। सीधी भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण का संशोधित पैटर्न सीधी भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सीजीएलई 2019 बैच के प्रारंभिक प्रशिक्षण से लागू किया गया था।

ix. **सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षकों के लिए छ: सप्ताह का अभिविन्यास प्रशिक्षण :** वर्ष 2023-24 के दौरान, आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी द्वारा आयोजित छ: सप्ताह के अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 433 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

x. **"प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम:** भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद में "प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण" पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण 4-16 दिसंबर 2023 एवं दूसरा चरण 26-28 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम में 11 आईएएंडएस अधिकारी, आरसीबीकेआई/ आरसीबीकेसी के 18 कोर संकाय सदस्य एवं केएंडसीबी स्कंध के एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एवं एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने भाग लिया।

अध्याय-3

आंतरिक नियंत्रण एवं गुणवत्ता मूल्यांकन

3.1 निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन

निरीक्षण एवं समकक्षी समीक्षा (आईपीआर) स्कंध को भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के सभी कार्यात्मक कार्यालयों (विदेश में स्थित पांच कार्यालयों को छोड़कर, दो क्षेत्रीय ज्ञान एवं क्षमता निर्माण केंद्रों सहित 132 कार्यालय) की नमूना जांच का दायित्व सौंपा गया है। स्कन्ध पेशेवर घोषणाओं एवं प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करने एवं मानव पूंजी व दक्षता अनुकूलन के इष्टतम उपयोग के लिए पाठ्यक्रम सुधार की सुविधा प्रदान करने वाले अंतर विश्लेषण के उद्देश्य से निरीक्षण कार्य करता है। निरीक्षण व्यक्तिगत कार्यालयों में देखी गई अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, यह स्कंध शाखा कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों का मौके पर निरीक्षण करता है। इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए जोखिम मापदंडों के आधार पर कार्यालयों का चयन एक बिंदु प्रणाली आधार पर किया जाता है।

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यात्मक शाखाओं के निरीक्षण व जवाबदेही की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थित हैं: -

(क) निरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सहभागी बनाने के लिए, स्कंध ने संबंधित कार्यात्मक स्कंध के प्रमुखों के साथ नियमित वार्ता के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ तालमेल में सुधार करने एवं बनाए रखने का प्रयास किया है;

(ख) निरीक्षण दल उपलब्ध सामग्री जैसे कि पहले की समकक्षी समीक्षा रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण के लिए नियोजित कार्यालयों से बुलाई गई विस्तृत जानकारी एवं नियमित आधार पर कार्यात्मक स्कंध से प्राप्त आवधिक रिटर्न/इनपुट का डेस्क अध्ययन करते हैं। दल प्रारंभ होने से पहले एवं क्षेत्रीय समनुदेशन पूरा होने के बाद उच्चतम स्तर पर विवरण लेने एवं देने के सत्रों से गुजरते हैं;

(ग) रिपोर्टें मानक प्रारूपों में तैयार की जाती हैं एवं संक्षिप्त होती हैं तथा हितधारकों को रचनात्मक तरीके से संलग्न करने के लिए अनुशंसाएँ करती हैं;

(घ) क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण तथा विशिष्ट मुद्दों एवं कार्यात्मक कार्यक्षेत्रों पर संबंधित समूहों के परामर्श से तैयार की गई जांच सूचियों का उपयोग निरीक्षण दलों द्वारा किया जाता है;

(ङ) सभी निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) डिजिटल रूप में जारी की जाती हैं एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) पोर्टल के पर अपलोड की जाती हैं। वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की आईआर केएमएस पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(च) क्षेत्रीय कार्यालयों से दो श्रेणियों के अंतर्गत अवलोकनों के अनुपालन करने को कहा गया है , अर्थात (I) श्रेणी-ए- जहां कार्यालय द्वारा समयबद्ध तरीके से अनुपालन किया जाना है, एवं (II) श्रेणी-बी- जहां अनुपालन राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि जैसी बाह्य अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर है। अलग-अलग कार्यालयों को एक समय-सीमा तय करने की सलाह दी गई है जिसके भीतर आईआर में उठाई गई सभी अवलोकनों का अनुपालन किया जाना है।

3.2 वर्ष 2023-24 के दौरान गतिविधियाँ

- निरीक्षण कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए पिछले वर्ष 2022-23 से जारी प्रथा के अनुसार निरीक्षण दलों का पर्यवेक्षण एक समूह अधिकारी द्वारा किया गया।
- वर्ष के दौरान, 20 (लेखा एवं हकदारी-पांच, राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय-सात, केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय-दो, रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय-एक, रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय-तीन एवं प्रशिक्षण संस्थान-दो) क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण की योजना बनाई गई थी। 31 मार्च 2024 तक किए गए निरीक्षण, दर्शायी गई टिप्पणियों, निपटान एवं बकाया का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	2023-24 के दौरान जारी आईआर/टिप्पणियों की संख्या		2023-24 के दौरान निपटाए गए अवलोकनों की संख्या	मार्च 2024 के अंत तक बकाया पैरा/आईआर की संख्या	
		आईआर	पैरा		पैरा की संख्या	आईआर की संख्या
20	20	21	2,669	2,443	2,852	48

3.3 आंतरिक समकक्ष समीक्षा

आईपीआर स्कंध गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के भाग के रूप में साई इंडिया में कार्यालयों की समकक्ष समीक्षा आयोजित करता है। ये 'लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए सहकर्मी समीक्षा दिशानिर्देश 2022' द्वारा शासित होते हैं। इन दिशानिर्देशों का दायरा लेखापरीक्षा कार्यालयों की समीक्षा तक सीमित है।

वर्ष के दौरान 14 क्षेत्रीय कार्यालयों (लेखा एवं हकदारी-तीन एवं लेखापरीक्षा कार्यालय-छ:, केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय-एक, रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय-एक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय-एक एवं रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय-दो) की समकक्ष समीक्षा की योजना बनाई गई थी। सभी कार्यालयों की समकक्ष समीक्षा पूर्ण हो चुकी है।

अध्याय-4

हमारी सूचना प्रौद्योगिकी पहल

साई इंडिया लगातार अपने अलग-अलग विरासत सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रौद्योगिकी) अनुप्रयोगों को केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों में उच्चीकरण कर रहा है। केंद्रीकृत समाधानों को प्रबंधित करना सहज है, एवं अत्याधुनिक सुरक्षा सेटअप को लागत-प्रभावी ढंग से केंद्रीकृत अनुप्रयोग में तैनात किया जा सकता है। डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देने का उद्देश्य हमारी कार्य प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, प्रक्रिया के लिए समय कम करना एवं प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना एवं लेखापरीक्षा समनुदेशन के लिए अन्य सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों द्वारा उत्पन्न डिजिटल आंकड़ा का लाभ उठाना है।

साई इंडिया में अनुप्रयोगों को सेवाओं की उच्च उपलब्धता एवं बेहतर गुणवत्ता/निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। नवीन केंद्रीकृत समाधानों में उन्नत साइबर खतरों से निपटने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा निर्माण सम्मिलित है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र, बाहरी, सरकारी पैनल वाली अभिकरण द्वारा नेटवर्क, अवसंरचना एवं अनुप्रयोग की सुरक्षा लेखापरीक्षा अनिवार्य रूप से की जाती है।

साई इंडिया में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

- साई इंडिया के लिए सूचना प्रणाली (आईएस) नीति का निर्माण व कार्यान्वयन;
- नई सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का डिजाइन व कार्यान्वयन;
- मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से लेखाकरण एवं हकदारी कार्यों के संबंध में;
- सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का प्रबंधन एवं रखरखाव;
- लेखापरीक्षा कार्यों की योजना एवं निष्पादन में सहायता हेतु आंकड़ों के विश्लेषण हेतु संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना; एवं
- लेखापरीक्षित संस्थाओं की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की लेखापरीक्षा।

4.1 हाल की पहल एवं विकास

भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अनुरूप, साई इंडिया अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं एवं अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है। 1 अप्रैल 2023 से साई इंडिया के मुख्य लेखापरीक्षा प्रकार्य – एक आईएएंडएडी एक प्रणाली (ओआईओएस) अनुप्रयोग, एक आद्योपांत लेखापरीक्षा प्रक्रिया और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के विकास, कार्यान्वयन और लोकार्पण के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। क्षेत्राय कार्यालयों को ई-ऑफिस (एनआईसी की फ़ाइल प्रबंधन और स्थानांतरण प्रणाली) अनुप्रयोग में सम्मिलित व प्रशिक्षित किया गया। हमारे कर्मियों के लिए एक व्यापक एचआर पैकेज (ई-एचआरएमएस) को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

इसके अतिरिक्त, मुख्यालय कार्यालय में साई इंडिया का आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (सीडीएमए) है। सीडीएमए अन्य सरकारी अनुप्रयोगों एवं उनके द्वारा तैयार आंकड़ो तक केंद्रीकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है एवं आंकड़ा विश्लेषण एवं आंकड़ा बहाली में साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करता है। सीडीएमए ने चयनित लेखापरीक्षा समनुदेशन हेतु केंद्रीकृत डेस्क समीक्षा शुरू कर दी है।

साई इंडिया के पास एक अलग सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा प्रकार्य भी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जोखिम मूल्यांकन एवं प्राथमिकता हेतु उत्तरदायी है एवं योजना एवं डिजाइन से लेकर मध्यावधि समीक्षा के माध्यम से रिपोर्टिंग तक व्यक्तिगत सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा समनुदेशन के मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी है।

4.1.1 एक आईएएंडएडी - एक प्रणाली

4.1.1.1 ओआईओएस का डिजाइन, विकास एवं रोल आऊट

साई इंडिया एक बड़ा संगठन है - जिसमें लगभग 42,000 लोग कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 29,000 कर्मचारी इसके मुख्य लेखापरीक्षा कार्य में सम्मिलित हैं। अब तक, विभागीय जानकारी विषमरूप एवं वितरित तरीके से संग्रहीत की जा रही थी, जिसमें कागज़-आधारित फ़ाइलें, व्यक्तिगत डेस्कटॉप पर संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलें, कुछ मामलों में स्थानीयकृत संस्थागत सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम सम्मिलित थे, जिसमें विभाग में आंकड़ा के व्यवस्थित साझाकरण हेतु एक प्रभावी तंत्र का अभाव था।

2019 में, साई इंडिया ने लेखापरीक्षा प्रक्रिया स्वचालन एवं ज्ञान प्रबंधन के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के विकास, कार्यान्वयन एवं लोकार्पण की शुरुआत की, जिसे एक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग व एक सिस्टम (ओआईओएस) कहा जाता है। ओआईओएस परियोजना का उद्देश्य एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफ़ॉर्म बनाना है जो साई इंडिया की लेखापरीक्षा गतिविधियों के बारे में सच्चाई का एक एकल स्रोत बनाएगा। यह एक कार्य प्रवाह-आधारित सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग है जहाँ सभी गतिविधियाँ अनुप्रयोग के भीतर ही वास्तविक समय में आदि से अंत तक की जाती हैं। समाधान में चार मुख्य घटक सम्मिलित हैं:

(क) व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा डिजाइन, लेखापरीक्षा निष्पादन, लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित गतिविधियाँ की जा सकती हैं। इसमें सभी प्रकार के लेखापरीक्षा (वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा) सम्मिलित हैं।

(ख) ज्ञान प्रबंधन प्रणाली जिसमें लेखापरीक्षिती से संबंधित असंरचित जानकारी (जैसे नीति टिप्पणी, जीओ, रिपोर्टें, अधिनियम, नियम, परिपत्र, निर्देश, दिशानिर्देश, आदि) एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया (अधिदेश, विनियमन, स्थायी आदेश, दिशानिर्देश, मार्गदर्शन टिप्पणी, अभ्यास टिप्पणी आदि) को बनाए रखा जाता है।

(ग) रिपोर्टिंग मॉड्यूल जिसमें एमआईएस रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड बनाए एवं प्रबंधित किए जा सकते हैं।

(घ) आंकड़ा संग्रह मंच जिसमें संरचित आंकड़ा (फोटो, वीडियो, जियोलोकेशन आदि सहित) विभिन्न उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जा सकता है।

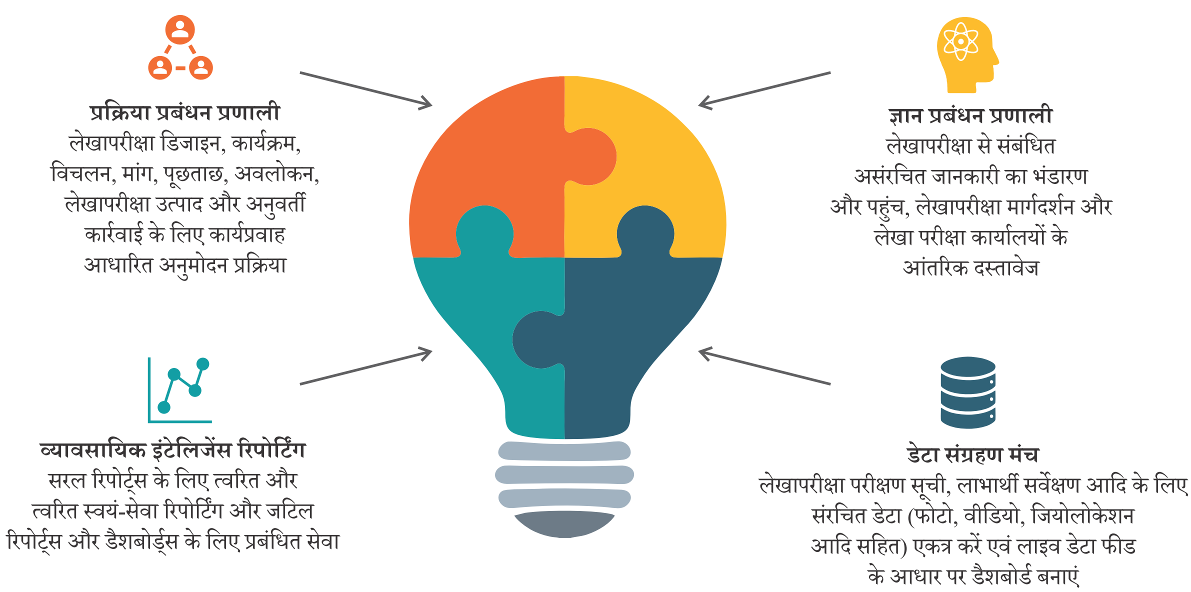

ओआईओएस अनुप्रयोग में एक मोबाइल स्कैनर अनुप्रयोग सम्मिलित है जो जियोटैग की गई तस्वीरों, वीडियो एवं दस्तावेजों को कैप्चर करने एवं उन्हें मुख्य दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में संलग्न करने में सहायता करता है। भौगोलिक स्थानों में लेखापरीक्षा निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं है, एक ऑफ़लाइन मॉड्यूल भी ओआईओएस अनुप्रयोग का हिस्सा है।

ओआईओएस अनुप्रयोग के डिजाइन एवं विकास की प्रक्रिया पुनरावृत्तीय विकास के लिए एजाइल स्क्रम पद्धति पर आधारित है। इसमें उत्पाद स्वामी (साई इंडिया) दल एवं सिस्टम इंटीग्रेटर की दल के बीच गहन सहभागिता सम्मिलित है।

साई इंडिया (शाखा कार्यालयों एवं 29 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों सहित लगभग 150 लेखापरीक्षा कार्यालयों के साथ) जैसे संगठन में परिवर्तन प्रबंधन एक चुनौती है। साई इंडिया की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के दृष्टिकोण से, ओआईओएस वर्तमान में अपनाई जाने वाली भौतिक प्रक्रियाओं की जगह ले रहा है। ये प्रक्रियाएँ हर कार्यालय में अलग-अलग होती हैं - कुछ कार्यालय विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण होती हैं एवं कुछ केवल प्रथागत होती हैं। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ओआईओएस पर किसी कार्यालय को सम्मिलित करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है।

4.1.1.2 ओआईओएस अनुप्रयोग विकास एवं रोल आउट की स्थिति

ओआईओएस के पहले संस्करण के लिए अनुप्रयोग का विकास पूरा हो चुका है। प्राथमिक कार्यात्मक मॉड्यूल (लेखापरीक्षा नियोजन, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा लेखापरीक्षा निष्पादन, लेखापरीक्षा उत्पादों की समीक्षा एवं अंतिम रूप देना- निरीक्षण रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सामग्री, संचार, लेखापरीक्षा अनुवर्तन एवं लेखापरीक्षा आयोजना) विकसित किए गए हैं। मोबाइल स्कैनर ऐप एवं ऑफलाइन ऐप भी लॉन्च किए गए हैं।

साई इंडिया कार्यालयों में अनुप्रयोग का प्रयोग नवंबर 2020 में शुरू हुआ, एवं यह 1 अप्रैल 2023 से 130 लेखापरीक्षा कार्यालयों (81 मुख्य एवं 49 शाखा लेखापरीक्षा कार्यालय) में शत-प्रतिशत कार्यात्मक है। 31 मार्च 2024 तक, पांच राज्य लेखा एवं हकदारी कार्यालयों को ओआईओएस (कोषागार निरीक्षण के लिए) में सम्मिलित किया गया है, जिससे संख्या बढ़कर 135 क्षेत्रीय कार्यालयों (86 मुख्य एवं 49 शाखा कार्यालय) हो गई है।

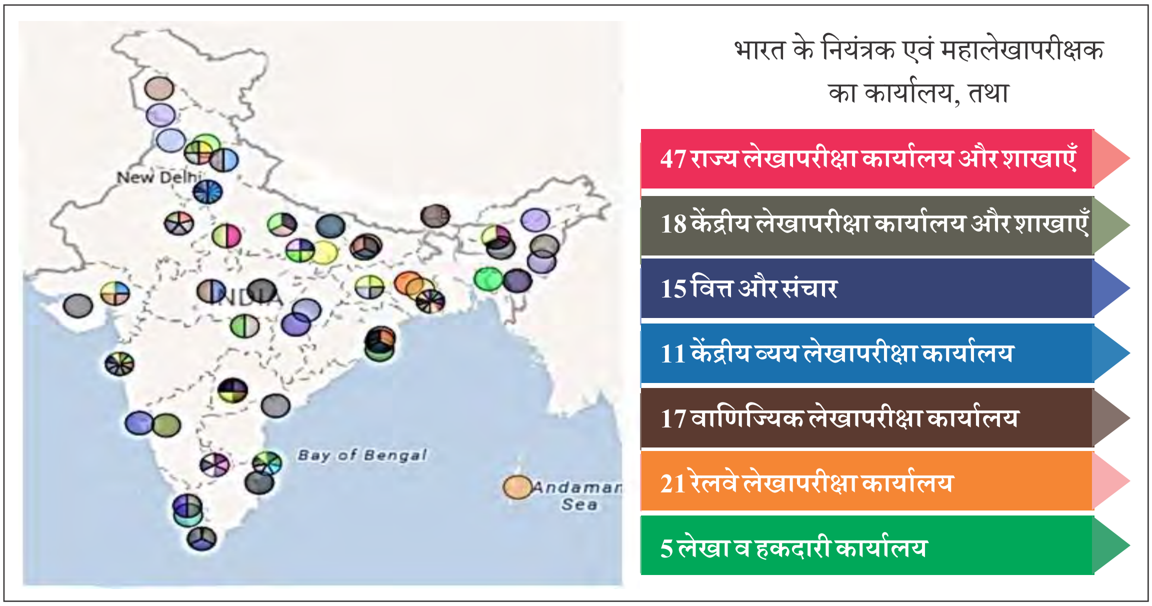

31 मार्च 2024 तक समग्र कार्यान्वयन संकेतक नीचे दर्शाए गए हैं:

86 मुख्य कार्यालय	10,48,575 लेखापरीक्षित संस्थाएं
49 शाखा कार्यालय	86,934 क्षेत्रीय लेखापरीक्षा
29,353 कार्मिक	7,90,614 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ओआईओएस कार्यान्वयन के प्रमुख आंकड़ा संकेतक

प्रत्येक क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित व्यापक गतिविधियां सम्मिलित हैं - प्रारंभिक संलग्नता; आधार शिविर (जिसमें मास्टर डाटा कैप्चर एवं संबंधित गतिविधियां सम्मिलित हैं); प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण; तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन।

कार्यालय स्तर पर सहभागिता प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु, साई इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थानों/केंद्रों पर ओआईओएस कार्यात्मक हेल्पडेस्क हेतु 22 समर्पित पद स्थापित किए गए। प्रत्येक हेल्पडेस्क कर्मी कई कार्यालयों की सेवा करता है। यदि उपयोगकर्ता को कोई समस्या आती है तो वे संपर्क के पहले स्तर के रूप में काम करते हैं।

4.1.2 सुरक्षित आईएडी वीएलएएन का कार्यान्वयन

साई इंडिया के मुख्य कार्यालयों को आईएडी नेट नामक एक आभासी नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जो एनआईसी-एनईटी का भाग है। इस नेटवर्क का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है। आईएडी नेट को विभिन्न साई इंडिया क्षेत्रीय कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए तैयार किया गया है ताकि साई इंडिया विशिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों तक पहुँच को उचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सके एवं एनआईसी के केंद्रीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान का उपयोग करके इंटरनेट तक पहुँच को सुरक्षित किया जा सके।

यह देखते हुए कि कार्यालय का अधिकांश कामकाज वेब-आधारित अनुप्रयोगों की ओर बढ़ रहा है, आईएडी नेट तक सुरक्षित पहुँच का होना महत्वपूर्ण है। इसलिए, वर्तमान एलएएन अवसंरचना को नया रूप देने एवं सुरक्षित आईएडी वीएलएएन एवं वाई-फाई पहुँच स्थापित करने के लिए एक परियोजना चल रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है:

- भौतिक एलएएन अवसंरचना का ओवरहालिंग - एंडपॉइंट डिवाइसों में वृद्धि के संबंध में स्केलिंग, पुराने एलएएन केबलों/राउटरों को बदलना, आदि।
- पूरे कार्यालय में निर्बाध वाई-फाई पहुंच को उपलब्ध कराना
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) के माध्यम से सुरक्षा नीतियों का केंद्रीकृत प्रवर्तन
- केंद्र के माध्यम से पैच प्रबंधन आदि के लिए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग नेटवर्क/एंडपॉइंट उपकरणों का केंद्रीकृत रखरखाव
- आईएडी वर्चुअल लैन (एनआईसी उपयोगकर्ता लॉग-इन आईडी आधारित पहुँच) के लिए सुरक्षित पहुँच नियंत्रण

4.1.2.1 आईएडी वीएलएएन परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति

परियोजना को एनआईसी की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत आवश्यकता मूल्यांकन के लिए अभिकल्प पत्र (कार्यालय-वार) तैयार करने से होती है। कार्यालय-स्थल पर कार्य में सम्मिलित हैं - निष्क्रिय कार्य - फाइबर केबल का भौतिक बिछाने एवं सक्रिय घटकों (स्विच, राउटर) की स्थापना। इसके बाद नेटवर्क नीतियों एवं

कॉन्फ़िगरेशन की केंद्रीकृत तैनाती होती है, जो नेटवर्क लाइव का गठन करती है।

कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से, परियोजना को कवर किए जाने वाले कार्यालयों की संख्या के संदर्भ में चार चरणों (1, 2ए, 2बी एवं 3) में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीकृत विन्यास (जिसे सभी कार्यालयों में दोहराया जाएगा) को अंतिम रूप देने के लिए, प्रायोगिक तौर पर पांच कार्यालयों को चुना गया।

सात कार्यालयों, जिनकी साइट अभी तैयार नहीं है , के अलावा 150 कार्यालयों में से अधिकांश की साइट को नए नेटवर्क में सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। (चरण 1-32 कार्यालय, चरण 2ए-27 कार्यालय तथा चरण 2बी और चरण 3-91 कार्यालय) केवल सात साइटें ही तैयार हैं।

4.1.3 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक मुख्यालय (मुख्यालय) कार्यालय के लिए ईएचआरएमएस 1.0 का लोकार्पण 6 जनवरी 2022 को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था। इसके पश्चात आईसीसा, आईसीईडी, एनएएए शिमला एवं सभी आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी (आरसीबीकेसी दिल्ली को छोड़कर, जो डीजीसीआर दिल्ली के अंतर्गत आता है) की ऑनबोर्डिंग पूरी हो गई।

इसके पश्चात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने ई-एचआरएमएस 1.0 को ई-एचआरएमएस 2.0 में अपग्रेड करने के संबंध में सूचित किया, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) द्वारा तैयार एवं विकसित किया जा रहा है।

ई-एचआरएमएस 2.0 को लागू करने के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, आईसीसा, आईसीईडी, एनएएए शिमला एवं सभी आरसीबीकेआई/आरसीबीकेसी (आरसीबीकेसी दिल्ली को छोड़कर) में उपयोगकर्ताओं के लिए आंकड़ा का ई-एचआरएमएस 1.0 से ई-एचआरएमएस 2.0 में स्थानांतरण 30 सितंबर 2023 को पूरा हो गया एवं इन कार्यालयों में 1 अक्टूबर 2023 से ई-एचआरएमएस 2.0 के अवकाश एवं प्रतिपूर्ति मॉड्यूल शुरू कर दिए गए।

तत्पश्चात साई इंडिया के अंतर्गत कार्यालयों में ई-एचआरएमएस 2.0 का चरणबद्ध कार्यान्वयन किया गया है।

प्रयोगिक चरण: 36 प्रयोगिक कार्यालयों में प्रारंभिक कार्यान्वयन किया गया, जिसमें साई इंडिया मुख्यालय, प्रशिक्षण संस्थान/कार्यालय एवं शाखा कार्यालय सम्मिलित हैं, जिसमें कुल 5,304 कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल पर सम्मिलित किया गया है। इन कार्यालयों ने पोर्टल पर अवकाश एवं प्रतिपूर्ति मॉड्यूल शुरू कर दिए हैं एवं पोर्टल पर सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।

चरण-I: कार्यान्वयन के चरण I के अंतर्गत, साई इंडिया के अंतर्गत 80 कार्यालय (शाखा कार्यालय सहित) सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें 17,433 कर्मचारी सम्मिलित हैं। इन कार्यालयों ने पोर्टल पर अवकाश एवं प्रतिपूर्ति मॉड्यूल भी शुरू किए हैं एवं पोर्टल पर इन सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।

चरण-II: ई-एचआरएमएस 2.0 कार्यान्वयन के अंतिम चरण (चरण-II) में, कुल 82 कार्यालयों/शाखा कार्यालयों (लगभग 15,200 कार्यरत कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए) का चयन किया गया है, जिनमें से अधिकांश ने ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है एवं 31 मार्च 2024 तक छुट्टी एवं प्रतिपूर्ति मॉड्यूल कार्यालयों में शुरू कर दिए हैं।

वर्तमान में 197 कार्यालयों (मुख्य एवं शाखा कार्यालयों) के लगभग 42,280 कर्मचारी ई-एचआरएमएस 2.0 से जुड़े हुए हैं।

4.1.4 ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

ई-ऑफिस एक डिजिटल वर्कफ्लो-आधारित अनुप्रयोग है, जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के एंड-टू-एंड मूवमेंट/स्टोरेज की अनुमति देता है। यह एनआईसी द्वारा विकसित एक वेब-आधारित अनुप्रयोग है एवं इसे इंटरनेट पर कहीं से भी चालू किया जा सकता है। ई-ऑफिस का कार्यान्वयन प्रशासनिक गतिविधियों के प्रसंस्करण पर केंद्रित है।

वर्तमान में 135 कार्यालय विभिन्न स्तरों पर ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं एवं 35000+ से अधिक उपयोगकर्ता बनाए गए हैं तथा लगभग 3,39,672 फाइलों का ई-ऑफिस के माध्यम से व्यवहार किया गया है।

4.1.5 ईमेल खातों के कार्य तथा प्रकार्यात्मक क्षेत्र

साई इंडिया के ऑनलाइन सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों (जैसे, ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस, ओआईओएस आदि) के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास वैध एवं सक्रिय नाम आधारित ईमेल खाता हो। यह लॉगिन करने एवं उस विशेष अनुप्रयोग का उपयोग करने के लिए पूर्व-अपेक्षित/ आवश्यकता है। हालाँकि हमारे विभाग ने एनआईसी के माध्यम से बहुत पहले से ही नाम-आधारित ईमेल खाते बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सभी ईमेल निर्माण/संशोधन/अद्यतन करने का कार्य अंततः वर्ष 2018 में हमारे विभाग को सौंप दिया गया। उस समय, ईमेल पोर्टल पर 42,369 ईमेल खाते थे एवं उसके पश्चात पिछले छः वर्षों के दौरान, 29,052 ईमेल खाते बनाए गए हैं। 31 मार्च 2024 तक, साई इंडिया के ईमेल पोर्टल में 71,421 सक्रिय ईमेल आईडी थीं।

4.2 सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का प्रबंधन एवं रखरखाव

सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी-एएमसी, उपभोग्य सामग्रियों एवं सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए धन का आवंटन केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया जाता है। ओआईओएस एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लोकार्पण के साथ, एवं कोविड महामारी को देखते हुए, जिसने घर से काम करने की सुविधा पर जोर दिया है, साई इंडिया के अधिकारियों के लिए समर्पित एंडपॉइंट डिवाइस (लैपटॉप/डेस्कटॉप) की सुविधा पर जोर दिया गया। यह मुख्य रूप से लैपटॉप एवं डेस्कटॉप की केंद्रीकृत खरीद के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा पार्टियों को ओआईओएस पर काम करने में सक्षम बनाने के लिए, मोबाइल वाई-फाई डिवाइस भी प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में 3,719 लैपटॉप एवं 2,500 डेस्कटॉप की केंद्रीकृत प्रापण पूर्ण हुई।

4.2.1 वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का सहयोग

आईएस स्कंध विभिन्न विभागीय सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन एवं रखरखाव में आवश्यकतानुसार आवश्यक सहायता प्रदान करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मुख्यालय में विभिन्न स्कंध जैसे स्टाफ स्कंध, बजट, वाणिज्यिक स्कंध, गसब स्कंध एवं निदेशक (पी) स्कंध हेतु नौ मौजूदा अनुप्रयोग चल रहे हैं। आईएस स्कंध वर्तमान में कई अनुप्रयोगों के रखरखाव एवं अद्यतन का काम देख रहा है।

लेखा एवं हकदारी कार्यालय वीएलसी, जीपीएफ, पेंशन एवं राजपत्रित पात्रता प्रसंस्करण के लिए ओरेकल आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तार से बताया गया है:

अनुप्रयोग का नाम	राज्यों की संख्या
लेखे (वीएलसी)	28
जीपीएफ	20
पेंशन	19
राजपत्रित पात्रता	9

आईएस स्कंध अनुप्रयोगों के संशोधन एवं रखरखाव के लिए कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जब भी आवश्यक हो हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सहायता भी प्रदान की जाती है।

4.3 आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण तथा आईटी प्रणालियों का लेखापरीक्षा केंद्र

आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र (सीडीएमए) साई इंडिया में आंकड़ा विश्लेषण गतिविधियों को संचालित करने के लिए नोडल निकाय है। सीडीएमए आंकड़ा विश्लेषण पर क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करता है एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में साई इंडिया के लिए अनुसंधान एवं विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है।

सीडीएमए का विजन, आंकड़ा एज़ ए सर्विस एवं आंकड़ा विश्लेषण एज़ ए सर्विस के अपने मॉडल के माध्यम से साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों को समर्थन प्रदान करना है, जिसे विभिन्न आंकड़ा विश्लेषण परियोजनाओं एवं समर्थन गतिविधियों के माध्यम से साकार किया जा रहा है।

4.3.1 2023-24 के दौरान आंकड़ा विश्लेषण परियोजनाएं

आंकड़ा विश्लेषण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रमुख सरकारी योजनाओं को लिया जाता है एवं आंकड़ा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। आंकड़ा विज्ञान में नवीनतम मशीन लर्निंग एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों को अंतर्दृष्टि एवं जोखिम वाले क्षेत्रों को सामने लाने के लिए लागू किया जाता है, जिन्हें पारंपरिक दृष्टिकोण से पूरा करना मुश्किल होगा। उच्च जोखिम वाली संस्थाओं की पहचान सामान्य मापदंडों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें फिर क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए चुना जाता है। बिग आंकड़ा क्वेरी के तेज़ निष्पादन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एवं क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशन को विभिन्न एनआईसी क्लाउड सर्वरों के माध्यम से अपनाया गया है।

2023-24 के दौरान निम्नलिखित आंकड़ा विश्लेषण परियोजनाएं शुरू की गई:

(1) प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना

  (क) आंकड़ा विश्लेषण रिपोर्ट अप्रैल 2023 में प्रस्तुत की गई

  (ख) जून 2023 में पूरे किए गए प्रत्येक हस्तांतरण के लिए जोखिम मूल्यांकन

(2) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर (श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (जीएनसीटीडी))

  (क) इमेज विश्लेषण का उपयोग करके आंकड़ा विश्लेषण रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में क्षेत्रीय कार्यालय (प्रमले/लेखापरीक्षा दिल्ली) को भेजी गई

(3) (जीईपीएनआईसी) की सरकारी ई-प्रापण के माध्यम से जीएनसीटीडी द्वारा ई-प्रापण

  (क) आंकड़ा विश्लेषण रिपोर्ट जनवरी 2024 में भेजी गई

4.3.2 तकनीकी सहायता

सीडीएमए प्रत्येक छह माह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से वाहन, सारथी और ई-चालान का अखिल भारतीय डेटा एकत्र करता है। यह डेटा सीडीएमए के क्लाउड सर्वर पर स्थापित किया जाता है और अनुरोध के आधार पर सीएसवी प्रारूप में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीडीएमए क्षेत्रीय कार्यालयों को उपर्युक्त डेटाबेस के डेटा प्रवाह एवं डेटा संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है एवं उन्हें प्रासंगिक तालिकाओं की पहचान करने के साथ-साथ लेखापरीक्षा के दौरान डेटा पर प्रश्नों को निष्पादित करने में सहायता करता है।

2023-24 के दौरान, सीडीएमए ने प्रमले (लेखापरीक्षा-II), महाराष्ट्र, नागपुर एवं प्रमले (लेखापरीक्षा) मिजोरम को वाहन, सारथी एवं ई- चालान आंकड़ासेट पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया है। 11 राज्य कार्यालयों के आंकड़ाबेस को निकाला गया, (डॉट) सीएसवी फाइलों में परिवर्तित किया गया एवं साझा किया गया।

इसके अलावा, सीडीएमए इन आंकड़ासेटों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच भी करता है, जिसमें आंकड़ा विश्लेषणात्मक प्रश्नों को अनुकूलित किया जाता है एवं सुधार के सुझाव दिए जाते हैं।

सीडीएमए ने आंकड़ा विश्लेषण एवं अन्य संबंधित कार्यों में साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की। वर्ष 2023-24 के दौरान की गई ऐसी गतिविधियों की सूची नीचे दी गई है:

तकनीकी सहयोग	कार्यालय
लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच	1. जीईपीएनआईसी द्वारा ई-प्रापण किया गया 2. मुंबई कार्यालय के लिए महानिदेशक लेखापरीक्षा डीजीफटी योजना हेतु अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 3. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश कार्यालय के लिए खनन पर प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 4. सीमा शुल्क स्कन्ध (मुख्यालय) के अनुरोध पर अग्रिम प्राधिकरण पर आंकड़ा विश्लेषण रिपोर्ट 5. महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चंडीगढ़ कार्यालय द्वारा तैयार "सड़कों पर पुनः परत बिछाने पर होने वाले परिहार्य व्यय" पर मसौदा पैरा की समीक्षा 6. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, आंध्र प्रदेश के लिए .kmz फ़ाइल आंकड़ा के विश्लेषण के लिए क्यूजीआईएस उपकरण के उपयोग के संबंध में तकनीकी सहायता 7. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड कार्यालय के लिए अवैध रूप से निकाले गए खनिजों की पहचान के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के संबंध में तकनीकी अनुमोदन
आंकड़ा बहाली	1. हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एचएआरएसएसी) एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के लिए ई-प्रापण आंकड़ा 2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, त्रिपुरा का मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) आंकड़ा 3. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल कार्यालय के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) आंकड़ाबेस का केंद्रीकृत ट्रेजरी सिस्टम (सीटीएस) मॉड्यूल 4. आईसीसा के लिए वीएलसी आंकड़ा 5. भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) एवं भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के अंतर्गत सीमा शुल्क स्कंध (मुख्यालय) के लिए आंकड़े एवं नमूनाकरण
सेवा के रूप में आंकड़ा एवं आंकड़ा विश्लेषण प्रदान करना	1. पीडीए, उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले, नई दिल्ली कार्यालय के लिए वाहन आंकड़ाबेस से निकाले गए इलेक्ट्रिक वाहनों का विवरण 2. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान के लिए आरसी _ समर्पण, आरसी_निलंबन एवं आरसी_रद्द के संबंध में वाहन विवरण प्राप्त किए गए 3. वाहन एवं ई-चालान आंकड़ाबेस, विशेष रूप से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के लिए वाहनों की दी गई सूची के लिए परमिट, कर, फिटनेस, बीमा एवं पीयूसी विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए। 4. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान के लिए वाहन आंकड़ा का विश्लेषण 5. 'मोटर वाहन कर की वसूली एवं संग्रहण' पर एसएससीए के संबंध में महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पंजाब कार्यालय के लिए वाहनों की दी गई सूची के संबंध में डीलरों के पंजीकरण की तारीख एवं विवरण निकालना। 6. तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के लिए वाहन, सारथी एवं ई-चालान का निर्माण बंद कर दिया गया।

4.3.3 क्षमता निर्माण

सीडीएमए संस्थागत एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। 2023-24 में सीडीएमए द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए:

1. आर प्रोग्रामिंग के माध्यम से नेटवर्क विश्लेषण (22 दिसंबर 2023) प्रमले (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड के अधिकारियों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण - उनके अनुरोध पर - 18 प्रतिभागी

2. बिग आंकड़ा विश्लेषण –3-5 जनवरी 2024- फ्यूचर स्किल्स प्राइम एवं आईसीसा के माध्यम से आयोजित -23 प्रतिभागी

3. आर प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके आंकड़ा विश्लेषण एवं एआई का अनुप्रयोग – 26- 28 मार्च 2024 – आरसीबीकेसी बेंगलुरु में आयोजित – 21 प्रतिभागी

4. पायथन प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके आंकड़ा विश्लेषण एवं एआई का अनुप्रयोग – 26 -28 मार्च 2024 - आरसीबीकेआई हैदराबाद में आयोजित - 18 प्रतिभागी

सीडीएमए के अधिकारी साई इंडिया के कर्मचारियों के प्रशिक्षण में भी सम्मिलित हैं एवं आंकड़ा विश्लेषण एवं संबंधित उपकरणों जैसे कि आईडीईए, नाइम , टेबल्यू, पावर बीआई, आर प्रोग्रामिंग भाषा आदि की मूल बातों की सामान्य समझ पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सीडीएमए क्षेत्रीय कार्यालयों की हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं की तकनीकी विशिष्टताओं का भी मूल्यांकन करता है तथा तदनुसार प्रापण के लिए आईएस स्कंध को अनुशंसाएँ करता है।

4.3.4 अन्य गतिविधियाँ/पहल

1. बाह्य सहयोग

   (क) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में सहयोग के लिए 20 मार्च 2024 को आईसूचना प्रौद्योगिकी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में लेखापरीक्षा में एआई का उपयोग एवं एआई प्रणालियों का लेखापरीक्षा, क्षमता निर्माण एवं ज्ञान साझा करना सम्मिलित है।

   (ख) भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून एवं आईसूचना प्रौद्योगिकी-बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन भी अग्रिम चरण में है।

2. सीडीएमए दल ने एआई आधारित उपकरण विकसित करने पर काम किया है, जिसका उपयोग तेज़ एवं अधिक कुशल उन्नत विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। संस्थागत विकसित कुछ उपकरण नीचे दिए गए हैं:

   (क) छवि विश्लेषण उपकरण

   (ख) नाम मिलान उपकरण

   (ग) दिनांक पार्सिंग उपकरण

   (घ) सीएसवी फ़ाइल विभाजक

   (ङ) नमूनाकरण हेतु उपकरण

   (च) अवैध आधार, पैन की पहचान

   (छ) डुप्लिकेट का पता लगाना

4.3.6 सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा एवं संबंधित गतिविधियाँ

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की लेखापरीक्षा

1. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की लेखापरीक्षा के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, सीटीओ स्कंध क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा कार्यों के डिजाइन, निष्पादन एवं प्रारूपण में सहायता प्रदान करता है।

2. आईएफएमएस प्रणाली एवं ई-प्रापण प्रणाली की लेखापरीक्षा जैसे सामान्य विषयों को कई लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा उठाया गया। इस अवधि के दौरान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन जैसी केंद्रीय प्रणाली की लेखापरीक्षा की गई।

4.3.7 वेबसाइट/वेब पोर्टल

आईएस स्कंध ने वर्ष 2020 में साई इंडिया के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक मुख्य साइट एवं उप-साइटों (133 संख्या) का एक समूह विकसित एवं लॉन्च किया है। संघ लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रकाशन के अतिरिक्त मुख्यालय कार्यालय के वेबपेजों से संबंधित सामग्री आईएस स्कंध द्वारा नियमित रूप से अपलोड की जा रही है।

4.4 लेखा एवं हकदारी कार्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल

4.4.1 संपूर्ण डिजिटलीकरण

महालेखाकारों के सम्मेलन 2023 (अप्रैल 2023) की सिफारिशों के मद्देनजर राज्य सरकारों के साथ हकदारी कार्यों (पेंशन, जीपीएफ एवं जीई) का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण प्राप्त किया जाना आवश्यक है, ताकि दोनों पक्षों (एजी कार्यालयों एवं राज्य सरकारों) से सेवाओं की शीघ्र एवं कागज रहित डिलीवरी हो सके।

पेंशन, जीपीएफ एवं जीई कार्यों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की स्थिति निम्नानुसार है:

पेंशन कार्य: पेंशन कार्य करने वाले 20 कार्यालयों में से नौ कार्यालय (हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र-I, महाराष्ट्र-II, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल) में महालेखाकार कार्यालयों के स्तर पर एवं राज्य सरकार स्तर पर भी पूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, सिवाय ई-सेवा पुस्तकों/इलेक्ट्रॉनिक- डाक प्रणाली के प्रसारण के। शेष कार्यालय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं एवं एंड-टू-एंड सेवाओं के लिए पेंशन मॉड्यूल विकसित करने एवं एकीकृत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क कर रहे हैं।

जीपीएफ कार्य: कुछ कार्यालयों में ऑनलाइन ई-जीपीएफ आवेदन को छोड़कर जीपीएफ़ कार्य करने वाले 22 कार्यालयों में से नौ कार्यालय (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना एवं त्रिपुरा) में महालेखाकार कार्यालयों के स्तर पर एवं राज्य सरकार स्तर पर भी पूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। असम कार्यालय ने आंशिक रूप से कार्यान्वयन किया है (केवल गैर-वापसी योग्य अग्रिम के लिए)। चार कार्यालय (कर्नाटक, मध्य प्रदेश-II, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल) अग्रिम चरणों में हैं एवं शेष कार्यालय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जीई कार्य: जीई कार्य करने वाले नौ कार्यालयों में से पांच कार्यालय (असम, कर्नाटक, केरल, मेघालय एवं तमिलनाडु) ए.जी.ओ. स्तर पर एवं राज्य सरकार स्तर पर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से असम, केरल एवं मेघालय में इलेक्ट्रॉनिक-डाक प्रणाली एवं जीई एम.एस. अनुप्रयोग एवं एच.आर.एम.एस. इंटरफेस प्रक्रियाधीन हैं। शेष चार कार्यालय (बिहार, झारखंड, मणिपुर एवं नागालैंड) ए.जी.ओ. एवं राज्य सरकार स्तर पर एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के घटकों को लागू करने के विभिन्न चरणों में हैं।

4.4.2 हकदारी कार्यों के अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर परियोजना

हकदारी कार्यों (पेंशन एवं जीपीएफ) से संबंधित पुराने रिकॉर्ड को रखना एवं संशोधन/अपडेटिंग के समय उन्हें पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस प्रकार, एक संपूर्ण दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली की कल्पना की गई, जो न केवल मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करेगी, बल्कि निर्णय लेने के लिए बहुत मजबूत बैक-अप एवं सूचना की पुनर्प्राप्ति की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे कार्यालय की जगह भी बचेगी, लागत प्रभावी एवं पर्यावरण अनुकूल होगी। इसके अलावा, यह व्यवसाय निरंतरता नियोजन में भी मदद करेगा एवं कहीं से भी काम करने की सुविधा प्रदान करेगा।

नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में लगभग 10 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण के लिए की गई थी। फरवरी 2021 में इस कार्य को सौंपा गया था। मणिपुर कार्यालय को छोड़कर सभी स्थानों पर अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है। अब तक (31 मार्च 2024) लगभग 3.25 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। साथ ही, एकल आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) को एक विक्रेता द्वारा विकसित किया जा रहा है एवं इसका सुरक्षा लेखापरीक्षा चल रहा है। पूरा होने पर, इसे क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाएगा। एनआईसी से संपर्क करके एनआईसी क्लाउड पर डिजिटाइज्ड आंकड़ो को होस्ट करने की आवश्यकताओं के बारे में पूछा गया था।

पात्रता संबंधी कार्य करने वाले अन्य कार्यालयों में अभिलेखों का डिजिटलीकरण आंतरिक रूप से या राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है। चार कार्यालयों (ओडिशा, हरियाणा, नागालैंड एवं तेलंगाना) में पेंशन एवं जीपीएफ के संपूर्ण अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। पांच कार्यालयों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, मुंबई, नागालैंड एवं तमिलनाडु) में जीपीएफ के संपूर्ण अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। शेष कार्यालयों में डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है।

4.4.3 डिजी लॉकर के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा देना

भारत सरकार ने 'मेरी पहचान' ऐप नामक राष्ट्रीय "सिंगल साइन ऑन (एसएसओ)" पोर्टल लॉन्च किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीईआईटीवाई) के अंतर्गत तीन एसएसओ सेवा प्रदाताओं को एक साथ लाता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे अपने प्लेटफ़ॉर्म एवं अनुप्रयोग को किसी भी एसएसओ सेवा प्रदाता के साथ एकीकृत करें, यानी एनआईसी से जन परिचय, सी-डैकसे ई- प्रमाण एवं एनईजीडी से डिजिलॉकर।

एनईजीडी प्रभाग के अनुरोध के अनुसार, सरकारी लेखा स्कंध ने सभी प्रधान महालेखाकारों/ महालेखाकारों (लेखा एवं हकदारी) से डिजिलॉकर के माध्यम से ई-पीपीओ, ई-जीपीओ, ई-सीपीओ, सामान्य भविष्य निधि एवं पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है।

डिजिलॉकर पर ऑन-बोर्डिंग की सुविधा के लिए प्रत्येक लेखा एवं हकदारी कार्यालय से एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

राज्यों में कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है:

(i) डिजिलॉकर सुविधा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना , उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में लागू की गई है।

(ii) शेष सभी कार्यालय/राज्य भी डिजिलॉकर के कार्यान्वयन/एकीकरण के विभिन्न चरणों में हैं।

अध्याय-5

ऑडिट दिवस
2023

5.1 महत्व

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था की जड़ें भारत में ब्रिटिश क्राउन के महालेखापरीक्षक से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत की गई थी। 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने पहले महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद, 1950 में भारत के संविधान को अपनाने के साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका ब्रिटिश भारत एवं स्वतंत्र भारत में कानूनों एवं प्रथाओं के माध्यम से विकसित हुई है।

साई इंडिया की ऐतिहासिक उत्पत्ति एवं पिछले 160 वर्षों में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में इसके योगदान को चिह्नित करने के लिए, 2021 में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को "ऑडिट दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। तीसरा ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2023 को मनाया गया। तीसरे ऑडिट दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में, 15-17 नवंबर 2023 तक तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित थे 15 नवंबर 2023 को 'उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता' पर एक पैनल चर्चा एवं 'लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग को मजबूत करना' पर एक कार्यशाला; 16 नवंबर 2023 को तीसरे ऑडिट दिवस 2023 का उद्घाटन एवं उसके बाद 16-17 नवंबर 2023 को 31 वें महालेखाकार (एएसजी) सम्मेलन का आयोजन।

निम्न गतिविधियों के साथ 'ऑडिट दिवस' 2023' मनाया गया।

5.1.1 इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति का संबोधन

भारत की माननीय राष्ट्रपति, सुश्री द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में तीसरे ऑडिट दिवस समारोह का उद्घाटन करके इसकी शोभा बढ़ाई। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नेतृत्व में सरकार के लेखापरीक्षा समुदाय द्वारा ईमानदारी, शासन एवं प्रणाली निर्माण को मजबूत करने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला।

माननीय राष्ट्रपति जी ने साई इंडिया के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

माननीय राष्ट्रपति ने इस बात की सराहना की कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कई दूरदर्शी कदम उठाए हैं, जिनमें आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र की स्थापना भी सम्मिलित है, जिसमें भविष्य के अनुरूप डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है।

माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूरे दल से नियंत्रक एवं परीक्षक के रूप में योगदान की अपेक्षा की जाती है, जो देश की विकास यात्रा में साथी एवं मार्गदर्शक दोनों है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि वित्तीय औचित्य एवं वैधानिकता सुनिश्चित करते हुए त्वरित वृद्धि एवं विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सहित सुशासन हेतु उत्तरदायी प्रत्येक संस्था एवं व्यक्ति द्वारा प्रभावी योगदान की कसौटी है। लेखापरीक्षकों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षकों को सुशासन का सूत्रधार माना जाना चाहिए, न कि आलोचक। उन्होंने कहा कि उन्हें मार्गदर्शक माना जाना चाहिए जिनकी जांच हमें सही रास्ते पर चलना सिखाती है।

माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों 20 (साई 20) की भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्लू इकोनॉमी एवं उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मुद्दों पर जोर देना भविष्य के लिए रोडमैप तैयार करने का एक अच्छा प्रयास है।

5.1.2 इस अवसर पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का संबोधन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र एवं नागरिकों के कल्याण के प्रति सीएजी की प्रतिबद्धता अपने उद्देश्य में दृढ़ है, उन्होंने कहा कि यह संस्था सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही की आधारशिला है। संस्था की उपलब्धियों पर विचार करते हुए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कहा कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट सुशासन को बढ़ावा देती है एवं संसद तथा राज्य विधानसभाओं को कार्यपालिका की जवाबदेही, पारदर्शिता एवं कुशल कामकाज सुनिश्चित करने में सहायता करती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कहा कि राज्य सरकारों की वित्तीय प्रणालियों के साथ साई लेखा कार्यालयों के एकीकरण से वित्तीय आंकड़ों तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है एवं हम वित्तीय विश्लेषण के लिए आंकड़ों के विश्लेषण की क्षमताओं को विकसित करके लेखा एवं लेखापरीक्षा के बीच संबंधों को मजबूत करना जारी रखेंगे। उन्होंने आगे जोड़ा कि इस कदम से अधिक सूचनापूर्ण लेखापरीक्षा करने में मदद मिलेगी एवं बेहतर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन परिणाम सामने आएंगे। सतत विकास पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कहा कि सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) एवं साई इंडिया के कार्यालयों के मार्गदर्शन में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति खातों की सफल तैयारी से स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण मिलता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने यह भी कहा कि जल संसाधन अगली प्राथमिकता वाला क्षेत्र है एवं गसब ने पहले ही जल लेखों की अनंतिम तालिकाएं तैयार कर ली हैं तथा उन्हें सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों एवं अन्य हितधारकों को भेज दिया है।

5.1.3 सार्वजनिक लेखापरीक्षा एवं लेखांकन में नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिए सीएजी के पुरस्कार, 2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा, लेखांकन, पात्रता एवं सहायता कार्यों के क्षेत्रों में साई इंडिया के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए असाधारण एवं अभिनव कार्यों को मान्यता देने एवं पुरस्कृत करने के लिए वर्ष 2021 में 'सार्वजनिक लेखापरीक्षा एवं लेखांकन में नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिए सीएजी पुरस्कार' की योजना की शुरुआत की।

नवाचार एवं उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता किसी भी संगठन को आगे ले जाने में मुख्य प्रेरक शक्ति होती है। सीएजी के पुरस्कार संगठनात्मक दृष्टिकोण से टीम की उत्कृष्टता के साथ-साथ समग्र गुणात्मक प्रदर्शन को मान्यता देने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2023 के लिए सीएजी के पुरस्कार दो श्रेणियों में दिए गए:

श्रेणी I - सार्वजनिक लेखापरीक्षा एवं लेखांकन में नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिए सीएजी पुरस्कार

ये पुरस्कार अभिनव, असाधारण एवं प्रभावशाली पहल की कल्पना करने एवं उसे क्रियान्वित करने वाली टीमों को दिए गए। पुरस्कारों के दायरे में लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं अन्य लेखापरीक्षा उत्पादों, लेखा प्रक्रियाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग, पात्रता प्रक्रियाओं एवं सेवा वितरण, प्रशासनिक दक्षता, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आदि में संगठन के कामकाज में नए एवं रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए नवाचार एवं उत्कृष्टता सम्मिलित है।

इस वर्ष, साई इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों तथा सीएजी कार्यालयों की शाखाओं से 45 पात्र आवेदन प्राप्त हुए। पांच टीमों को पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, जिन्हें सीएजी द्वारा 'ऑडिट दिवस ' - 16 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया।

पुरस्कार विजेता परियोजनाएं (अँग्रेजी वर्णमाला क्रम में) इस प्रकार हैं।

क्रम सं.	पुरस्कृत परियोजना	कार्यालय	टीम
1.	डिजिटल लाइब्रेरी एवं नई आईटी पहल	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पश्चिम बंगाल	1. श्री देबातोष प्रमाणिक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी 2. श्री सुशांत कुमार बेरा, सहायक लेखा अधिकारी 3. श्री पबित्र कुमार जना, सहायक लेखा अधिकारी
2.	वित्तीय प्रबंधन एवं कागज रहित लेखांकन का पूर्णतः डिजिटलीकरण	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा	1. श्री श्रीराज अशोक, आईएएंडएएस 2. श्री मसरूर अहमद, आईएएंडएएस 3. श्री प्रबीर कुमार सामल , वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सेवानिवृत्त) 4. सुश्री भारती महापात्रा , सहायक लेखा अधिकारी 5. श्री गुरुदास चक्रवर्ती , क्लर्क (सेवानिवृत्त)
3.	कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड के कामकाज पर निष्पादन लेखापरीक्षा	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, कर्नाटक	1. सुश्री शांति प्रिया एस, आईएएंडएएस 2. सुश्री मोनाली फडतारे , आईएएंडएएस 3. सुश्री एलिजाबेथ वर्गीस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री इप्पिली हेमंत कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री जेला मणिकांता वासु , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री शांतामूर्ति एस, पर्यवेक्षक

क्रम सं.	पुरस्कृत परियोजना	कार्यालय	टीम
4.	खनन प्राप्तियों के मूल्यांकन एवं संग्रहण में प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार	1. श्री रामावतार शर्मा, आईएएंडएएस 2. श्री आदर्श अग्रवाल, आईएएंडएएस 3. श्री आशीष कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री तरुण कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री विशाल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री मोइनुल हक , वरिष्ठ लेखा परीक्षक
5.	वीएलसी डैशबोर्ड एवं डेटा-रिपोजिटरी प्रोजेक्ट (वीडीडीपी)	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), असम	1. श्री केएस गोपीनाथ नारायण, आईएएंडएएस 2. श्री श्रीराज अशोक, आईएएंडएएस 3. श्री विग्नेश्वरन के, आईएएंडएएस 4. श्री सिरिल पॉल बॉब याज़ला, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सलाहकार) 5. श्री देबाशीष देब पुरकायस्थ, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सलाहकार) 6. श्री महेश कुमावत, सहायक लेखा अधिकारी

श्रेणी II- वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कार्यालय के लिए सीएजी पुरस्कार

इस पुरस्कार का उद्देश्य वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदर्शन के साथ-साथ पिछले वर्ष (2021-22) की तुलना में सुधार के आधार पर लेखांकन, लेखापरीक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यालयों को मान्यता देना है। 'वर्ष का कार्यालय' का चयन कार्य के प्रशासनिक एवं कार्यात्मक क्षेत्रों में कुछ निर्धारित मापदंडों पर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। प्रत्येक कार्यालय ने निर्धारित मापदंडों के लिए स्व- मूल्यांकन किया एवं अंक दिए। स्व-मूल्यांकन का सत्यापन पहले कार्यात्मक विंग द्वारा एवं उसके बाद, स्वतंत्र रूप से सीएजी कार्यालय के निरीक्षण एवं समकक्ष समीक्षा विंग द्वारा सख्त प्रक्रिया से किया गया है। सीएजी के पुरस्कार क्षेत्रीय कार्यालयों की चार श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए, अर्थात संघ लेखापरीक्षा, राज्य लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी, एवं क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/केंद्र।

इन श्रेणियों में **'वर्ष का कार्यालय'** इस प्रकार था:

संघ लेखापरीक्षा कार्यालय: कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) , हैदराबाद

राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किम

लेखा एवं हकदारी कार्यालय : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा

क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान/केंद्र : क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई

5.1.4 राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता

ऑडिट दिवस समारोह के हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए दूसरी राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के युवाओं को भारत के सीएजी संस्था के बारे में जागरूक करना एवं सार्वजनिक जवाबदेही एवं सुशासन को बढ़ावा देने में सीएजी के योगदान की सराहना करना है। प्रतियोगिता ने युवाओं को अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने एवं उन तरीकों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जिनसे सीएजी संस्था सुशासन में योगदान दे सकती है।

प्रतियोगिता अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में आयोजित की गई थी। निबंध का विषय था-

'भारतीय लोकतंत्र का लचीलापन एवं भारत के सीएजी की भूमिका'

देश भर के छात्रों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संगठन से चुने गए विशेषज्ञों के पैनल द्वारा दो चरणों में कुल 691 योग्य निबंधों का मूल्यांकन किया गया। छह विजेताओं की घोषणा की गई; अंग्रेजी एवं हिंदी श्रेणियों में तीन-तीन। विजेता हैं:

अंग्रेज़ी

पुरस्कार श्रेणी	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का प्रोफ़ाइल
प्रथम पुरस्कार	सुश्री प्रिशनिका मजूमदार	इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्रा
दूसरा पुरस्कार	श्री प्रदीप कुमार महापात्रा	ओडिशा के खलीकोट यूनिटरी विश्वविद्यालय का छात्र
तीसरा पुरस्कार	सुश्री रिया सिंह	दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज का छात्र

हिन्दी

पुरस्कार श्रेणी	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का प्रोफ़ाइल
प्रथम पुरस्कार	श्री निखिल कुमार माहेश्वरी	रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मूल विज्ञान केंद्र का छात्र
दूसरा पुरस्कार	श्री अत्यंत कुमार	इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र
तीसरा पुरस्कार	सुश्री अन्विता पाराशर	हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का छात्र

विजेताओं को 16 नवंबर 2023 को ऑडिट दिवस पर भारत के सीएजी द्वारा क्रमशः ₹30,000 (प्रथम पुरस्कार), ₹20,000 (द्वितीय पुरस्कार), ₹15,000 (तृतीय पुरस्कार) के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

5.1.5 'सीएजी संगठन में नई पहलों एवं अच्छी प्रथाओं का संग्रह' का जारी करना

सीएजी द्वारा *'ऑडिट दिवस'* - 16 नवंबर 2023 को **'उत्प्रेरक.....सुशासन की खोज में'** - सीएजी संगठन में नई पहलों एवं अच्छे प्रथाओं का एक संग्रह, का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इस वर्ष, संग्रह का विषय था - लेखापरीक्षा योजना, साक्ष्य एकत्रीकरण एवं रिपोर्टिंग तथा सेवा वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग। यह लेखापरीक्षा पद्धतियों, व्यवसाय प्रक्रिया सुधारों, क्षमता निर्माण पहलों एवं हितधारक जुड़ाव में गतिविधियों में नवाचारों को प्रदर्शित करता है।

इसे एक ज्ञान प्रबंधन उपकरण के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य हमारे हितधारकों को हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचित करना एवं हमारे उत्कृष्ट व्यावसायिक मानकों को प्रदर्शित करना है।

5.1.6 'प्रमाणित पंचायत/नगरपालिका लेखाकारों के लिए पाठ्यक्रम' का शुभारंभ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने स्थानीय सरकारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का एक सेट विकसित करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों में लेखांकन की अलग-अलग जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, चार अलग-अलग पाठ्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दो-दो पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम तीन महीने का होता है, जिसमें पहले महीने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एवं स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वालों के लिए तीसरे महीने के अंत में मुख्य परीक्षा होती है। दोनों परीक्षाओं को पास करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी दक्षता की घोषणा करते हुए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका उपयोग वे आस-पास के स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार एकाउंटेंट के रूप में रोजगार पाने के लिए कर सकते हैं। इससे कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है एवं समय के साथ स्थानीय क्षेत्रों में प्रमाणित एकाउंटेंट का एक समूह तैयार होगा जिनकी सेवाओं को स्थानीय सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकेंगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने 16 नवंबर 2023 को ऑडिट दिवस पर ‘प्रमाणित पंचायत/नगरपालिका लेखाकारों के लिए पाठ्यक्रम’ शुरू किया। पंचायतों एवं नगर निकायों के लेखाकारों के लिए जमीनी स्तर पर लेखांकन को मजबूत बनाना-प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पर एक विवरणिका भी जारी किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 'प्रमाणित पंचायत/नगरपालिका लेखाकारों के लिए पाठ्यक्रम' का शुभारंभ

5.1.7 'उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता' पर पैनल चर्चा

ऑडिट दिवस समारोह के एक भाग के रूप में 15 नवंबर 2023 को 'उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ' पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

5.1.8 'लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग को सुदृढ़ बनाने' पर कार्यशाला

15 नवंबर 2023 को दोपहर के भोजन के बाद ऑडिट दिवस समारोह के एक भाग के रूप में 'लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग को सुदृढ़ बनाने' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

अध्याय-6

31वां महालेखाकार सम्मेलन

6.1 महत्व

भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) एक लेखापरीक्षक और एक लेखाकार दोनों के रूप में अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप करने का निरंतर प्रयास करता है। जिस वातावरण में लेखापरीक्षित संस्थाएं, तथा फलस्वरूप लेखापरीक्षा, कार्य करती हैं, वह बहुत गतिशील है - संरचना और सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के तरीकों के साथ-साथ लेखापरीक्षा और लेखांकन के अभ्यास के संदर्भ में भी है। इस क्रियाशील वातावरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि साई इंडिया खुद को नया रूप देता रहे और उसका कायाकल्प करता रहे। एक नियमित आंतरिक एवं बाहरी परामर्श प्रक्रिया पेशेवर प्रथाओं, संरचनाओं और कामकाज के तरीकों को अनुकूलित और उन्नत करने के इस प्रयास को सुविधाजनक बनाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, साई इंडिया नियमित रूप से सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

महालेखाकार सम्मेलन, साई इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए शासन और सार्वजनिक जवाबदेही से संबंधित प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का एक मंच है। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहां भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान का शीर्ष स्तरीय प्रबंधन एक साथ मिलकर चर्चा करता है और सुझाव देता है कि विभाग को अपने अनिवार्य कर्तव्यों को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। महालेखाकार सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य उत्साहवर्धक, जीवंत, व्यापक भागीदारी के लिए एक सक्षम मंच प्रदान करना है, जिससे संस्थान को आगे ले जाने के लिए कार्यान्वयन योग्य अनुशंसाएँ प्राप्त हो सकें। 31वां महालेखाकार सम्मेलन 16 नवंबर (अपरान्ह) और 17 नवंबर 2023 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, साथ ही 16 नवंबर 2023 (पूर्वाह्न) को *ऑडिट दिवस* समारोह मनाया गया और इससे पहले 15 नवंबर 2023 को 'उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता' पर एक पैनल चर्चा और 'लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग को मजबूत बनाने' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

16-17 नवंबर 2023 को आयोजित 31वें महालेखाकार सम्मेलन में भाग लेते साई इंडिया के अधिकारी

6.1.1 31वें महालेखाकार सम्मेलन का विषय

31वें महालेखाकार सम्मेलन का मुख्य विषय था '2030 में परिवर्तन लाना: हमारे भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त कार्यवाहियां'। तदनुसार, सम्मेलन के दौरान मुख्य विषय के अंतर्गत निम्नलिखित दो उप-विषयों पर चर्चाएँ और विचार-विमर्श हुए:

(i) 2023-30 की अवधि के लिए साई इंडिया की रणनीतिक योजना से परिचित होना , और

(ii) साई इंडिया में डिजिटल विकास और भविष्य का रास्ता।

रणनीतिक योजना बनाने से ले कर उसे लागू करने की ओर बढ़ने और साई इंडिया के डिजिटल विकास का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

अध्याय-7

उतनी ही महत्वपूर्ण अन्य गतिविधियाँ

7.1 राजभाषा को बढ़ावा देने के प्रयास

7.1.1 प्रकाशन

वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा अनुभाग (मुख्यालय) की त्रैमासिक ई-पत्रिका "लेखा परीक्षा प्रकाश" के तीन अंक (142वां, 143वां एवं 144वां) प्रकाशित किए गए। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पत्रिका की रचनाओं के साथ-साथ राजभाषा से संबंधित सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया।

7.1.2 राजभाषा का कार्यान्वयन

(क) प्रत्येक तिमाही में, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यालय कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा के लिए उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जानी होती है।

उपर्युक्त के अनुपालन में, मुख्यालय कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा के लिए क्रमशः जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 में 183वीं, 184वीं, 185वीं और 186वीं तिमाही बैठकें आयोजित की गई।

(ख) राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय कार्यालय ने 14 से 29 सितंबर 2023 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे नोटिंग और ड्राफ्टिंग, हिंदी टाइपिंग, हिंदी में निबंध लेखन आदि का आयोजन किया गया। इसे साई के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इससे कर्मचारियों में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता और उत्साह पैदा करने में मदद मिली।

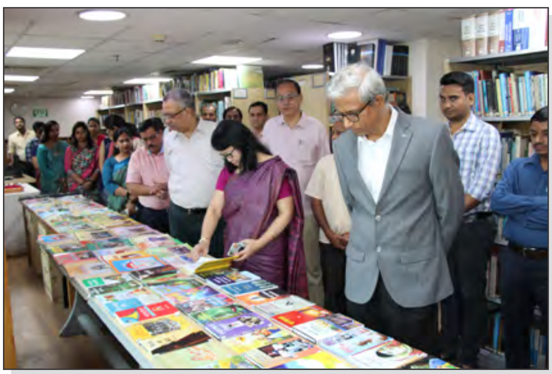

हिंदी पखवाड़ा सप्ताह के दौरान सीएजी कार्यालय में अधिकारी एवं कर्मचारी

भारत के सीएजी द्वारा हिंदी पखवाड़ा का पुरस्कार वितरण समारोह

(ग) वर्ष 2023-24 में संसदीय राजभाषा की तृतीय उप-समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया।

- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर, छत्तीसगढ़, दिनांक 23 मई 2023
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान, जयपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), गुजरात, राजकोट, 9 जनवरी 2024 को

(घ) राजभाषा अधिनियमों/नियमों आदि के अनुपालन की समीक्षा के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा 16 अक्टूबर 2023 को समिति की 45 वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय का प्रतिनिधित्व महानिदेशक (राजभाषा) ने किया।

(ई) हमारे कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में लक्ष्य तिथि के भीतर राजभाषा विभाग को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

7.1.3 क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के अनुभागों का निरीक्षण

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय के अनुभागों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत अनुभागों का प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2023-24 में 53 क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय कार्यालय के 15 अनुभागों के निरीक्षण की योजना बनाई गई और उनका सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया।

7.1.4 राजभाषा अनुभाग में अनुवाद कार्य

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत अपेक्षित, निम्नलिखित दस्तावेजों को भेजने से पूर्व हिंदी में अनुवाद किया गया:

(क) संसद के सदन के समक्ष रखी जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक, रेलवे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर)।

(ख) निष्पादन रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, सामान्य आदेश, नियम, अनुबंध, समझौते और निविदा सूचनाएं।

(ग) ऑडिट दिवस समारोह (2023) के अवसर पर अल्प सूचना पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों और मसौदों का अनुवाद भी किया गया।

7.1.5 ई-ऑफिस के माध्यम से राजभाषा का प्रसार

दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में संग्रहीत रखने और कागज रहित प्रणाली शुरू करने के लिए, राजभाषा अनुभाग में अगस्त 2019 से ई-ऑफिस का उपयोग शुरू हुआ। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न फाइलें/दस्तावेज बनाए गए हैं। कर्मचारी अब सभी जानकारी तत्काल में, शीघ्रता और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली में सभी सरकारी पत्राचार हिंदी में किए जा रहे हैं।

7.1.6 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय को वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की श्रेणी में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा सीएजी कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले महानिदेशक (राजभाषा) को प्रदान किया गया। यह इस कार्यालय में राजभाषा की प्रगति के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

7.2 टाउन हॉल बैठकें

मुख्यालय में स्टाफ विंग और क्षेत्रीय कार्यालयों के हितधारकों के बीच दो-तरफ़ा संचार चैनल स्थापित करने के प्रयास में, पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर टाउन हॉल बैठकें शुरू की गईं।

वर्ष 2023-24 के दौरान पटना में टाउन हॉल बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान हितधारकों से प्राप्त मुद्दों/शिकायतों/सुझावों की विधिवत जांच की गई। इस पहल से मुख्यालय को फील्ड में मौजूद कर्मचारियों के साथ संवाद का सीधा चैनल स्थापित करने में मदद मिली।

7.3 अवसंरचना विकास

भारत भर में विभिन्न स्टेशनों पर साई इंडिया के कार्मिकों के उपयोग के लिए कार्यालय स्थान के साथ-साथ आवासीय इकाइयों को बढ़ाने के लिए कई भवन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

7.3.1 निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं:

(1) आइजोल - आवासीय परिसर का निर्माण।

(2) बेंगलुरु- एच. सिद्धैया रोड पर एक कार्यालय भवन का निर्माण।

(3) गांधीनगर : कार्यालय भवन का निर्माण।

(4) कोलकाता- उल्टाडांगा में आवासीय परिसर का निर्माण।

(5) मुंबई- भांडुप में आवासीय परिसर का निर्माण।

(6) रांची- खेल परिसर का निर्माण।

(7) रांची- एमएबी के लिए कार्यालय भवन का निर्माण।

(8) शिमला- चैडविक हाउस की मरम्मत, पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण।

(9) शिमला- गोर्टन कैसल भवन का जीर्णोद्धार कार्य।

7.3.2 निम्नलिखित परियोजनाएं योजना चरण में हैं:

(1) गोवा- एक एनेक्सी भवन का निर्माण।

(2) इम्फाल - अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण।

(3) पुरी - धेन कनाल हाउस का जीर्णोद्धार।

(4) तिरुवनंतपुरम-आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

7.4 खेलों में भागीदारी और उपलब्धि

सीएजी की खेल टीमें मुख्य रूप से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसी खेल गतिविधियों (भारत और विदेश दोनों में) में सक्रिय रूप से भाग लेती रही हैं और इन्होने कई पुरस्कार भी जीते हैं।

क्रिकेट में, टीम ने अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश के झांसी में आयोजित जागरण क्रिकेट लीग में विजेता कप जीता।

हॉकी में, टीम ने दिसंबर 2023 में वाराणसी में आयोजित मोहम्मद शाहिद मेमोरियल टूर्नामेंट में विजेता कप जीता। टीम अक्टूबर 2023 में सुरजीत गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में उपविजेता रही।

फुटबॉल टीम ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट में मुख्यमंत्री कप जीता।

टेबल टेनिस में, सीएजी की वेटरन पुरुष टीमों (40+ और 50+ आयु वर्ग) ने अगस्त 2023 में हैदराबाद में आयोजित वेटरन्स नेशनल चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक, दो रजत पदक और एक कांस्य पदक जीता। सितंबर 2023 में मस्कट, ओमान में आयोजित वेटरन्स विश्व चैंपियनशिप में, खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता।

बैडमिंटन में, सितंबर 2023 में कोरिया के जोंजू में आयोजित वेटरन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता गया। अगस्त 2023 में दिल्ली में आयोजित सेंट्रल ज़ोन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी टीम उपविजेता रही।

7.5 75 वें गणतंत्र दिवस का उत्सव - ' आज़ादी' का अमृत महोत्सव '

आजादी के 75 साल और भारत के गौरवशाली इतिहास, इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों को याद करने के लिए, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव की पहल शुरू की, जिसमें 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2023 की ओर 75 सप्ताह की उलटी गिनती शुरू हुई। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए, रक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष 75वें गणतंत्र दिवस को 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाने के निर्देश जारी किए, साथ ही भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रथाओं के ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डाला, जो इस बात पर जोर देता है कि भारत को 'लोकतंत्र की जननी' कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अधिक पालन किया जाने वाला लोकतांत्रिक देश है।

निर्देशों के अनुपालन में और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, 11-25 जनवरी 2024 तक सीएजी कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देशभक्ति की भावना को पुनः जागृत करने के अलावा, इस कार्यक्रम में सीएजी कार्यालय के सभी कर्मचारियों की ओर से भारी उत्साह और सक्रिय भागीदारी देखी गई।

यह कार्यक्रम 11 जनवरी 2024 को उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ और इसका उद्घाटन उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, आईआर और समन्वय) ने किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। प्रतियोगिता का विषय 75 वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान आदि पर आधारित था। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का क्रम इस प्रकार है:

- 11 जनवरी 2024 को एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- 16 जनवरी 2024 को भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- 18 जनवरी 2024 को एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसके बाद 19 जनवरी 2024 को पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
- 24 जनवरी 2024 को एक रंगोली कला प्रतियोगिता आयोजित की गई।

11 जनवरी 2024 को उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, आईआर और समन्वय) द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 25 जनवरी 2024 को समापन समारोह में भाग लिया और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उसी दिन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, आईआर और समन्वय) ने भी इन प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान करके प्रोत्साहित किया।

उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदर्शन

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता

'आजादी का अमृत महोत्सव' के समापन समारोह के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का स्वागत करते हुए उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन, आईआर एवं समन्वय)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का समापन भाषण

साई इंडिया का मुख्यालय

खंड

4

हितधारकों के साथ अन्तःक्रिया

- **अध्याय 1**
  विधायी समितियों के साथ हमारी अन्तःक्रिया
- **अध्याय 2**
  लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड
- **अध्याय 3**
  अधिगम की प्रगति

अध्याय-1

विधायी समितियों के साथ हमारी अन्तःक्रिया

Dedicated to Truth in Public Interest

हमारे प्राथमिक हितधारकों में संसद, राज्य विधानमंडल एवं देश के नागरिक सम्मिलित हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों में लोक लेखा समितियाँ (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समितियाँ (सीओपीयू) हैं, जो साई इंडिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का जाँच करती हैं। अन्य प्रमुख हितधारकों में सरकारी विभाग और मंत्रालय, साथ ही साई इंडिया द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के विषयों में विशेष रुचि रखने वाले संगठन और व्यक्ति सम्मिलित हैं।

हमारे हितधारकों के साथ संवाद एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ग्राहकों और हितधारकों के साथ हमारी बातचीत हमें साई इंडिया से उनकी अपेक्षाओं को समझने में मदद करती है और हमारे कार्य के माध्यम से दिए जाने वाले आश्वासन और जवाबदेही को सार्थक बनाती है।

1.1 लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों समिति के साथ अन्त:क्रिया

संघ और राज्य स्तर पर लोक लेखा समितियाँ (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समितियाँ (सीओपीयू) सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे मुख्य भागीदार हैं। संसद/विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टें पीएसी/सीओपीयू को भेजी जाती हैं। सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करता है। सीएजी और उनके प्रतिनिधि अपनी बैठकों के दौरान गवाहों की जांच में पीएसी/सीओपीयू की सहायता करते हैं।

कार्यकारिणी को समितियों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है। उसके बाद समितियां कार्रवाई रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। बैठकों में जिन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा नहीं की गई है, उनके मामले में कार्यकारिणी को उस पर कार्रवाई नोट प्रस्तुत करना होता है। समितियों को प्रस्तुत किए जाने से पहले लेखापरीक्षा द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट और कार्रवाई नोट दोनों की विधिवत जांच की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्रीय पीएसी/सीओपीयू ने 122 बैठकें आयोजित कीं, जिनमें 104 लेखापरीक्षा पैरा/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर चर्चा की गई। पीएसी/सीओपीयू में बैठकों और लेखापरीक्षा पैरा/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर चर्चा की स्कन्धवार स्थिति नीचे दी गई है:

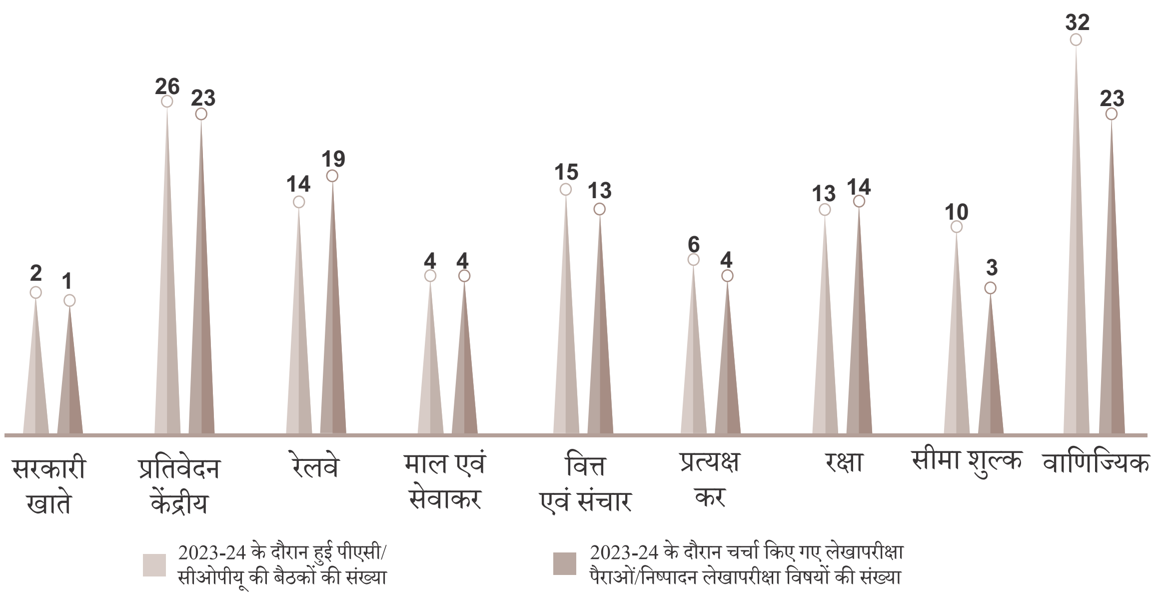

राज्यों में पीएसी/सीओपीयू की 2023-24 के दौरान 630 अवसरों पर बैठक हुई और 1,309 लेखापरीक्षा पैरा/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर चर्चा की गई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

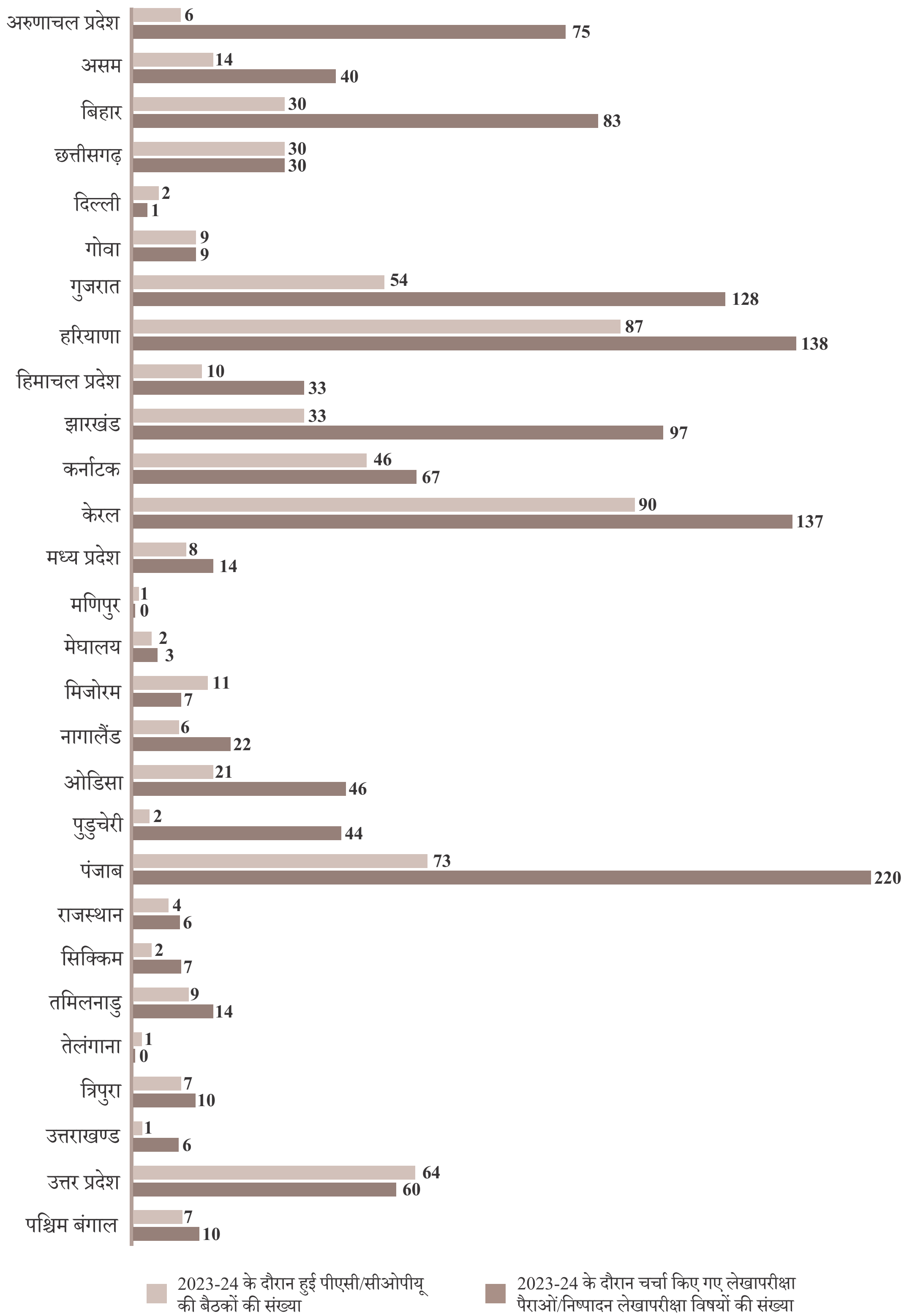

1.2 तमिलनाडु में लोक लेखा समिति के माननीय सदस्यों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम

लोक लेखा समिति (पीएसी) का गठन तमिलनाडु की सोलहवीं विधानसभा द्वारा 21 अप्रैल 2023 को किया गया था, जिसके बाद 23 मई 2023 को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) के द्वारा पीएसी के सदस्यों के लिए एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बैठक की अध्यक्षता लोक लेखा समिति के माननीय अध्यक्ष, श्री के. सेल्वापेरुन्थगई , विधायक ने की। कार्यक्रम में पीएसी के माननीय सदस्यों और तमिलनाडु विधान सभा के सचिव ने भाग लिया।

कार्यक्रम में तमिलनाडु के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) द्वारा सीएजी की भूमिका, लेखापरीक्षा प्रक्रिया, समिति के कार्य और शक्तियों पर एक प्रस्तुति सम्मिलित थी। इसके अलावा, स्पष्टीकरण नोट/कार्रवाई नोट की प्राप्ति में विलंब और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा को समिति के ध्यान में लाया गया और समिति के विचार के लिए विभिन्न सुझाव रखे गए।

अध्याय-2

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

2.1 सीएजी की लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

सीएजी के लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एएबी) का गठन विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित लेखापरीक्षाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। बोर्ड के अधिदेश में लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में सीएजी को सलाह देना सम्मिलित है, जिसमें सीएजी के संवैधानिक और वैधानिक अधिदेश के ढांचे के भीतर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण और तकनीकों पर सुझाव के साथ-साथ लेखापरीक्षा की व्यापकता, दायरा और प्राथमिकता सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति और विभाग के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सम्मिलित हैं। पहला लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 1999 में गठित किया गया था। तब से, बोर्ड का दस बार (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018, 2021 और 2023) पुनर्गठन किया जा चुका है। अप्रैल 2023 में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड को दो वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था। 11वें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के बाहरी सदस्यों का विवरण इस रिपोर्ट के खंड 1 के अध्याय 3 में दिया गया है।

11वें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक अप्रैल 2024 में आयोजित की गई थी। प्रमुख एजेंडा मदों में लेखापरीक्षा योजना 2024-25 और ब्लू इकोनॉमी की क्षैतिज लेखापरीक्षा पर चर्चा सम्मिलित थी।

ग्यारहवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक

सीएजी की ग्यारहवीं लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक के दौरान सदस्य

2.2 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी प्रकार संबंधित राज्यों में राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एसएएबी) का गठन किया गया है। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवरों के साथ चर्चा को बढ़ावा देकर लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं। 2023-24 के दौरान, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकें आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, केंद्र शासित प्रदेश लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (यूटीएएबी) की पहली बैठक पुडुचेरी में आयोजित की गई।

झारखंड में राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक

संघ शासित प्रदेश लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (यूटीएएबी), पुडुचेरी की पहली बैठक

अध्याय-3

अधिगम की प्रगति

3.1 लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ अन्त:क्रिया

हमारी लेखापरीक्षित इकाईयां लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों में से हैं। उनके साथ हमारा संपर्क - लेखापरीक्षा से पहले, दौरान एवं बाद में निरंतर आधार पर होता है। जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए लेखापरीक्षित प्रबंधन के वरिष्ठ स्तरों पर संपर्क को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों को लेखापरीक्षित संस्थाओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है। सभी लेखापरीक्षा टीमें लेखापरीक्षा की शुरुआत एवं समापन पर प्रवेश एवं प्रस्थान सम्मेलन आयोजित करती हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक चरण पर, लेखापरीक्षित संस्था को लेखापरीक्षा प्रश्नों एवं निष्कर्षों का उत्तर देने का अवसर दिया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय भी निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित अभ्युक्तियों पर चर्चा करने एवं उन पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। लेखापरीक्षित संस्थाओं के अधिकारियों को विभाग में आयोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है।

हमने वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित संस्थानों के साथ कई बार संपर्क किया। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

3.1.1 केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ अन्त:क्रिया

25 मई 2023 को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त/अतिरिक्त सचिवों एवं अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट सेंट्रल) की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

- स्वायत्त निकायों के खातों को प्रस्तुत करने में देरी
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई नोट प्रस्तुत करने में देरी
- प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण एवं जल संसाधन क्षेत्र
- डिजिटल वातावरण में लेखापरीक्षा
- लंबित पैरा/निरीक्षण रिपोर्ट से संबंधित मुद्दे

3.1.2 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ अन्त:क्रिया

' भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की कार्यप्रणाली' पर एक संगोष्ठी फरवरी 2024 में महानिदेशक लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार, नई दिल्ली के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में आयोजित किया गया था।

3.1.3 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कौशल विकास पहल पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा पर कार्यशाला

एम. ई. आई. टी. वाई. (इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) में कौशल विकास पहलों के विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस. एस. सी. ए.) पर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वित्त एवं संचार) की अध्यक्षता में एक मध्यावधि समीक्षा कार्यशाला फरवरी 2024 में चेन्नई में आयोजित की गई थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी-डैक, नैसकॉम के प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 'कौशल विकास पहलों की विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा' पर कार्यशाला के दौरान साई इंडिया के अधिकारियों के साथ।

इसके क्षेत्रीय कार्यालयों सहित वित्त एवं संचार के अधिकारियों के अलावा, एमईआईटीवाई, नैसकॉम, सीडीएसी, एनआईईएलआईटी एवं अन्य संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधियों को एसएससीए में शामिल विभिन्न क्षेत्रों के साथ समन्वय में विषयों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न उभरती एवं भविष्य की प्रौद्योगिकियों, चुनौतियों, त्वरित तकनीकी प्रगति, कौशल अंतराल, वैश्वीकरण के प्रभाव एवं आउटसोर्सिंग के साथ-साथ सीखने के माहौल को विकसित करने पर विशेष ध्यान देने, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों के लिए अवसर, अधिक विविध एवं अभिनव कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए उद्योग सहयोग पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सरकारी पहलों (एचआरडी योजनाओं एवं परियोजनाओं) पर चर्चा की गई। कार्यशाला में प्राप्त विचार-विमर्श एवं अंतर्दृष्टि ने कार्यान्वयन प्रक्रिया में चुनौतियों, सरकार, हितधारकों, उद्योगों एवं शैक्षिक संस्थानों के समन्वित प्रयासों को समझने में मदद की ताकि कौशल विकास पहलों एवं लेखापरीक्षा के लिए संभावित क्षेत्रों की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण को पूरा किया जा सके।

3.1.4 राज्य विशिष्ट संपर्क अन्तःक्रिया

आंध्र प्रदेश

(i) नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्दों पर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षक की रिपोर्टों एवं वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ एवं लेखापरीक्षा कार्यालय के साथ वैधानिक लेखापरीक्षकों की बातचीत एवं प्रतिक्रिया में सुधार के अलावा वैधानिक लेखापरीक्षकों की समय पर प्रतिक्रिया हुई। इसके अलावा, लेखापरीक्षकों के साथ बैठक के बाद लेखा प्रस्तुतीकरण में भी वृद्धि देखी गई।

(ii) नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के नोडल प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के बकाया खातों की स्थिति एवं प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता के अनुपालन पर एक बैठक आयोजित की गई थी। विचार-विमर्श के बाद, राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के खातों की स्थिति की निगरानी के लिए एक वेबसाइट विकसित की है। वित्त विभाग ने सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को खाते जमा करने एवं राज्य विधानमंडल के समक्ष खातों को पेश करने के निर्देश जारी किए। साथ ही, सार्वजनिक उपक्रमों ने 2014-15 तक के बकाया खाते जमा करना शुरू कर दिया है।

'आंध्र प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने में आने वाली समस्याएं' विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन

तमिलनाडु

नवंबर, 2023 में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लेखापरीक्षा इकाइयों के प्रमुखों के लिए एक लेखापरीक्षा सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड (टैनजेडको), तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टी.ए.एन.टी.आर.ए.एन.एस.सी.ओ.), तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी), सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआईजी) एवं तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टी.ई.डी.ए.) शामिल थे।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में विभिन्न विभागों जैसे कृषि विभाग, पशु संसाधन विकास विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मत्स्य पालन विभाग आदि की कार्यप्रणाली पर कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनके अलावा, पश्चिम बंगाल में आयोजित बैठकों/कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - II), पश्चिम बंगाल ने मार्च 2024 में एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन, वैधानिक लेखापरीक्षकों एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के कर्मचारियों को शामिल किया गया। बैठक में विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप प्रबंधन एवं सांविधिक

पश्चिम बंगाल में त्रिपक्षीय बैठक के दौरान प्रतिभागी

लेखा परीक्षकों ने लेखापरीक्षा में शीघ्र तैयारी करने, अनुमोदन एवं खातों को प्रस्तुत करने एवं सहयोग के संबंध में विभिन्न संचार अंतरालों एवं आश्वासनों को दूर करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा, कुछ खाते, जो बकाया थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

(ii) वन विभाग के सभी प्रभागों के कार्यालयों के प्रमुखों के साथ एक लेखापरीक्षा संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलों के अधिकारियों को पिछले निरीक्षण रिपोर्टों से विशिष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संदर्भ में वन विभाग के दिशा-निर्देशों, आदेशों एवं नियमों का लगातार अनुपालन न करने के बारे में सूचित किया गया था। वन विभाग के अधिकारियों ने लेखापरीक्षा की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया एवं कार्रवाई एवं अनुपालन का आश्वासन दिया।

(iii) टीजीएस पर कार्यसूची निर्धारण बैठक: आगामी वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में एलबीएस लेखापरीक्षा के हितधारकों के परामर्श से टीजीएस के तहत प्राथमिक लेखापरीक्षा संस्थान/डीएलएफए को निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय में 17 जनवरी 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन- कार्यसूची व्यवस्था पर एक बैठक आयोजित की गई।

3.2 शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ अन्त:क्रिया

हम कई शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ अन्त:क्रिया करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संस्थानों, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) की केंद्रीय परिषदों में नामित किया जाता है। आईसीएआई के परिषद सदस्य होने के कारण, अधिकारियों को संस्थान की विभिन्न समितियों/बोर्डों, जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, नैतिक मानक बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, समकक्ष समीक्षा बोर्ड आदि में भी नामित किया जाता है, ताकि इन व्यावसायिक निकायों के साथ निरंतर अन्त:क्रिया सुनिश्चित किया जा सके। हमारे प्रशिक्षण संस्थान अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में संकाय सहायता के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के संपर्क में हैं।

3.3 मीडिया के साथ अन्त:क्रिया

हमारी एक दस्तावेजी संचार नीति है जो बाह्य हितधारकों के साथ परस्पर संवाद का मार्गदर्शन करती है। मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता में मुख्यालय कार्यालय में संचार नीति विंग प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जनता के साथ प्रभावी संचार के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जहां राज्य में कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है, वहां राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मीडिया के साथ प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रधान महालेखाकार या वरिष्ठतम महालेखाकार स्तर का अधिकारी जिम्मेदार है।

हम संसद एवं राज्य विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने हितधारकों को लेखापरीक्षा संदेशों को संप्रेषित करने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। संसद/राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के पश्चात् उनकी विषय-वस्तु को दर्शाते हुए प्रेस सार जारी किए जाते हैं। रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं।

इस तरह की अन्त:क्रिया का उद्देश्य विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में जानकारी का प्रसार करना एवं हमारे हितधारकों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, जारी करना है।

3.4 कार्यशालाएं, व्याख्यान और अन्य कार्यक्रम

शासन में जवाबदेही मजबूत सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्टिंग की नींव पर टिकी हुई है। साई इंडिया का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले लेखापरीक्षण एवं लेखांकन के माध्यम से शासन में जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जिससे हितधारकों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं जनता को स्वतंत्र आश्वासन मिलता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक एवं अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

इस मिशन को पूरा करने के लिए, साई इंडिया लगातार अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करता है, जिसका अर्थ है कि लेखा परीक्षकों को शासन के उन्नयन में भागीदार के रूप में देखा जाता है, इसकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शासन में सहायता के रूप में कार्य करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा वितरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वह वातावरण जिसमें लेखापरीक्षित सत्त्व एवं, परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा कार्य, संरचना एवं सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के तरीकों के साथ-साथ लेखापरीक्षा एवं लेखाकरण की प्रथाओं दोनों के संदर्भ में गतिशील हैं। इस प्रकार, इस गतिशील वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए, साई इंडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं में नयापन लाता रहे एवं फिर से स्वयं को जीवंत करता रहे। हितधारकों के साथ नियमित आंतरिक एवं बाह्य परामर्श पेशेवर प्रथाओं एवं हमारी संरचनाओं एवं कामकाज के तरीकों को अनुकूलित/उन्नत करने के इस प्रयास को सरल बनाता है, साथ ही उस वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है जिसमें हमारे लेखापरीक्षित संस्थाएं कार्य करते हैं। इस तरह के विचार-विमर्श की सुविधा के लिए, साई इंडिया नियमित रूप से कई कार्यशालाओं, व्याख्यानों एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है जहां डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ लोक सेवक भाग लेते हैं एवं हमारे कर्मियों के साथ अपने ज्ञान को साझा करते हैं।

वर्ष के दौरान बाह्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए निम्नलिखित कार्यशालाएं/व्याख्यान आयोजित किए गए:

(i) 28 फरवरी, 2024 से 1 मार्च, 2024 तक जमीनी स्तर पर लोकतंत्र एवं जवाबदेही की मजबूती पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 10 देशों-जॉर्जिया, मलेशिया, मालदीव, माल्टा, मोरक्को, नेपाल, ओमान, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं युगांडा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान एवं दुनिया भर में स्थानीय शासन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। सम्मेलन के अंतिम दिन, उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे एवं महालेखापरीक्षक) की अध्यक्षता में स्थानीय शासन में सुधार में साई की भूमिका को मजबूत करना विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। साई नेपाल के महालेखापरीक्षक (कार्यवाहक), साई माल्टा के सहायक महालेखापरीक्षक, भारत के लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री एस. एम. विजयनंद एवं अतिरिक्त उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एलजीए) इस समिति के सदस्य थे।

(ii) अखिल भारतीय सम्मेलन ग्राम: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अध्यक्षता में 1 सितंबर, 2023 को 'जमीनी स्तर पर लेखांकन का सुदृढ़ीकरण' का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन पंचायतों एवं नगर निकायों के लेखाकारों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के सहयोग से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा शुरू किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक व्यापक हितधारक परामर्श के लिए किया गया था। सचिव (पंचायती राज मंत्रालय), सचिव (ग्रामीण विकास मंत्रालय), प्रधान सचिव/सचिव (वित्त), प्रधान सचिव/सचिव (पीआरडी), कुछ राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (यूडीडी), पीएएसजी/एएसजी सभी राज्यों से स्थानीय सरकार का लेखापरीक्षा कर रहे हैं, सभी राज्यों के डीएलएफए/एलएफए (वीसी के माध्यम से), आईसीएआई के प्रतिनिधि एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

(iii) जुलाई 2023 में आईसीआईएसए में सार्वजनिक हित प्रकटन एवं सूचना देने वालों का संरक्षण (पीआईडीपीआई) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के विशेषज्ञों ने आईसीआईएसए के अधिकारियों को नैतिक रिपोर्टिंग प्रथाओं एवं प्रदर्शन करने वाले अधिकारों की अनिवार्य सुरक्षा के बारे में अमूल्य जानकारी दी।

(iv) आईसीईडी ने 3-4 जुलाई, 2023 तक "समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि एवं समुद्री प्रदूषण" पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 10 वर्ग अधिकारियों सहित 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान, 'जलवायु परिवर्तन, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता हानि एवं समुद्री प्रदूषण से संबंधित विभिन्न विषयों को राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ), नई दिल्ली, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम), चेन्नई, तमिलनाडु, विश्व बैंक समूह,भारत, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु एवं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सात विशेषज्ञों द्वारा आच्छादित किया गया था।

'जलवायु परिवर्तन, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता हानि एवं समुद्री प्रदूषण के संदर्भ में' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन समारोह के दौरान प्रतिभागी

(v) आईसीईडी के अधिकारियों के उन्मुखीकरण के लिए आंतरिक गृह क्षमता विकसित करने के लिए, ब्लू इकोनॉमी एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर आईसीईडी में व्याख्यान की एक श्रृंखला आयोजित की गई। 2023-24 के दौरान, दो चरणों में आठ ऐसे सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों के लिए आईआईएससी, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, बैंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एवं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था।

(vi) नवंबर 2023 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर के कार्यालय द्वारा "सुशासन पर लेखापरीक्षा के प्रभाव को बढ़ाना" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें लोकायुक्त, राजस्थान माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा ने मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की एवं अतिरिक्त महानिदेशक (एसीबी), राजस्थान श्री हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी (सीबीआई), राजस्थान श्री अशोक कुमार, पीआर कमिश्नर जीएसटी, श्री सी के जैन एवं अन्य प्रतिष्ठित हितधारकों में से प्रख्यात पत्रकार भी इस समारोह में उपस्थित थे।

(vii) भूमि राजस्व विभाग, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग एवं परिवहन विभाग में तहसीलदारों, आरडीओ एवं जिला कलेक्टरों के कार्यालयों में लेखापरीक्षा के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तकनीकी कौशल को अद्यतन करने के लिए प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा, तेलंगाना द्वारा तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई।

(viii) हरियाणा में स्थानीय निकायों से संबंधित मुद्दों पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। चर्चा के विषय स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं एवं नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित थे।

(ix) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, झारखंड द्वारा 'हितधारकों के साथ बातचीत: स्थानीय सरकार में शासन को मजबूत करना' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम सहित राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

'हितधारकों के साथ बातचीत: स्थानीय सरकार में शासन को मजबूत करना' पर कार्यशाला

(x) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश कार्यालय द्वारा बाह्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें "सरकारी जवाबदेही को मजबूत बनाने में स्वतंत्र निरीक्षण की भूमिका" एवं "*स्वच्छ भारत मिशन* में हमारी भूमिका एवं जिम्मेदारी" जैसे विषय शामिल थे।

(xi) दिसंबर 2023 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II) महाराष्ट्र कार्यालय द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

(xii) अक्टूबर 2023 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मेघालय द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मेघालय राज्य केंद्र द्वारा किया गया।

(xiii) प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) मेघालय द्वारा "मेघालय में स्थानीय शासन संस्थाओं के कामकाज एवं निगरानी को मजबूत करना" विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

(xiv) कर्नाटक में खनन नीति पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) कर्नाटक द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकारियों को कर्नाटक की खनन नीति के संबंध में प्रचलित अधिनियमों एवं विनियमों से परिचित कराया गया।

(xv) नवंबर 2023 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),केरल के कार्यालय द्वारा 'स्थानीय स्वशासन संस्थानों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियों' पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

(xvi) अक्टूबर 2023 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),तमिलनाडु कार्यालय द्वारा "*जल जीवन मिशन* – तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड में लक्ष्य एवं गतिविधियाँ" पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया था।

(xvii) कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-II),तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों एवं एसएपी वातावरण के तहत टीएएनजीईडीसीओ की लेखापरीक्षा पर बाह्य विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए।

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला

खंड

5

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- **अध्याय 1**
  संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता
- **अध्याय 2**
  सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता
- **अध्याय 3**
  सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता
- **अध्याय 4**
  द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परस्पर संवाद
- **अध्याय 5**
  अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय-1

संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता

1.1 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का समय-समय पर अपने बाह्य लेखापरीक्षकों के रूप में यूएन और इसकी विशेष एजेंसियों के साथ लंबे समय से संबंध रहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए बाह्य लेखा परीक्षक होने के अलावा, साई इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), परियोजना सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओपी), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी), संयुक्तराष्ट्र मुआवजा आयोग (यूएनसीसी), शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा आयोग का लेखापरीक्षा किया है। वर्ष 2023-2024 के दौरान, साई इंडिया ने निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संगठनों का लेखापरीक्षा किया:

1.1.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)

डब्लूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। डब्लूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

सीएजी को दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाली वित्तीय अवधि से शुरू होने वाली 2020-2023 की अवधि के लिए डब्लूएचओ और इसकी पांच गैर-समेकित मेजबान की गई संस्थाओं का बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

डब्लूएचओ की पांच गैर-समेकित संस्थाएँ हैं:

आठ लेखापरीक्षा टीमों ने डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय/देश कार्यालयों, वैश्विक सेवा केंद्र और इसकी गैर-समेकित संस्थाओं के वित्तीय, निष्पादन, आईटी और अनुपालन लेखापरीक्षा किए। ये लेखापरीक्षा भागीदारी अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के दौरान ऑनसाइट किए गए थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र; दीर्घकालिक समझौतों पर ध्यान देने के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन आपूर्ति श्रृंखला, शिपिंग और परिवहन प्रबंधन प्रणाली और विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा प्रबंधन शामिल थे।

1.1.2 खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)

एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। एफएओ का मुख्यालय रोम, इटली में है।

सीएजी दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाली वित्तीय अवधि से शुरू होने वाली 2020-2025 की अवधि के लिए एफएओ का बाह्य लेखापरीक्षक है। छह लेखापरीक्षा टीमों ने एफएओ मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय/देश कार्यालयों के वित्तीय, निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा किए। ये लेखापरीक्षा भागीदारी सितंबर 2023-मार्च 2024 के दौरान किए गए थे। लेखापरीक्षाओं खरीद, खाद्य और पोषण प्रभाग और आपातकालीन प्रतिक्रिया तैयारी और तंत्र का निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल था। वर्ष 2023 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1.1.3 रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्लू)

ओपीसीडब्लू का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है और रासायनिक हथियार कन्वेंशन के लिए कार्यान्वयन निकाय है, जो 29 अप्रैल 1997 से प्रवृत्त हुआ था। ओपीसीडब्लू रासायनिक हथियारों को स्थायी रूप से और सत्यापित रूप से समाप्त करने के वैश्विक प्रयास की देखरेख करता है।

सीएजी दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाली वित्तीय अवधि से शुरू होने वाली 2021-2023 की अवधि के लिए ओपीसीडब्लू का बाह्य लेखापरीक्षक है। दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली वित्तीय अवधि के लिए ओपीसीडब्लू का बाह्य लेखापरीक्षा अप्रैल 2023 के दौरान किया गया था। लेखापरीक्षा में ओपीसीडब्ल्यू के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निष्पादन लेखापरीक्षा, तकनीकी सहायता और राष्ट्रीय प्राधिकरणों को समर्थन और राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए क्षमता विकास में वृद्धि शामिल थी। इसके अलावा, इकाई 4 ईआरपी की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा भी की गई थी।

1.1.4 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

आईएईए परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र है, इसका मुख्यालय वियना में है। इसे संयुक्त राष्ट्र परिवार में विश्व के "शांति के लिए परमाणु" संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में अपने सदस्य राज्यों और कई भागीदारों के साथ काम करती है।

सीएजी दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली वित्तीय अवधि से शुरू होकर 2022 से 2027 तक छह साल की अवधि, के लिए आईएईए का बाह्य लेखापरीक्षक है। आईएईए का बाह्य लेखापरीक्षा अक्टूबर 2023-मार्च 2024 के दौरान किया गया था। लेखापरीक्षा में परमाणु ज्ञान प्रबंधन और परमाणु सूचना पर उप-कार्यक्रमों का निष्पादन लेखापरीक्षा और चयनित प्रयोगशालाओं का लेखापरीक्षा तथा एजेंसी खरीद-विक्रेता प्रबंधन का निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थी। पांच टीमों ने उपरोक्त लेखापरीक्षा की।

1.1.5 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

फरवरी 2023 में, सीएजी को दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली वित्तीय अवधि से शुरू होने वाली 2024-2027 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति वैश्विक शासन में भारत के बढ़ते प्रभाव और सुशासन प्रथाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीएजी का चयन सामाजिक न्याय, श्रम अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है।

आईएलओ के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में सीएजी की नियुक्ति से वैश्विक लेखापरीक्षा समुदाय में भारत का कद बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर पारदर्शी वित्तीय प्रथाओं को बढ़ावा देने में अपने नेतृत्व की पुष्टि करता है।

1.2 संयुक्त राष्ट्र संगठनों की बाह्य लेखापरीक्षा का कार्य सौंपना

साई इंडिया को 2024-2027 और 2024-2026 की अवधि के लिए डब्ल्यूएचओ और ओपीसीडब्ल्यू के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। साई इंडिया की पुनर्नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ-साथ इसकी व्यावसायिकता, उच्च मानकों, वैश्विक लेखापरीक्षा अनुभव और मजबूत राष्ट्रीय साख की मान्यता है।

डीएआई (एचआर, आईआर और समन्वय) डब्ल्यूएचओ कार्यकाल 2024-27 के नवीनीकरण के लिए एक प्रस्तुति देते हुए

1.3 तकनीकी समूह और बाह्य लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल की बैठक

बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल ने 20-21 नवंबर 2023 के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपना 63वां नियमित सत्र आयोजित किया। सीएजी, प्रधान निदेशक(अंतर्राष्ट्रीय संबंध), निदेशक(अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और निदेशक(कार्मिक) के साथ संयुक्त राष्ट्र पैनल की बैठक में शामिल हुए। तकनीकी समूह (टीजी) की बैठक में प्रमुख निदेशक (आईआर) और निदेशक (आईआर) ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के लिए चुनाव: संयुक्त राष्ट्र पैनल की बैठक के दौरान सीएजी को 2023-2024 के लिए पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया। पूर्व में, उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के परिणामस्वरूप, सीएजी 2024-2025 के लिए पैनल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

तकनीकी समूह (टीजी) की बैठक: तकनीकी समूह बैठक के दौरान तीन प्रमुख मुद्दों अर्थात वित्तीय एवं प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल मुद्दों पर प्रस्तुतियाँ और विचार-विमर्श आयोजित किए गए। साई इंडिया ने वित्तीय और प्रबंधन मुद्दों पर विषय का नेतृत्व किया और संयुक्त राष्ट्र संगठनों और एजेंसियों की वित्तीय संरचना और इसमें शामिल जोखिम; और संयुक्त राष्ट्र संगठन- मुख्यालय/क्षेत्रीय/देश कार्यालयों में संगठनात्मक संरचनाओं पर दो प्रस्तुतियाँ दीं।

संयुक्त राष्ट्र पैनल की बैठक: संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठक के दौरान सीएजी ने 'वित्तीय और प्रबंधन-महत्वपूर्ण मुद्दों' पर सत्र का नेतृत्व किया। सीएजी ने नकदी प्रवाह, ऋण और बजट बाधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रबंधन मुद्दों पर प्रकाश डाला, जो नियोजित रूप से खर्च करने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को सीमित करता है, निर्धारित योगदान के विलंबित या अनियमित भुगतान के जोखिम और संयुक्त राष्ट्र के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ स्वैच्छिक योगदान के संभावित गलत संरेखण, डोनर रिपोर्टिंग से संबंधित जोखिम, निजी क्षेत्र के फंड-जुटाने, नए आईपीएसएएस 47 को लागू करने में चुनौतियां आदि।

सीएजी ने बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस के साथ बाहरी लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के 63वें नियमित सत्र के दौरान बैठक की।

सीएजी ने संयुक्त राष्ट्र पैनल की बैठक के दौरान 'जलवायु परिवर्तन-महत्वपूर्ण मुद्दों' पर भी जानकारी प्रदान की। सीएजी ने चरम जलवायु घटनाओं, पर्यावरणीय सामाजिक शासन (ईएसजी) लक्ष्यों पर सतत रिपोर्टिंग; जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (टीसीएफडी) पर गठित टास्क फोर्स द्वारा लाए गए जलवायु संबंधी जोखिम और अवसर प्रकटीकरण ढांचे आदि पर सरकार की प्रतिक्रियाओं की लेखापरीक्षा में साई की भूमिका पर प्रकाश डाला। सीएजी द्वारा वित्त और प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिन्हें पैनल के सदस्यों की आम सहमति से संयुक्त राष्ट्र महासचिव को लिखे गए पत्र में सामने लाया गया।

कोर डेस कॉम्पटेस (फ्रांसीसी लेखापरीक्षा न्यायालय) के प्रथम अध्यक्ष श्री पियरे मास्को के साथ सीएजी।

सीएजी ने अन्य पैनल सदस्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात की और उन्हें संयुक्त राष्ट्र पैनल बैठक के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी दी।

20 नवंबर, 2023 को पैनल की बैठक के दौरान सीएजी ने दोनों देशों की साई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए *कोर डेस कॉम्पेट्स* (फ्रांस का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान) के प्रथम अध्यक्ष श्री पियरे मास्को के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

1.4 एंडरसन स्कूल ऑफ बिजनेस, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) में द्वितीय वरिष्ठ लेखापरीक्षा प्रोफेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीएजी कई प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र संगठनों का बाह्य लेखापरीक्षक है। संयुक्त राष्ट्र संगठन अपने उच्च संरचित और कठोर लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लेखापरीक्षकों के रूप में, हमारे लिए वक्र से आगे रहना और वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं और उभरते मुद्दों के बारे में अच्छी तरह से सूचित रहना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र संगठनों के लेखापरीक्षा में हमारी तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए, वरिष्ठ लेखापरीक्षा पेशेवरों के लिए दूसरा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसंबर 2023 में एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) में आयोजित किया गया था, जो विश्व के शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों में से एक है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पोर्टफोलियो और जोखिम प्रबंधन, परिभाषित लाभ योजनाओं की रिपोर्टिंग, पेंशन फंड और संपत्ति आवंटन का पुनर्संयोजन, वित्तीय विवरण, गैर-लाभकारी संस्थाओं के अनुपात और संदर्भ, हेजिंग और डेरिवेटिव्स और पर्यावरण, सामाजिक, शासन (ईएसजी) रिपोर्टिंग शामिल थी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए लेखापरीक्षा कार्यों के संचालन और नेतृत्व के लिए वरिष्ठ और मध्यम स्तर के आईएएंडएएस अधिकारियों के ज्ञान और क्षमताओं में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

अध्याय-2

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

2.1 इंटोसाई का अवलोकन

लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) बाह्य सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम करता है। 1953 में स्थापित, इंटोसाई में 195 पूर्ण सदस्य, पांच सहयोगी सदस्य और दो संबद्ध सदस्य हैं। इंटोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। इंटोसाई का आदर्श वाक्य है, *'पारस्परिक अनुभव, सबका लाभ'*।

इंटोसाई की चार मुख्य समितियां हैं जो इसके चार नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसकी वाहक हैं। ये समितियां हैं:

(i) व्यावसायिक मानक समिति
(ii) क्षमता निर्माण समिति
(iii) ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवा समिति
(iv) नीति, वित्त और प्रशासन समिति

प्रत्येक समिति का अध्यक्ष साई का एक सदस्य है।

2.2 इंटोसाई ज्ञान सहभाजन समिति (केएससी)

ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवाओं पर इंटोसाई समिति - (केएससी) की स्थापना के बाद से, सीएजी केएससी और इसकी संचालन समिति (केएससी एससी) का अध्यक्ष है।

ज्ञान सहभाजन समिति संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अपनी समर्पित वेबसाइट - इंटोसाई कम्युनिटी पोर्टल के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन दस्तावेज, हैंडबुक, सर्वोत्तम प्रथाओं और शोध पत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केएससी के पास सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले 12 कार्य समूह[1] हैं।

2.2.1 आबूधाबी यूएई, में आयोजित केएससी संचालन समिति की 15 वीं वार्षिक बैठक

केएससी के अध्यक्ष के रूप में सीएजी के नेतृत्व में, इंटोसाई के केएससी ने अपनी 15वीं संचालन समिति (केएससी एससी) की बैठक आयोजित की, जिसमें साई इंडिया सहित लगभग 10 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (साई) के प्रतिनिधि एकत्रित हुए।

सीएजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों 15वीं इंटोसाइ केएससी एससी बैठक के दौरान

[1] एचटीटीपी://सीएजी.जीओवी.इन/हआई/पेज-इन्वॉल्वमेंट-विद-इंटोसाई

सीएजी ने अबू धाबी में 15वीं ज्ञान साझा समिति की बैठक का उद्घाटन किया, जिसमें वैश्विक लेखापरीक्षा उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए एसएआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। सीएजी ने प्रभावी सार्वजनिक लेखापरीक्षा में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि ज्ञान कुशल सार्वजनिक लेखापरीक्षा की आधारशिला है, जो सटीक, सुसंगत, विश्वसनीय और कुशल लेखापरीक्षा सुनिश्चित करता है। यह संभावित जोखिमों की पहचान करके मौजूदा सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। केएससी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, सीएजी ने कहा, इंटोसाई की महत्वाकांक्षाएं केएससी की परिचालन रणनीतियों में गूंजती हैं, दृश्यता को बढ़ाती हैं, समावेशिता को बढ़ावा देती हैं और एक मजबूत ज्ञान-साझा पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से साई के विकास को बढ़ावा देती हैं। सीएजी ने साई सदस्यों से लेखापरीक्षण में नेतृत्व करने का आग्रह किया, जिसमें अभिनव रणनीतियों जैसे बहुभाषी दृष्टिकोण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन सहयोग उपकरण का उपयोग किया जाए।

इसके अतिरिक्त, सीएजी ने मिस्र और यूएई के साई के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। साई मिस्र के साथ चर्चा में सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। साई यूएई के साथ बातचीत में, विशेष रूप से क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे और आईटी लेखापरीक्षा में समझौता ज्ञापन और आपसी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया गया।

मिस्र और यूएई के साई के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत के सीएजी

2.2.2 इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए की 32वीं वार्षिक बैठक

इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष के रूप में सीएजी ने 2 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 32वीं वार्षिक डब्ल्यूजीआईटीए बैठक का उद्घाटन किया।

सीएजी ने अपने उद्घाटन संबोधन में पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को अपनी सरकारों से जवाबदेही की मांग करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से सेवा वितरण में आईटी प्रणालियों और प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए डिजिटल वातावरण में प्रभावी लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करने वाले मानकों, मार्गदर्शन और दस्तावेजों को विकसित करने में सबसे आगे रहा है। भविष्य को देखते हुए, डब्ल्यूजीआईटीए की 2023-2025 कार्य योजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान, आईटी लेखापरीक्षा हैंडबुक के लिए लेखापरीक्षा मैट्रिक्स और सूचना प्रणाली सुरक्षा लेखापरीक्षा पर केंद्रित परियोजनाएं शामिल हैं।

32वीं साई डब्ल्यूजीआईटीए बैठक के दौरान भारत के सीएजी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि

इस अवसर पर, सीएजी ने मलेशिया के महालेखापरीक्षक और अर्जेंटीना के महालेखापरीक्षक के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। इन बैठकों में संबंधित सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

2.2.3 "आईटी सक्षम शासन में उभरते मुद्दे" पर डब्ल्यूजीआईटीए सेमिनार

32वीं डब्ल्यूजीआईटीए बैठक के संयोजन में, 3 अक्टूबर 2023 को "आईटी-सक्षम शासन में उभरते मुद्दे" पर एक संगोष्ठी आयोजित किया गया। सेमिनार में सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव की खोज की गई, जिसमें साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों पर जोर दिया गया, जिनका सामना दुनिया भर की सरकारें कर रही हैं।

साई इंडिया ने ई-गवर्नेंस पर सरकारी पहल, आईटी गवर्नेंस में चुनौतियों, शासन, प्रबंधन और कार्यान्वयन के प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुति दी।

2.2.4 इंटोसाई अनुपालन लेखा परीक्षा उप-समिति (सीएएस) की 20वीं वार्षिक बैठक

20वीं वार्षिक सीएएस बैठक हंगरी के बुडापेस्ट में 22-23 नवंबर 2023 को आयोजित की गई थी। एडीएआई (स्टाफ एंड गसब) और एक डीएजी ने बैठक में इंटोसाई अनुपालन लेखा परीक्षा मानकों, दिशा-निर्देशों और संबंधित परिचालन मामलों के विकास और सीएएस की अन्य गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की। दो दिवसीय बैठक के दौरान, लेखापरीक्षा विशेषज्ञों ने अनुपालन लेखा परीक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों पर अनुभवों की समीक्षा की और इस बात पर चर्चा की कि कैसे साई लेखापरीक्षा के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को कम करने में योगदान दे सकता है।

उप-समिति के अध्यक्ष सीएजी ने कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए अपने वीडियो संदेश में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने में अनुपालन लेखा परीक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि उप-समिति समावेशिता और समानता के अनुपालन लेखा परीक्षा की अवधारणा विकसित करना चाहती है, क्योंकि यह उप-समिति को सामाजिक असमानताओं को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी।

2.2.5. यूएनडीईएसए -साई ब्राजील संयुक्त बैठक क्लाइमेटस्केनर ग्लोबल कॉल

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए) और फेडरल कोर्ट ऑफ अकाउंट्स - ब्राजील (टीसीयू) द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में आयोजित एक बैठक में, हितधारकों ने 25-26 मार्च 2024 को "क्लाइमेट स्कैनर ग्लोबल कॉल: राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई का आंकलन करने में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों को शामिल करना" पर चर्चा करने के लिए बैठक की।

सीएजी, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 'क्लाइमेट स्कैनर ग्लोबल कॉल: राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई के आकलन में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों को शामिल करना' विषय पर आयोजित सम्मेलन में पैनल चर्चा के दौरान

सीएजी ने राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई पर सूचना पर चर्चा के लिए पैनलिस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान, सीएजी ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के साथ भारत की जलवायु कार्रवाई यात्रा को साझा किया, जिसमें 2005 से भारत द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, 2030 तक 50 *प्रतिशत* के लक्ष्य के मुकाबले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संचयी स्थापित क्षमता का 42 *प्रतिशत* प्राप्त करना जैसे आठ राष्ट्रीय मिशनों की उपलब्धियों को रेखांकित किया।

सीएजी ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन में मानवजनित गतिविधियों की निर्विवाद भूमिका है। इस प्रकार, उन्होंने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मापदंडों, जलवायु परिवर्तन और सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण, विशेष रूप से हरित वर्गीकरण और किसी राष्ट्र द्वारा जलवायु कार्रवाई की प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए परियोजना/योजना-वार बजट पर एक आधिकारिक और व्यापक, एकीकृत, निरंतर विकसित, अद्यतन डेटा बैंक की आवश्यकता को रेखांकित किया। सीएजी ने इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला – *केवल दक्षता पुरानी हो चुकी है, आज की अनिवार्यता पर्यावरणीय दक्षता है।*

2.2.6 इंटोसाई के अन्य आयोजन

साई इंडिया केएससी के अंतर्गत सभी 12 कार्य समूहों का सदस्य है जो विशिष्ट क्षेत्रों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन और सर्वोत्तम अभ्यास तैयार करने के लिए समर्पित हैं। साई इंडिया तीन इंटोसाई उप-समितियों, दो इंटोसाई टास्क फोर्स, इंटोसाई डोनर सहयोग संचालन समिति और अन्य इंटोसाई लक्ष्य समितियों का भी सदस्य है।

साई इंडिया के प्रतिनिधियों ने कार्य समूहों/ इंटोसाई निकायों के निम्नलिखित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया:

क्र.सं.	बैठक का नाम	बैठक की तिथि और स्थान
1.	डब्ल्यूजीपीडी वार्षिक बैठक	8-10 मई 2023, मिस्र
2.	सीबीसी वार्षिक बैठक और आईडीसी की 16 वीं बैठक	19-23 जून 2023, किंग्स्टन, जमैका
3.	इंटोसाई एसडीजी एचएलपीएफ (वर्चुअल)	13 जुलाई 2023
4.	उभरते मुद्दों पर पर्यवेक्षी समिति (एससीईआई) बैठक 2023 (वर्चुअल)	19 जुलाई 2023
5.	5 वीं डब्ल्यूजीईआई वार्षिक बैठक	24-27 जुलाई 2023, जकार्ता, इंडोनेशिया
6.	एफएएस वार्षिक बैठक	30 अगस्त-1 सितंबर 2023, बाकू, अज़रबैजान
7.	इंटोसाई पीएफएसी की 20 वीं वार्षिक बैठक	5 सितंबर 2023, वाशिंगटन डीसी
8.	7 वां इंटोसाई डब्ल्यूजीबीडी	13-15 सितंबर 2023, मिस्र
9.	23 वीं पीएससी एससी बैठक	27-28 सितंबर 2023, लक्ज़मबर्ग
10.	डब्ल्यूजीईपीपीपी फोरम 2023	9 अक्टूबर 2023, बर्न, स्विटज़रलैंड
11.	डब्ल्यूजीएफएसीएमएल की 16 वीं बैठक	10-12 अक्टूबर 2023, थाईलैंड
12.	यूरोसाई आईटी कार्य समूह की 16वीं बैठक	10-11 अक्टूबर 2023, वारसॉ, पोलैंड
13.	4वीं डब्लूजीआईएसटीए वार्षिक बैठक	6-7 नवंबर 2023, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
14.	वित्तीय और आर्थिक स्थिरता पर कार्य समूह की 10 वीं वार्षिक बैठक	8-9 नवंबर 2023, रोम, इटली
15.	77 वीं इंटोसाई जीबी बैठक	20-21 नवंबर 2023, वियना
16.	22 वीं डब्ल्यूजीईए सभा और संचालन समिति की बैठक	22-25 जनवरी 2024, रोवानीमी , फ़िनलैंड।
17.	इंटोसाई पीएएस की 15 वीं वार्षिक बैठक	5-6 मार्च 2024, त्बिलिसी, जॉर्जिया
18.	नागरिक भागीदारी और नागरिक समाज सहभागिता पर इंटोसाई सीबीसी टास्क फोर्स की पहली बैठक	13-15 मार्च 2024, लीमा, पेरू

अध्याय-3

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

3.1 एसोसाई का अवलोकन

1978 में स्थापित, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन (एसोसाई), इंटोसाई के सात क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। नई दिल्ली में अपनी पहली विधानसभा के साथ, 1979 में यह क्रियाशील हो गया। भारत एसोसाई का चार्टर सदस्य है। इसकी वर्तमान सदस्यता 48 है।

एसोसाई के उद्देश्य हैं:

- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता और निष्पादन में सुधार की दृष्टि से सरकारी लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सतत शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में दुनिया के अन्य हिस्सों में संस्थानों के साथ सूचना के केंद्र और क्षेत्रीय लिंक के रूप में काम करना।
- संबंधित सदस्य संस्थानों और क्षेत्रीय समूहों के सरकारी सेवा में कार्यरत लेखापरीक्षकों के बीच घनिष्ठ सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना।

3.2 एसोसाई जर्नल

सरकारी लेखापरीक्षा के एसोसाई जर्नल के संपादक मंडल के अध्यक्ष के रूप में, सीएजी को 2021-2024 की अवधि के लिए एसोसाई के गवर्निंग बोर्ड (जीबी) की पदेन सदस्यता प्रदान की गई है। एसोसाई पत्रिका वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है। एसोसाई पत्रिका के लिए लेखों का योगदान सदस्य साई द्वारा किया जाता है।

साई इंडिया ने गुणवत्तापूर्ण ज्ञान सामग्री, उन्नत डिजाइन और परस्पर संवादात्मक सुविधाओं के साथ अपने उपयोगकर्ताओं के पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अगस्त 2021 में एक पुन: डिज़ाइन किए गए डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ के साथ एसोसाई पत्रिका की संशोधित वेबसाइट प्रमोचित की। साई इंडिया ने सार्वजनिक जवाबदेही और लेखापरीक्षा बिरादरी के बीच व्यापक पहुंच और प्रसार के लिए एसोसाई जर्नल @AsosaiJournal पत्रिका का 'X' हैंडल भी प्रमोचित किया।

'सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा' विषय पर अक्टूबर 2023 की ई-पत्रिका के नवीनतम अंक को वेबसाइट पर होस्ट किया गया www.asosaijournal.org.

3.3 एसोसाई गतिविधियों में साई इंडिया की भागीदारी

3.3.1 एसोसाई के शासकीय बोर्ड की 59वीं बैठक

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन (एसोसाई) की 59वीं शासकीय बोर्ड की बैठक 20-22 सितंबर 2023 तक कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित की गई थी। भारत के सीएजी ने बैठक में भाग लिया।

पिछली बैठक के बाद से एसोसाई द्वारा संचालित गतिविधियों पर रिपोर्ट करने के लिए और एसोसाई के लिए अगले वर्ष की गतिविधि योजनाओं पर निर्णय लेने हेतु, एसोसाई शासकीय बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।

एसोसाई में आईटी लेखापरीक्षा और डेटा एनालिटिक्स पर एक कार्य समूह की स्थापना पर व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट भारत के सीएजी द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसे शासकीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सीएजी ने सितंबर 2024 में 16वीं एसोसाई विधानसभा की मेजबानी की और 2024 से 2027 तक के लिए एसोसाई अध्यक्षता ग्रहण की।

बुसान, दक्षिण कोरिया में 59वीं शासकीय बोर्ड की बैठक में एसोसाई शासकीय बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ भारत के सीएजी

3.3.2 13वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना

उभरते क्षेत्रों की लेखापरीक्षा के महत्व को देखते हुए, साई इंडिया एसोसाई की सभी अनुसंधान परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सितंबर 2021 को आयोजित एसोसाई की 57वीं शासकीय बोर्ड की बैठक के दौरान, "साई के लिए रिमोट ऑडिट: भविष्य और चुनौतियां" विषय को 13वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना की विषय-वस्तु के रूप में चुना गया था। इंटोसाई को प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधान परियोजना की मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था (फरवरी 2024 तक)।

3.3.3 अन्य एसोसाई घटनाक्रम

3.3.3.1 वार्षिक एसोसाई संगोष्ठी

"साई से जनता की अपेक्षा को कैसे पूरा करें" विषय पर एसोसाई ज्ञान साझाकरण संगोष्ठी 11 से 15 दिसंबर 2023 तक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। 22 साई के 23 प्रतिभागियों ने साई इंडोनेशिया और साई थाईलैंड के विषय विशेषज्ञों (एसएमई) द्वारा प्रदान की गई सरलीकरण और तकनीकी मार्गदर्शन के साथ सेमिनार में भाग लिया। साई इंडिया से, निदेशक (एसएमयू एवं पीपीजी) ने संगोष्ठी में भाग लिया। एसोसाई (साई जापान) के क्षमता विकास प्रशासक ने भी संगोष्ठी में भाग लिया।

3.3.3.2 संकट प्रबंधन लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीसीएमए) पर एसोसाई कार्यकारी समूह

बीएआई कोरिया के नेतृत्व में यह कार्य समूह, संकट प्रबंधन लेखापरीक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करके भविष्य के संकटों का बेहतर जवाब देने के लिए उन्नत क्षमताओं को प्राप्त करने का एक मंच है। प्रथम डब्ल्यूजीसीएमए संगोष्ठी का वर्चुअल आयोजन अप्रैल 2023 में 'प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण में साई की भूमिका' विषय पर किया गया था। साई इंडिया ने 2021 में साई इंडिया द्वारा आयोजित **"केरल में बाढ़ की तैयारी और प्रतिक्रिया"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3.3.3.3 राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (डब्ल्यूजीएसओई) पर कार्य समूह की स्थापना पर एसोसाई विशेष समिति

59वें एसोसाई शासकीय बोर्ड ने विशेष समिति के अध्यक्ष के रूप में साई मलेशिया द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (डबल्यूजीएसओई) पर एक पूर्ण कार्य समूह के निर्माण के अग्रगामी के रूप में अपनाया। विशेष समिति के सदस्यों में साई चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, रूस और तुर्की शामिल हैं।

3.3.3.4 पर्यावरण लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्य समूह

इस कार्य समूह का नेतृत्व साई चीन द्वारा किया जा रहा है। पर्यावरण लेखापरीक्षा पर 9वीं एसोसाई संगोष्ठी और एसोसाई डबल्यूजीईए की 9वीं बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में, सितंबर 2023 में आयोजित की गई थी। "जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया" और "पेयजल सुरक्षा लेखापरीक्षा" तथा 2023-2024 के लिए एसोसाई डब्ल्यूजीईए की कार्य योजना पर विचार-विमर्श किया गया। एसोसाई डब्ल्यूजीईए के सचिवालय ने साई इंडोनेशिया को दूसरा एसोसाई ग्रीन विजन पुरस्कार प्रदान किया। साई इंडिया ने सेमिनार में भाग लिया। साई इंडिया, 9वें एसोसाई सेमिनार के दौरान प्रस्तुत द्वितीय ग्रीन विजन पुरस्कार के निर्णायक पैनल का सदस्य था।

3.3.3.5 सतत विकास लक्ष्यों पर एसोसाई कार्य समूह

इस कार्य समूह का नेतृत्व कुवैत के राज्य लेखापरीक्षा ब्यूरो द्वारा किया जाता है। साई अज़रबैजान द्वारा 23-24 मई 2023 को एसडीजी पर एसोसाई वर्किंग ग्रुप (डब्ल्यूजीएसडीजी) की बाकू में आयोजित दूसरी बैठक में साई इंडिया ने भाग लिया। साई इंडिया ने 4 मार्च 2024 को एसोसाई डब्ल्यूजीएसडीजी की चौथी वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

3.3.3.6 क्षेत्रीय और नगरीय लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्य समूह

इस कार्य समूह का नेतृत्व साई रूस द्वारा किया जा रहा है। 21-23 सितंबर 2023 को कोरिया के बुसान में आयोजित एसोसाई शासकीय बोर्ड की 59वीं बैठक के दौरान, साई रूस ने क्षेत्रीय और नगरीय लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्यकारी समूह स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। इस पहल को गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

क्षेत्रीय और नगरीय लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्य समूह की स्थापना पर विशेष समिति की पहली बैठक 20 फरवरी 2024 को, रूसी संघ के लेखा चैंबर के नेतृत्व में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। साई इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

3.3.3.7 सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स (डबल्यूजीआईटीए एवं डीए) पर एसोसाई कार्य समूह

एसोसाई शासकीय बोर्ड ने प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति बनाने का निर्णय लिया और 14 अन्य साई की सदस्यता के साथ साई इंडिया को इस समिति की अध्यक्षता के लिए चुना।

साई इंडिया की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति ने सूचना आदान-प्रदान, अनुसंधान और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और लेखापरीक्षा में क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने में साई की सहायता करने के लिए एसोसाई डब्ल्यूजीआईटीए एवं डीए की स्थापना की अनुशंसा की है।

सितंबर 2023 में आयोजित एसोसाई शासकीय बोर्ड की 59वीं बैठक में, शासकीय बोर्ड ने विशेष समिति द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट को एक पूर्ण कार्य समूह की स्थापना हेतु अग्रगामी के रूप में अपनाया।

अध्याय-4

द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परस्पर संवाद

4.1 साई इंडिया की बहुपक्षीय सहभागिता

4.1.1 साई इंडिया की साई 20 अध्यक्षता

भारत के सीएजी ने जी-20 के साई20 सहभागिता समूह का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। भारत की जी20 अध्यक्षता के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरूप, साई इंडिया ने साई20 के प्राथमिकता विषय के रूप में *"वसुधैव कुटुम्बकम"* या "एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य" का चयन किया। भारत के सीएजी ने 12-14 जून 2023 तक गोवा में **ब्लू इकोनॉमी और जवाबदेह कृत्रिम बुद्धिमता** के दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर साई20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। साई20 शिखर सम्मेलन में जी-20 सदस्य साई, अतिथि साई, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों एवं जी20 सचिवालय के लगभग 85 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई।

साई इंडोनेशिया के (पूर्व अध्यक्ष), भारत (वर्तमान अध्यक्ष) और ब्राज़ील (अगले अध्यक्ष)), साई 20 ट्रोइका

साई20 शिखर सम्मेलन की समापन पर, साई 20 कम्युनिकी को साई के सदस्य द्वारा अपनाया गया था। दुनिया भर में ब्लू इकोनॉमी के बहुगामी तथा बढ़ती चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, साई 20 सदस्य इन चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों के साथ आगे आए। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा दिशानिर्देश और ब्लू इकोनॉमी की लेखापरीक्षा के लिए विस्तृत टूलकिट सहित व्यापक रूप से लागू तथा कार्रवाई योग्य लेखापरीक्षा उत्पाद तैयार करने के लिए साई के बीच समावेशी क्षमता निर्माण और सहयोग की आवश्यकता शामिल है । सदस्यों ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावों को बढ़ाने का संकल्प लिया।

आर्थिक मूल्य को अनलॉक करने और सामाजिक चुनौतियों को कम करने में मदद करने के साथ-साथ इसे अपनाने में नैतिकता और गोपनीयता संबंधी मुद्दों के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) की संभाव्यता को साई सदस्य ने स्वीकार किया। इस प्रकार, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के लाभों और चुनौतियों दोनों को पहचानते हुए, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में एआई के उपयुक्त समेकन को मापने के लिए, साई ने दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया। ये दिशानिर्देश, एआई प्रणाली की लेखापरीक्षा के साथ-साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में एआई का उपयोग करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ एआई के लिए क्षमता निर्माण में निवेश पर भी जोर देते हैं।. कुल मिलाकर साई20 कम्युनिकी, जी20 सदस्य देशों में जनता, सरकारों, संसदों और अन्य हितधारकों के लिए साई20 की संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

साई20 शिखर सम्मेलन के दौरान, साई इंडिया ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को संगोष्ठी के विषय ब्लू इकोनॉमी तथा जवाबदेह कृत्रिम बुद्धिमता पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित किया।

12 जून 2023 को गोवा में साई20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों के साथ सीएजी

श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, गोवा के माननीय राज्यपाल, सीएजी, श्री अमिताभ कांत, जी 20 शेरपा और डीएआई (एचआर, आईआर एवं समन्वय) संग्रह का अनावरण

4.1.2 साई 20 सहयोग समूह (ईजी) का हस्तांतरण

26 मार्च 2024 को एक पृथक कार्यक्रम में भारत के सीएजी ने औपचारिक रूप से फेडरल कोर्ट ऑफ अकाउंट्स - ब्राजील के राष्ट्रपति, मंत्री श्री ब्रूनो दंतास को साई20 ईजी की अध्यक्षता सौंपी। हस्तांतरण के दौरान अपने भाषण में सीएजी ने साई ब्राजील को 2024 में साई20 की अध्यक्षता के दौरान जलवायु वित्त के दो अत्यंत प्रासंगिक विषयों को चुनने और भूख एवं गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के लिए बधाई दी।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में साई20 की अध्यक्षता फेडरल कोर्ट ऑफ अकाउंट्स-ब्राजील के अध्यक्ष श्री ब्रूनो डेंटस को औपचारिक रूप से सौंपते हुए भारत के सीएजी

सीएजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी), इंटोसाई के लिए एक मान्यता प्राप्त वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ), में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन द ब्लू इकोनॉमी में आयोजित पाठ्यक्रमों से पता चलता है, साई इंडिया ब्लू इकोनॉमी के लिए ज्ञान आधार बनाने और साझा करने में दृढ़ रहा है।

उन्होंने एआई प्रणाली की लेखापरीक्षा को आगे बढ़ाने और एआई को लेखापरीक्षा टूल के रूप में प्रयोग करने के लिए साई इंडिया की हाल की पहलों पर भी जोर दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली और साई इंडिया के बीच चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों: लेखापरीक्षा में एआई क प्रयोग, एआई प्रणालियों की लेखापरीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण पर सहयोग करने के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू), इस सन्दर्भ में सीएजी द्वारा रेखांकित पहलों में से एक थी|

साई 20 सहयोग समूह द्वारा गतिविधियों के विषय में अधिक जानकारी https://sai20.org/timeline-en/. लिंक पर उपलब्ध है|

4.1.3 इम्पैक्ट सम्मेलन

ऑस्ट्रेलियाई महालेखापरीक्षक परिषद (एसीएजी) द्वारा कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित द इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ़ परफॉरमेंस ऑडिट क्रिटिकल थिंकर्स , इम्पैक्ट 2023 में भारत के सीएजी को एक मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य उस घातीय दर जिस पर प्रौद्योगिकी विकसित हो रही थी तथा लेखापरीक्षा के भविष्य पर इसके प्रभाव का पता लगाना था।

19-20 अप्रैल 2023 को कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ़ परफॉरमेंस ऑडिट क्रिटिकल थिंकर्स , इम्पैक्ट 2023 के दौरान अपना मुख्य संबोधन देते हुए भारत के सीएजी

'ऑडिट इम्पैक्ट-द इंडियन परस्पेक्टिव' पर अपने संबोधन में सीएजी ने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डेटा एनालिटिक्स और विज़ुअलाइज़ेशन, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और मानव रहित हवाई वाहनों जैसे तकनीकी उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया, जिससे लेखापरीक्षा के क्षेत्र क विस्तार विस्तार किया था।

4.1.4 "उच्च शिक्षा में परिणामों की लेखापरीक्षा" पर ब्रिक्स संगोष्ठी

11 दिसंबर 2023 को साई रूस ने "उच्च शिक्षा में परिणामों की लेखापरीक्षा" पर ब्रिक्स साई वर्चुअल संगोष्ठी की मेजबानी की। संगोष्ठी के दौरान दो उप महालेखाकारों ने साई इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोजगारपरकता, पहुंच, समानता और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता जैसे विभिन्न मुद्दों को शामिल करते हुए साई इंडिया की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने वाला एक पेपर प्रस्तुत किया गया था।

4.1.5 "लेखापरीक्षकों के व्यावसायिक विकास में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका "पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) वेबिनार

30 नवंबर 2023 को साई रूस ने "लेखापरीक्षकों के व्यावसायिक विकास में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका" पर एक वेबिनार की मेजबानी की।

वेबिनार को एससीओ सदस्यों, पर्यवेक्षकों और भागीदारों के लेखापरीक्षकों तथा सरकारी अधिकारियों के क्षमता विकास के लिए डिजिटल शैक्षिक प्लेटफार्मों के उपयोग और सर्वोत्तम क्षेत्रीय कार्यप्रणालियों पर संयुक्त एससीओ अनुसंधान परियोजना प्रमोचित करने के एक प्रारंभिक कदम के रूप में देखा गया था। वेबिनार में साई इंडिया के एक महानिदेशक और एक निदेशक ने भाग लिया।

4.1.6 "पर्यावरण लेखापरीक्षा" पर एससीओ वेबिनार

5 से 7 दिसंबर 2023 तक साई चीन ने हाइब्रिड मोड में "पर्यावरण लेखापरीक्षा" पर एससीओ संगोष्ठी की मेजबानी की। साई इंडिया के एक महानिदेशक और एक प्रधान महालेखाकार ने वर्चुअल रूप से संगोष्ठी में भाग लिया और "साई इंडिया में पर्यावरण लेखापरीक्षा" पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें भारत में पर्यावरणीय मुद्दों, पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्थागत ढांचे, प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, पर्यावरण लेखापरीक्षा में चुनौतियां और भविष्य पर चर्चा की गई।

4.2 साई इंडिया के द्विपक्षीय संबंध

4.2.1 तुर्की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

12-14 जून 2023 तक आयोजित साई20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर, वैश्विक साई समुदाय में अपनी पहुंच को और बढ़ाने के लिए भारत के सीएजी ने, 12 जून 2023 को साई तुर्की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों साई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना और लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं सार्वजनिक वित्त की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दिशा में काम करना है।

तुर्की कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स के उपाध्यक्ष श्री अहमद तेजकन के साथ भारत के सीएजी

4.2.2 साई कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

अपनी पहुंच को और बढ़ाने के लिए भारत के सीएजी ने, साई20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर 13 जून 2023 को साई कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना और लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं सार्वजनिक वित्त की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दिशा में काम करने के उद्देश्य से किए गए थे।

भारत के सीएजी श्री चोई जेहे, अध्यक्ष, एसएआई, कोरिया के साथ

4.2.3 इंडोनेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारत के सीएजी और इंडोनेशिया गणराज्य के लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने साई20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की और 13 जून 2023 को महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों साई के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना और लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं सार्वजनिक वित्त की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दिशा में सहयोग करना था।

सीएजी, इंडोनेशिया गणराज्य (बीपीके) के लेखा परीक्षा बोर्ड के प्रमुख डा. इस्मा यातुन के साथ

4.2.4 साई यूएई के साथ द्विपक्षीय बैठक

23 मई 2023 को सीएजी ने महामहिम हुमेद ओबैद खलीफा ओबैद अबुशिब्स, अध्यक्ष, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान, यूएई के साथ सीएजी कार्यालय में एक द्विपक्षीय बैठक की। द्विपक्षीय बैठक, लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग तथा क्षमता विकास पहलों को मजबूत करने और ज्ञान एवं सूचना के आदान-प्रदान पर केंद्रित थी। चर्चा का उद्देश्य सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से सीखना और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों (साई) के बीच भविष्य में सहयोग की संभावना पर विचार करना था। साई यूएई के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने साई इंडिया की लेखापरीक्षा पद्धति और प्रशिक्षण रणनीति को समझने तथा सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में ज्ञान विशेषज्ञता को साझा करने के लिए सीएजी कार्यालय का दौरा किया।

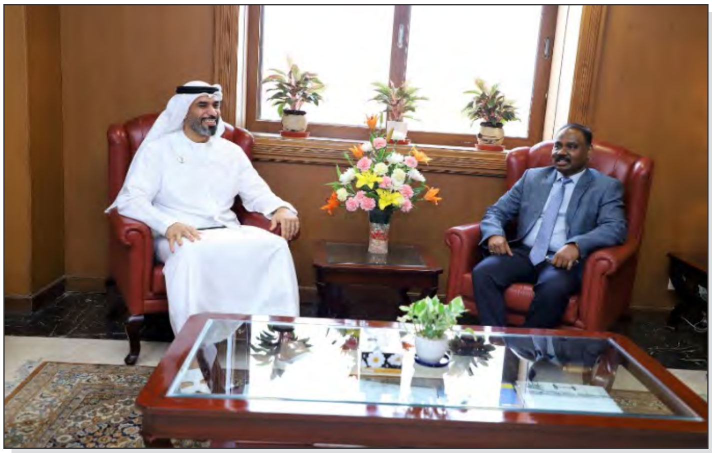

सीएजी कार्यालय में महामहिम, हुमेद ओबैद खलीफा ओबैद अबुशिब्स, अध्यक्ष, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान, यूएई के साथ भारत के सीएजी

4.2.5 साई फिलीपींस के साथ बैठक

भारत के सीएजी ने फिलीपींस का दौरा किया और 15-16 सितंबर, 2023 को फिलीपींस के श्री गमलीएल असिस कोरडोबा, लेखापरीक्षा आयोग के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने सहयोग के लिए व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की, जिनमें विशेष रूप से लेखापरीक्षा में नागरिकों की भागीदारी, सार्वजनिक ऋण की लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग विषय शामिल थे।

श्री गमलीएल असिस कोरडोबा, लेखापरीक्षा आयोग के अध्यक्ष, फिलीपींस तथा भारत के सीएजी

4.2.6 साई सऊदी अरब और साई मलेशिया के साथ बैठक

एसोसाई गवर्निंग बोर्ड की 59वीं बैठक के दौरान सीएजी ने सऊदी अरब सल्तनत के जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट (जीसीए) के अध्यक्ष डॉ. हुसाम अब्दुलमोहसेन अलंगारी और मलेशिया की महालेखापरीक्षक सुश्री दातुक वान सुरया वान मोहम्मद रदजी के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया।

डॉ. हुसाम अब्दुलमोहसेन अलंगारी, जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट (जीसीए), सऊदी अरब सल्तनत के अध्यक्ष के साथ सीएजी

सुश्री दातुक वान सुरया वान मोहम्मद रदजी, मलेशिया की महालेखापरीक्षक के साथ सीएजी

4.2.7 साई इंडिया द्वारा जीएसएआई तकनीकी सहायता

इंटोसाई डोनर कॉपरेशन (आईडीसी) के नेतृत्व में वैश्विक साई जवाबदेही पहल (जीएसएआई) का उद्देश्य साई की क्षमता को दृढ़ करना और संभाले रखना है तथा चुनौतीपूर्ण वातावरण की पहचान करते हुए साई की क्षमताओं और निष्पादन को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना है।

साई बेलीज के लिए मुख्य तकनीकी भागीदार के रूप में साई इंडिया के साथ जीएसएआई सहायता को आधिकारिक तौर पर 2023 में शुरू किया गया। इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) ने साई बेलीज के लिए उपरोक्त सहायता परियोजना हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन का नेतृत्व और समन्वय करने तथा डोनर फ़ंड के प्रबंधन करने की भूमिका निभाई है।

उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) की अध्यक्षता में साई इंडिया के पांच सदस्यीय दल ने साई बेलीज सहायता परियोजना हेतु साई इंडिया तकनीकी सहायता के प्रति विस्तृत आवश्यकता आंकलन करने के लिए साई बेलीज के साइट का दौरा किया। साई बेलीज द्वारा तकनीकी सहायता के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई थी:

(1) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और बेहतर गुणवत्ता

(2) साई के प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचआर प्रबंधन,अभिलेख) का डिजिटलीकरण

(3) मजबूत साई स्वावलंबन

(4) हितधारक संबंध (संयुक्त लोक लेखा समिति-जेपीएसी)

उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर एवं समन्वय) ने 19 दिसंबर 2023 को वर्चुअल रूप से वैश्विक साई जवाबदेही पहल के दायरे में साई बेलीज, साई इंडिया और आईडीआई के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर एवं समन्वय) ने वैश्विक साई जवाबदेही पहल (जीएसएआई) की रूपरेखा विकसित करने में आईडीआई के गंभीर प्रयासों की सराहना की। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साई को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और अवसरों के अनुरूप रणनीतिक रूप से आधारित क्षमता विकास को गति प्रदान करके इंटोसाई की रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के जीएसएआई के महान उद्देश्य की भी उन्होंने सराहना की।

उन्होंने यह भी कहा कि साई बेलीज को जीएसएआई तकनीकी सहायता प्रदान करने में भागीदार बनना साई इंडिया के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह कदम, साई की स्वतंत्रता, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की प्राप्ति, साई के लचीलेपन, समानता, समावेशिता और रणनीतिक साझेदारी के विकास के लिए इंटोसाई के समर्थन पर साई इंडिया के दृढ़ विश्वास को प्रतिबिम्बित करता है।

4.2.8 साई मलेशिया प्रतिनिधिमंडल का दौरा

उप महालेखापरीक्षक सुश्री नोर सलवानी बिंटी मुहम्मद के नेतृत्व में साई मलेशिया के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक साई भारत का शैक्षणिक यात्रा दौरा किया। सीएजी मुख्यालय में प्रतिनिधिमंडल ने सीएजी से शिष्टाचार भेंट की और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) की लेखापरीक्षा और अनुवर्ती लेखापरीक्षा संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान सत्रों में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने आईसीसा में अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (पूर्वी क्षेत्र) और सीटीओ के साथ भी बातचीत की और डेटा प्रबंधन, वैश्लेषिकी कार्यान्वयन और आईटी लेखापरीक्षा पर ज्ञान साझा सत्रों में भाग लिया। उन्हें डेटा सेंटर सेटअप पर एक तकनीकी ब्रीफिंग भी मिली। आगरा के लिए की गई यात्रा के साथ यह यात्रा समाप्त हुई।

सुश्री नूर सलवानी बिंटी मुहम्मद, उप महालेखापरीक्षक, साई मलेशिया, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर एवं समन्वय और एडीएआई (आईआर एवं समन्वय.) के साथ भारत के सीएजी

4.2.9 भारत-कुवैत संगोष्ठी

"अस्पताल लेखापरीक्षा" के विषय पर 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक कुवैत में भारत-कुवैत द्विपक्षीय संगोष्ठी आयोजित की गई, साई इंडिया का प्रतिनिधित्व उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एनईआर-I), एक पीएजी, निदेशक (आईआर) और एक डीएजी द्वारा किया गया था।

संगोष्ठी के दौरान, प्रतिभागियों ने अस्पताल लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और निष्कर्षों के विवरण पर गहनता से चर्चा की। साई इंडिया की प्रस्तुति में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से संबंधित लेखापरीक्षा पहलुओं, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में दक्षता, प्रभावशीलता और नियामक अनुपालन के महत्व, गुणवत्तापूर्ण दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन देखभाल और चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन पर जोर दिया गया। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान सभी पहलुओं और सामने आई चुनौतियों की जांच करने के लिए सीएजी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, 'उत्तर प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन' पर एक केस स्टडी भी प्रस्तुत की गई।

प्रतिभागियों ने राज्य लेखापरीक्षा ब्यूरो (एसएबी) कुवैत के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान, एसएबी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा के विषय में विस्तार से बताते हुए, एसएबी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कुवैत के लेखापरीक्षा परिदृश्य पर जानकारी प्रदान की।

अध्याय-5

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

साई इंडिया द्वारा अन्य साई सदस्यों की क्षमता निर्माण में सहायता की जाती है ताकि वो अपने कर्मचारियों के लेखापरीक्षा कौशल को बढ़ा सके। साई इंडिया कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम सामग्री वास्तविक जीवन के लेखापरीक्षा परिदृश्यों से तैयार की जाती है और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रतिपादन में प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाले अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। 2023-24 की अवधि के ऐसे प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा की राष्ट्रीय अकादमी

साई इंडिया द्वारा संचालित भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएएस) पाठ्यक्रमों के माध्यम से साई भूटान के अधिकारी प्रशिक्षुओं के क्षमता निर्माण के लिए, साई इंडिया और साई भूटान ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, रॉयल ऑडिट अथॉरिटी, भूटान के छह अधिकारियों (2021,2022 और 2023 प्रत्येक बैच के दो-दो आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं) को अकादमी में प्रशिक्षित किया जा चुका है/किया जा रहा है।

साई इंडिया और साई मालदीव (24 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षरित) के बीच समझौता ज्ञापन के दायरे में, साई मालदीव के दो अधिकारी आईए और एएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के 2022 बैच के साथ वर्तमान में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) प्राप्त कर रहे हैं।

5.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा के लिए केंद्र (आईसीसा)

आईसीसा दुनिया भर में साई के अधिकारीयों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईसीसा द्वारा संचालित कार्यक्रम, अधिकारियों को सर्वोत्तम व्यावसायिक कार्यप्रणालियों के अनुरूप प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीक प्रदान करता है।

वर्ष 2023-24 की अवधि में आईसीसा ने 'निष्पादन लेखापरीक्षा' पर ई-आईटीईसी के तहत एक बहुपक्षीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 11 देशों के 28 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में साई इंडिया और साई मालदीव ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साई इंडिया द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से साई मालदीव के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण का प्रावधान समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद-II में है। समझौता ज्ञापन के दायरे में, साई मालदीव के अधिकारियों के लिए दो आवासीय आईटीईसी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए, जिसमें 12 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

साई युगांडा के तीन अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओआईओएस) के बेंचमार्किंग के लिए आईसीसा का दौरा किया।

इसके अतिरिक्त, आईसीसा ने 'राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की लेखापरीक्षा', 'प्राप्ति और अनुपालन लेखापरीक्षा', 'निष्पादन लेखापरीक्षा', 'ई-शासन की लेखापरीक्षा' और 'सूचना प्रौद्योगिकी पर्यावरण की लेखापरीक्षा' पर आईटीईसी के तत्वावधान में पांच आवासीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) संचालित किए, जिनमें 53 देशों के 168 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था। निरंतर विकसित हो रहे आईटी परिदृश्य में लेखापरीक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत सूचना प्रणाली अवधारणाएं हमारे पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग हैं।

इसके अलावा, आईसीसा में आईडीआई लिवरेजिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट (एलओटीए) पायनियर्स कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 21 देशों के 38 सदस्यों ने भाग लिया। आईडीआई की लोटा पायनियर्स पहल का उद्देश्य उच्चतम लेखापरीक्षा संस्था (साई) के लेखापरीक्षकों के पूल को चेंज एजेंटों में परिवर्तित करना है जो साई के लेखापरीक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी लाते हैं। वे लेखापरीक्षा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और सरकारों द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग की लेखापरीक्षा करने के लिए, अपने आंतरिक और बाहरी लेखापरीक्षा वातावरण को स्कैन करके रणनीति बनाते हैं।

वैश्विक पदचिह्न (आईसीसा)

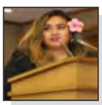

सुश्री एनी फ्रांसिस लीटुपो, साई समोआ, "राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की लेखापरीक्षा" पर 158 वीं आईटीपी

> प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही व्यावहारिक और जानकारीपूर्ण थे। इसमें लेखापरीक्षा के क्षेत्रों जैसे अनुपालन, वित्तीय, निष्पादन, पर्यावरण और सूचना प्रणाली आदि पर चर्चा की गई। प्रयोगशाला में विभिन्न लेखापरीक्षा विश्लेषणात्मक उपकरणों पर व्यावहारिक अभ्यास में शामिल होना भी शिक्षाप्रद था, जिनमें से कुछ हममें से अधिकांश के लिए नए थे।

> पाठ्यक्रम की शुरुआत में, हम सभी की कुछ अपेक्षाएं थीं, लेकिन पाठ्यक्रम के अंत में, हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि यहां हमें जो शिक्षा, अनुभव और सबसे बढ़कर उच्चतम स्तर का आतिथ्य प्राप्त हुआ, वह निस्संदेह सभी अपेक्षाओं से बढ़कर था। हम में से हर कोई यही सोचता है कि यह जीवन में एक बार होने वाला ऐसा अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे।

सुश्री एतेरी कात्साद्ज़े, साई जॉर्जिया 157वीं आईटीपी "प्राप्ति और अनुपालन लेखा परीक्षा" पर

श्री हेंग चांथेंग, साई कंबोडिया 157 वें आईटीपी, "प्राप्ति और अनुपालन लेखापरीक्षा" पर

> कार्यक्रम की व्यापक प्रकृति ने न केवल प्राप्ति और अनुपालन लेखा परीक्षा में हमारे ज्ञान को समृद्ध किया, बल्कि स्वादिष्ट भोजन, स्थानीय भ्रमण और बेंगलूरु की यात्रा तथा मनोरंजक खेल गतिविधियों के माध्यम से हमें अपार आनंद के क्षण भी प्रदान किए।

5.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी)

आइसीईडी का अधिदेश विश्व भर में साई के विविध समुदाय को पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, ज्ञान और अनुभव साझाकरण प्रदान करने के लिए है। वर्ष 2023-24 के दौरान, आईसीईडी ने 52 साई और 13 आईएएवंएएस अधिकारियों के 313 प्रतिभागियों के लिए तीन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, एक अंतर्राष्ट्रीय-आईएएवंएएस कार्यशाला और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया। सभी प्रतिभागियों द्वारा इसकी बहुत सराहना की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एसडीजी-14 के विशेष संदर्भ के साथ ब्लू इकोनॉमी की लेखापरीक्षा के बहुआयामी पहलुओं, सौर ऊर्जा के विशेष संदर्भ के साथ नवीकरणीय ऊर्जा विकास रणनीतियां और तंत्र तथा पर्यावरण लेखापरीक्षा (आईएनटीओसाई डब्ल्यूजीईए) के परिचय पर सत्र शामिल थे, जिनका संचालन डोमेन विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों द्वारा किया गया, जिसमें वैश्विक साई के 23 संकाय शामिल थे, जैसे यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, साई फिनलैंड, साई ब्राजील, साई मिस्र, साई ओमान, साई चीन, साई ऑस्ट्रेलिया, साई इंडोनेशिया, साई मोरक्को, साई मॉरीशस, साई एस्टोनिया और सरकारी जवाबदेही कार्यालय यूएस आदि।

आईसीईडी की वैश्विक पहुँच

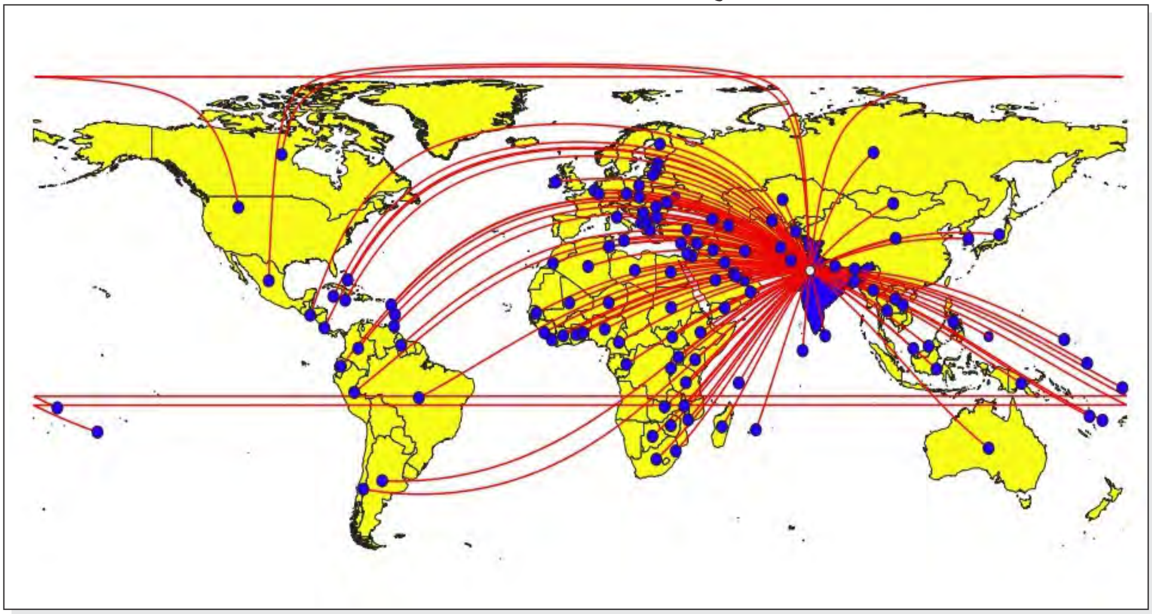

52 साई के 313 प्रतिभागी

प्रतिभागियों की संख्या

अर्जेंटीना	2	14	कुवैत
ऑस्ट्रेलिया	2	1	मेडागास्कर
अज़रबैजान	8	2	मलावी
बहमास	18	9	मलेशिया
बांग्लादेश	2	17	मालदीव्स
भूटान	9	2	माल्टा
बोत्सवाना	1	5	मेक्सिको
ब्रूनेई	2	5	मोरक्को
बुल्गारिया	2	6	नेपाल
केमन आइलैंड	2	1	नाइजीरिया
चिली	1	16	ओमान
चीन	3	15	पाकिस्तान
कोस्टा रिका	3	1	पलाउ
सायप्रस	4	6	पेरू
इक्वेडोर	4	11	फिलीपींस
ईजिप्त	20	1	पोलैंड
इथियोपिया	12	13	रूस
यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ऑडिटर्स	1	3	साउथ अफ्रीका
फिजी	2	3	साउथ सूडान
फ़िनलैंड	1	5	श्रीलंका
जॉर्जिया	2	2	थाईलैंड
ग्रीस	9	5	टर्की
गुआम	1	4	यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
इंडोनेशिया	11	7	यूक्रेन
इराक	2	4	वियतनाम
जमैका	3	28	ज़ाम्बिया

आईसीईडी में 11 वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी

समापन के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए एडीएआई और महानिदेशक, आईसीईडी

आईसीईडी- उत्कृष्टता के लिए प्रयास

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया

"विषयों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया, जिसमें ब्लू इकोनॉमी के बहुआयामी पहलुओं के विहंगावलोकन पर बहुत सारी अंतर्दृष्टि और क्षमता विकास शामिल थे। ज्ञान के इस भंडार का हिस्सा बनकर बहुत आभारी और सौभाग्यवान महसूस कर रहा हूँ।"

श्री लोटे रोकोली नाइकावु, साई फ़िजी, जुलाई 2023

"यह सेमिनार बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया था, बहुत अच्छा। इसे जारी रखे।"

श्री लोकनाथ घिमिर, साई नेपाल, जुलाई 2023

"यह एक बहुत अच्छा वेबिनार था, आपने हमें महत्वपूर्ण उदाहरण और कई उपकरण दिए जिन्हें लागू किया जा सकता है।"

श्री रॉबर्टो एज़क्विवेल, साई मेक्सिको, जुलाई 2023

"कुल मिलाकर, आयोजकों द्वारा पाठ्यक्रम को शानदार ढंग से डिज़ाइन किया गया है"

सुश्री फैसल, साई इंडोनेशिया, अप्रैल 2023

"वैश्विक और राष्ट्रीय संकेतक ढांचे का होना केंद्रित लेखापरीक्षा क्षेत्रों को मापने और पहचानने में बहुत मददगार है। वैश्विक और राष्ट्रीय संकेत"

श्री जान्नो लूई सीज़र लूज़ॉन, साई फिलीपींस, सितंबर 2023

"सेमिनार बहुत बढ़िया था और सीखने का अनुभव और सामग्री साई बहामास को गुणवत्ता स्तर की लेखापरीक्षा प्रदान करने में उपयोग की जाएगी।"

सुश्री ब्रेंडा नीली, साई बहामास, सितंबर 2023

"जब मैंने 2014 और 2021 में संरक्षित क्षेत्रों के समन्वित लेखापरीक्षा का समर्थन किया, तो एसजीडी 14 और 15 को लागू किया गया था जैसा कि टीसीयू प्रस्तुति में बताया गया था। हालाँकि, इस वेबिनार में मुझे जो जानकारी मिली, वह सतत विकास से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा में किए गए कार्य को पुष्ट करती है।"

सुश्री जेसिका रोड्रिग्ज गुइलेन, साई पेरु, सितंबर 2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
https://www.cag.gov.in